साझी दस्तक

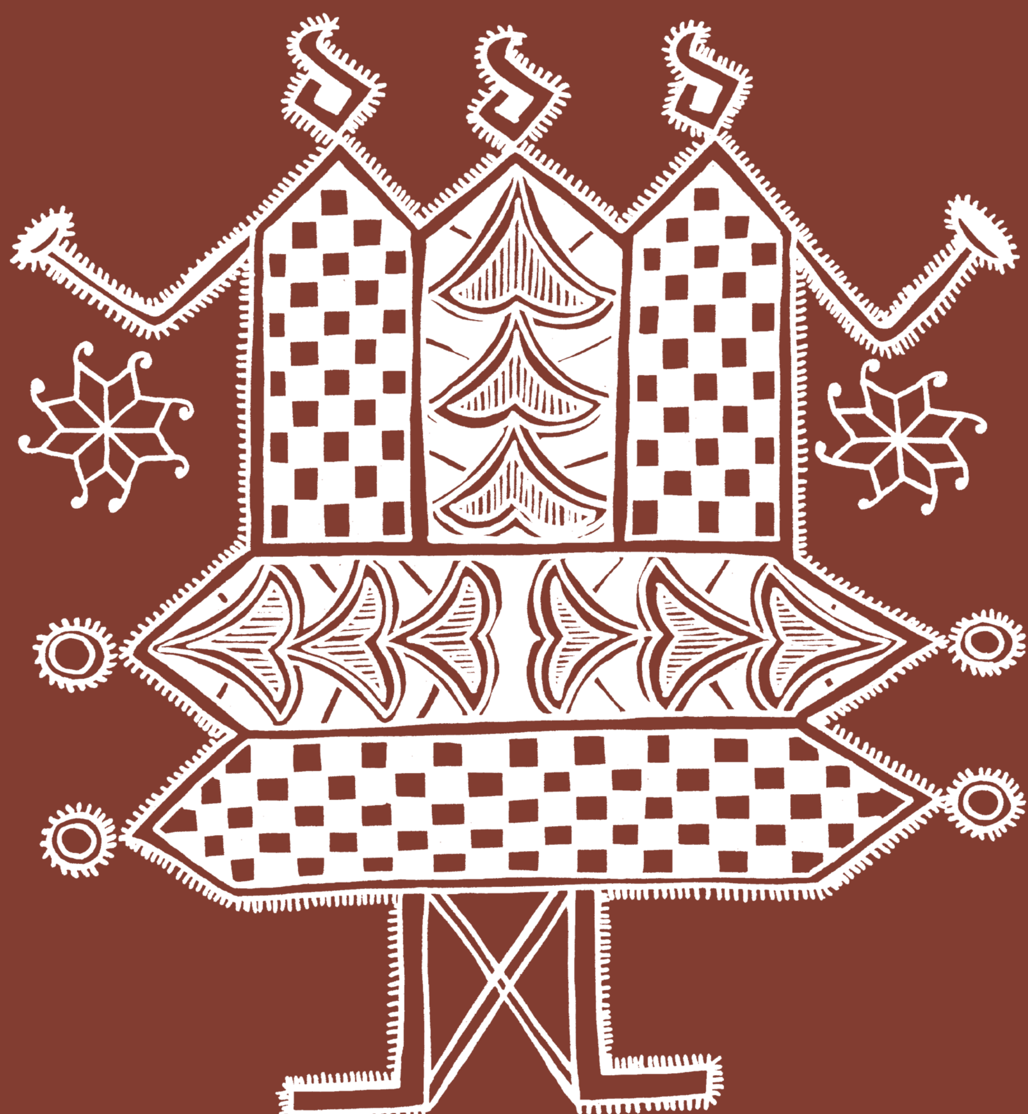

आभार

जागोरी इस पुस्तिका के प्रकाशन में सहयोग के लिए निम्न व्यक्तियों के आभारी है।

लेखनः अमृता ठाकुर
सम्पादनः जया श्रीवास्तवा
परिकल्पनाः मधु बाला
सहयोगः चैताली, महावीर व जागोरी टीम
विशेष सहयोगः ब्रेड फ़ॉर द वर्ल्ड-प्रोटेस्टंट डेवेलपमेंट सर्विस और मिज़ेरियोर

सीमित वितरण के लिए

प्रकाशन : जागोरी

बी-114, शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017
फोनः 91-11-26691219/20, फैक्सः 91-11-26691221
हेल्पलाईनः 91-11-26692700/8800996640 (9.30am to 5.30pm, सोमवार से शुक्रवार)
jagori@jagori.org; safedelhi@jagori.org
www.jagori.org, www.safedelhi.in, www.livingfeminisms.org

प्रकाशन : सितंबर 2016

डिज़ाइन एवं मुद्रणः प्रिंटफोर्स rawatys2011@gmail.com

साझी दस्तक

परिचय

संघर्ष की यात्रा अनवरत् चल रही है एक अपने अंदर और दूसरी खुद से बाहर, समाज में। दोनों यात्राएं आपस में जुड़ी हुई हैं, रास्ता तय करने में एक दूसरे की मदद कर रही हैं। जागोरी की वायलेंस इंटरवेंशन टीम में शामिल केस कार्यकर्ता अपने व्यक्तिगत अनुभव को सामूहिक अनुभव के साथ जोड़कर समाज और व्यवस्था के उन दरवाजों पर दस्तक देने का प्रयास कर रही है, जिन्हें पितृसत्तात्मक मानसिकता ने बंद कर रखा है। महिला हिंसा के खिलाफ़ उनकी यात्रा दोनों स्तर पर जारी है। व्यक्तिगत स्तर पर जहां वे स्वयं हिंसा जैसी समस्याओं से संघर्ष कर रही हैं, वहीं दूसरे स्तर पर, वे पीड़ित महिलाओं को उनके संघर्ष में पूरा सहयोग दे रही हैं। यह संघर्ष इतना आसान नहीं है। हिंसा विरोधी कानून होने के बावजूद पितृसत्तात्मक सामाजिक ढांचा कई तरह की व्यवहारिक दिक़्क़तों के माध्यम से संघर्ष के रास्ते में अवरोध पैदा करता है। इस टीम के कार्यकर्ताओं का अनुभव समय के साथ हिंसा के रूपों में आए बदलावों और इनके खिलाफ़ संघर्ष के रास्ते में आने वाली बाधाओं को इंगित करता है। यह एक नई बहुआयामी योजना के प्रारूप को तैयार करने के लिए आधार भी देता है, जिसमें इन बाधाओं से निपटने की तैयारी पहले से होगी। इस दस्तावेज में जीवन के कुछ उन सफ़रनामों को भी शामिल किया गया है जो महिलाओं के अत्यंत निजी दायरे में हो रहे अघोषित उत्पीड़न के रूपों को व्याख्यायित करता है। यह उन छह महिलाओं के संघर्ष की गाथा है, जिन्होंने पितृसत्ता के विभत्स रूपों को झेला है, लेकिन इन महिलाओं ने इसे 'स्त्री होने की नियति' न मानकर इसके खिलाफ़ संघर्ष किया है और कर रही हैं। ये केस स्टडीज़ मानसिक व शारीरिक यंत्रणाओं की उन बारीकियों पर भी ठहरती हैं जिनसे महिलाएं गुजरती हैं, पर कानूनी रूप से ये यंत्रणाएं कोई आकार नहीं ले पातीं और बंद दरवाजों के पीछे ही रह जाती हैं। यह सफ़रनामा महिला अधिकारों के लिए निरंतर जारी संघर्षों के विभिन्न पड़ावों का गतिशील दस्तावेज़ है।

ओमवती

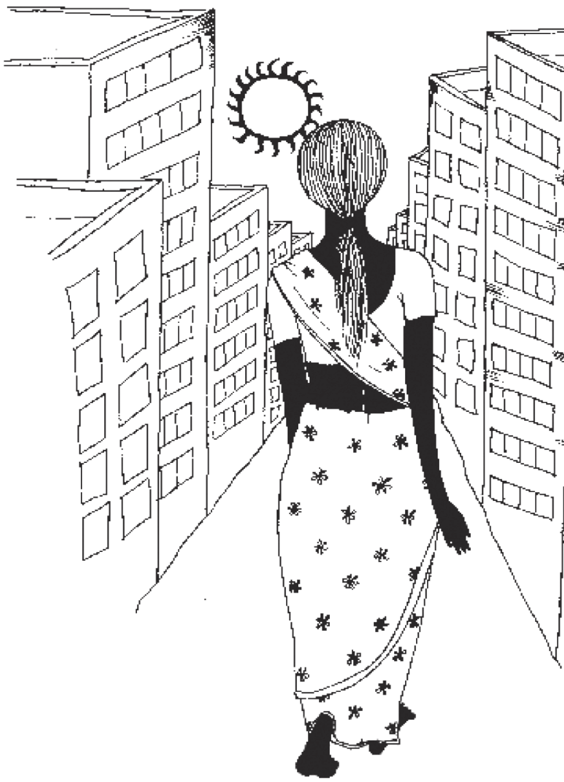

ओमवती की उम्र लगभग साठ होगी। हालांकि कहती है कि उसकी शादी चौदह साल की उम्र में हो गई थी और शादी को पचास साल हो रहे हैं। शादी के समय पति की उम्र बीस-बाइस बताती है, जो पिछले साल ही बैंक की सरकारी नौकरी से रिटायर हुआ है। संभवतः ज़िंदगी की तरह उम्र के जोड़-घटाव में भी वह इतनी कुशल नहीं है कि सही उम्र बता सके। पर उसका चेहरा ज़िंदगी के विभिन्न पड़ावों की कहानी खुद बयां कर रहा था। गीली नजरों से अपने चेहरे पर हाथ फिराती हुई बोली- **'मेरे चेहरे पर ऐसे-ऐसे हाथ फिरा कर कहता है- तेरे गाल तो अब धंस गए हैं। तू तो बुड्ढी हो गई है। कैसा सिकुड़ा हुआ चेहरा है तेरा! मैं अब उसे बुड्ढी लगने लगी हूं। उसे जवान शरीर चाहिए। मैं कहां से लाऊं जवान शरीर?'**

ओमवती काफ़ी देर तक अपने चेहरे पर हाथ फेरती हुई कुछ सोचती रही, फिर बोली- *'मैं उसे बहुत चाहती हूं। पर वो तो मुझे देखने के लिए भी तैयार नहीं है। छोटी बहू के आसपास ही मंडराता रहता है। मुझे अपने साथ रखने तक को तैयार नहीं है। शुरू में तो बहू खुद ही बोली 'बुड्ढा मेरे साथ सोना चाहता है' वो बहू को कहता है- "तेरी सास बेकार है, तेरा पति बौड़म है तुझे सुख नहीं दे सकता, मैं दूंगा।" वैसे तो शादी के पहले भी कई लड़कियों से उसके संबंध थे। एक से तो एक बेटी भी है। पिछले पंद्रह साल से उसने बहू को पकड़ रखा है। फिर उनकी आपस में क्या सांठ-गांठ हुई, पता नहीं, वहीं रहता है, बेटा-बहू की सलाह से ही सब काम करता है। बेटा दिन में काम पर चला जाता तो बहू के साथ लगा रहता। मैंने खुद ये अपनी आंखों से देखा है। जब पहली बार देखा था मेरा तो सिर ही घूम गया था। किसी तरह दीवार का सहारा लेकर ज़मीन पर बैठी। जब पति से पूछी- तू ऐसा क्यों कर रहा है, उसने मुझे बहुत मारा, मेरे साथ बहुत गंदे तरीके से, जबरदस्ती संबंध बनाया, कई-कई बार बनाया। दीदी मैं आपसे कोई बात छिपा नहीं रही हूं सब खुलकर बता रही हूं।'* मेरे यह पूछने पर कि उसने ये बात बेटे को क्यों नहीं बताई तो ओमवती निराश स्वर में बोली- **'बताई! बेटे को बताई तो बेटे ने मुझे ही गंदी-गंदी गालियां दी और बहुत मारा। कितनी गंदी-गंदी गालियां दीं। कहा- तेरे ही देह में आग लग रही है। एक आदमी से काम नहीं चल रहा है। क्या-क्या कहा, बता भी नहीं सकती और धक्का मारकर घर से बाहर कर दिया। पचास साल की शादीशुदा ज़िंदगी के बाद आज मेरे सिर पर छत नहीं है, दर-दर भटक रही हूं। चार दिन बहन के घर, चार दिन बेटे और बेटी के घर, सब जगह ऐसी ही मारी-मारी फिर रही हूं।'** जिस घर को, संबंध को, बनाने में ओमवती ने अपनी पूरी उम्र निकाल दी आज वह घर या

संबंध उसके हिस्से में कहीं नहीं है। जिस बेटे को पालपोस कर बड़ा किया वह आज उस पर हाथ उठा रहा है।

ओमवती जैसे-जैसे अपने जीवन की घटनाओं की परतें खोलती गई उसकी भावनाएं भी उन घटनाओं की कड़वाहट के साथ यात्रा करती हुई साफ़ दिख रही थीं। पति के प्रति प्रेम अब हताशा, कड़वाहट और तकलीफ़ में बदल गया था। *'मैं उसके साथ अब नहीं रहना चाहती। अब मुझे उसके साथ रहना ही नहीं। पर मुझे एक छत चाहिए, ज़िंदगी के लिए दो पैसे चाहिए।'* ओमवती को पति के शराब पीने की आदत और सेक्स के प्रति ज़रूरत से ज़्यादा झुकाव का पता शादी के शुरुआती दिनों में ही लग गया था, लेकिन फिर भी रिश्ते से इतनी शिकायत नहीं थी। इस विवाहित संबंध से उसे दो बेटे व तीन बेटियां हैं। बच्चे अब वयस्क हैं, दो बेटे और एक बेटी की शादी हो चुकी है।

बकौल ओमवती उसकी ज़िंदगी में सब कुछ पंद्रह साल पहले तक लगभग ठीक ही चल रहा था। छोटे बेटे की शादी के बाद ओमवती की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। पति बैंक में चपरासी के पद पर काम करता है। वह गांव में अपनी दोनों अविवाहित बेटियों के साथ रह रही थी और पति छोटे बेटे के परिवार के साथ दिल्ली में रह रहा था। पति और बहू के संबंध में कुछ उड़ती-उड़ती खबर उसके कानों तक पहुंचती है और वह गांव से पति के पास दिल्ली आ गई थी। यहां आने के बाद ओमवती उन सभी बातों को जब अपनी आंखों से देखती है तो भावनात्मक रूप से सदमे की स्थिति में आ जाती है। बेटे से इन बातों का जिक्र वह करती है, लेकिन बेटा भी उसकी तकलीफ़ को समझने की जगह गालियां देता, मारता-पीटता और घर से बाहर कर देता है। ओमवती का पति हाल ही में रिटायर हुआ है, और फिर से उसी बैंक में बतौर चपरासी काम कर रहा है। ओमवती के अनुसार, वह अपनी पूरी आमदनी बेटे के परिवार पर खर्च कर रहा है, ओमवती को अपने साथ रखने को तैयार नहीं है। इस स्थिति को ओमवती पिछले पंद्रह सालों से झेल रही है। ओमवती जब अपनी इस समस्या को लेकर जागोरी के पास गई तब वह भावनात्मक रूप से काफ़ी परेशान थी, और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था की वह इस स्थिति का सामना किस प्रकार करे और कहां किसके पास जाए!

जागोरी द्वारा प्रदान की गई सहायता- ओमवती जब जागोरी के पास आई तब वह भावनात्मक रूप से काफ़ी टूटी हुई थी। इस समस्या के समाधान के लिए उसकी बिरादरी, परिवार की ओर से किए गए सभी प्रयास असफल साबित हो रहे थे। पर ये लड़ाई तो ओमवती को खुद लड़नी थी और यह तब ही संभव था जब वह अपनी भावनाओं पर काबू पाकर अपने अंदर निहित ताक़त को पहचानती। ओमवती व जागोरी के बीच काउंसलिंग (परामर्श) का एक लम्बा दौर चला। बकौल ओमवती इस काउंसलिंग ने उसे हिम्मत दी। उसे महसूस हुआ कि वह अकेली नहीं है, कोई उसकी लड़ाई में उसके साथ खड़ा है। अपने पति से आर्थिक मदद पाना उसका कानूनी हक़ है। जागोरी ने काउंसलिंग के बाद ओमवती के पति से भी बातचीत की। उन दोनों के बीच की समस्याओं को बातचीत व काउंसलिंग के माध्यम से दूर करने की कोशिश की गई। ओमवती का पति अंततः ओमवती को हर महीने चार हजार रुपये गुजारा भत्ता के रूप में देने को तैयार हुआ।

जागोरी ने बैंक के मैनेजर से भी इस संदर्भ में बातचीत की। मैनेजर ने भी ओमवती को गुजारा भत्ता दिलवाने में अपना पूरा सहयोग दिया। बाद में जागोरी ने गुजारा भत्ता में इंक्रिमेंट (सालाना बढ़ोत्तरी) की व्यवस्था भी करवाई। कुछ समय तक तो ओमवती को गुजारा भत्ता पति की तरफ से मिलता रहा, फिर बंद हो गया। ओमवती का गुजारा भत्ता सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय पुलिस व थाने से सहयोग लेने का भी प्रयास किया गया, लेकिन वहां से ओमवती को अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाया। गुजारा भत्ता दिलवाने की कानूनी लड़ाई के लिए ओमवती को कानूनी सहायता भी जागोरी की तरफ से दिलवाई गई। फिलहाल गुजारा भत्ते की कानूनी लड़ाई अदालत में जारी है। यह लेख लिखे जाने तक कानूनी तौर पर गुजारा भत्ता मिलने की इस लड़ाई के परिणाम में आती देरी को देखते

कानून क्या कहता है- (1) ओमवती विवाहित है और आर्थिक रूप से पति पर पूरी तरह आश्रित है। अगर पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो जाए तो पत्नी-पति से अपने और अपने बच्चों के लिए सी.आर.पी.सी. की धारा 125 के तहत् गुजारा भत्ता के लिए याचिका दाखिल कर सकती है। साथ ही हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की धारा 18 के तहत भी याचिका दाखिल की जा सकती है। घरेलू हिंसा कानून के तहत भी गुजारा भत्ता की मांग पत्नी कर सकती है। अगर पति-पत्नी के बीच तलाक का केस चल रहा है तो वह हिन्दू मैरिज एक्ट की धारा 24 के तहत गुजारा भत्ता मांग सकती है। गुजारा भत्ता की राशि का निर्धारण पति की अपनी आय अथवा हैसियत के आधार पर होता है। (2) ओमवती वरिष्ठ नागरिक है।

साठ वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष एवं 58 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं वरिष्ठ नागरिक के रूप में 'द-मेंटेनेंस एण्ड वेलफ़ेयर ऑफ़ पेरेन्ट्स एण्ड सीनियर सिटिज़न एक्ट-2007' के कानूनी दायरे में आते हैं। वरिष्ठ नागरिक की देखभाल अगर उनके बच्चे ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं तो वे अपने बच्चों से गुजारा-भत्ता की मांग इस कानून के अंतर्गत कर सकते हैं। इस कानून की धारा 9 में मुआवजा राशि तय करने का प्रावधान है और यह राशि अधिकतम दस हज़ार तक हो सकती है। इस कानून की धारा 24 कहती है कि अगर कोई शख्स अपने माता-पिता का तिरस्कार करता है और उनका भरण-पोषण/देखभाल नहीं करता है तो उसे तीन महीने तक की कैद हो सकती है और पांच हज़ार तक का जुर्माना भी हो सकता है। यह कानून कहता है कि बुजुर्ग पेरेंट्स का अपना कमाया हुआ कुछ हो न हो बच्चों का कर्त्तव्य है कि वे अपने अभिभावकों की देखभाल करें।

हुए 'दी मेंटेनेंस एण्ड वेलफ़ेयर ऑफ़ पेरेन्ट्स एण्ड सीनियर सिटिज़न एक्ट- 2007 के तहत् भी गुजारा भत्ता की मांग अदालत के समक्ष रखने की तैयारी चल रही है।

ओमवती के सफरनामे का मनो-सामाजिक पहलू- ओमवती जब अपने जीवन की कहानी सुनाती है तो यह तो बताती है कि शादी से पहले पति के संबंध दूसरी महिलाओं से भी थे, लेकिन शादी के बाद के संबंधों का वह ज़िक्र नहीं करती है। पति पहले भी पीता था तब इतनी समस्या नहीं थी। समस्या बेटे की शादी के बाद शुरू हुई। समस्या और ज़्यादा तब बढ़ गई, जब पति सेवानिवृत्त हुआ है और पेंशन व अन्य भत्तों के माध्यम से उसे काफ़ी पैसा मिला है। उन पैसों को वह ओमवती के अनुसार नहीं बल्कि अपने अनुसार खर्च कर रहा है; यानि अपने छोटे बेटे के लिए, जिसके साथ वह रह रहा है उसने काफ़ी कुछ खरीदा है। बेटे और उसके परिवार के प्रति पति का झुकाव ओमवती को पसंद नहीं है। उसका मानना है कि उसके पति का बहू के साथ अवैध संबंध है, जवान सुंदर बहू के शरीर के नशे में वह ऐसे फैसले ले रहा है। सारा पैसा बेटे बहू पर खर्च कर रहा है जबकि ऐसा भी हो सकता है कि ओमवती के पति की उसके बेटे बहू अच्छी देखभाल कर रहे हों, जिसकी वजह से वह प्रेमवश अपनी खुशी से उन पर पैसे खर्च कर रहा हो।

ओमवती का ऐसा मानना एक भ्रमपूर्ण मानसिकता भी हो सकती है, जो पितृसत्ता से प्रभावित है। इसे हम दो महिलाओं के बीच वर्चस्व के संघर्ष के तौर पर देख सकते हैं। ओमवती को लग रहा है कि पति के वेतन या धन के संबंध में फैसले लेने का हक़ सबसे ज़्यादा उसका है, प्रतिद्वंद्वी के रूप में उसे बहू दिख रही है। पितृसत्तात्मक समाज में यह वर्चस्व का संघर्ष दो महिलाओं के बीच भी देखा जा सकता है।

अक्सर मानव स्वभाव की इस प्रवृत्ति को समझे बिना 'महिला ही महिला की दुश्मन होती है' जैसे हल्के जुमलों से पितृसत्ता के खिलाफ़ उठती आवाज़ों को दबाने का प्रयत्न किया जाता है। इन सबके बावजूद ओमवती पीड़ित है, क्योंकि वह अपने पति व बच्चों पर आश्रित है, और अपनी पूरी ज़िंदगी परिवार व पति को देने के बावजूद वह अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकती है।

रीता

रीता की शादी बीस साल की उम्र में हो गई थी। वह एक खुशहाल विवाहित जीवन जी रही थी। जीवन सामान्य गति से चल रहा था। शादी के बाद दो बेटे हुए जिनकी उम्र अभी क्रमशः छह व आठ वर्ष है। 2015 में रीता के पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद उसके जीवन में अचानक सब कुछ बदल गया। ससुर व ननद लगातार इस प्रयास में लग गए कि रीता पति के घर से यानि ससुराल से किसी भी तरह चली जाए। रोज लड़ाई-झगड़े होने लगे। पति की मृत्यु की वजह से रीता मानसिक तौर पर डिप्रेशन की स्थिति में आ गई थी। इसी मानसिक स्थिति में उसकी ननद उसे लेकर अपनी जेठानी के घर आ गई। वहां वे तीन चार दिन रहे। बकौल रीता मानसिक तनाव ने उसके सोचने समझने की शक्ति लगभग खत्म सी कर दी थी। वहां एक मंदिर में किसी व्यक्ति से उसकी शादी करवा दी गई। वह व्यक्ति उसे हरियाणा के एक गांव लेकर आ गया। रीता उस व्यक्ति के साथ कैद जैसी स्थिति में चार महीने रही। रीता का दूसरा पति न केवल शराबी था, बल्कि बात-बात पर रीता को मारता-पीटता भी था। बकौल रीता- **वह कहता मैंने तेरे लिए पैसे दिए हैं। मेरी बात नहीं मानेगी तो तूझे मार के फेंक दूंगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। वह शराब पीकर सबको गाली देता। रात को मेरे से जबरदस्ती करता, मेरे सीने पर मुक्का मारता। कभी तो नशे में चाकू लेकर मुझे मारने दौड़ता कभी कांच का गिलास लेकर। ससुराल में उसकी इन हरक़तो में उसके परिवार के लोग भी साथ दिया करते थे।**

रीता को अपने घर व बच्चों से भी बात नहीं करने दिया जा रहा था। एक बार उसे मौका मिल गया, उसने किसी तरह हिम्मत कर छिपते-छिपाते अपनी मां को फोन किया और सारी स्थिति बताई। मां ने ये सारी बातें जागोरी को बताई। जागोरी के सलाह-अनुसार इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई गई। तभी जाकर रीता को इस कैद से मुक्ति मिली, लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। रीता के बच्चे अभी भी उसके पहले पति के घर पर ही थे, 'भाई की निशानी है' यह कहते हुए ननद बच्चों को देने को तैयार नहीं है। उसे बच्चों से मिलने भी नहीं दिया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ रीता के दूसरे पति व उसके परिवार का भी लगातार दबाव बना हुआ है कि रीता वापिस पति के पास चली आए। पति की मृत्यु ने रीता के जीवन की दिशा ही बदल दी। मृत्यु से लगे सदमे और उस तनाव की स्थिति में एक के बाद एक आती समस्याओं ने उसे मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया था। वर्तमान में रीता ने अपने पहले पति के घरवालों के खिलाफ़ बच्चों की कस्टडी से संबंधित केस व दूसरे पति से तलाक व गुजारा भत्ता से संबंधित केस अदालत में दायर किया है।

रीता ने बारहवीं तक की पढाई की है। पिता की तबीयत खराब होने की वजह से वह आगे पढ़ाई जारी नहीं रख सकी इसका उसे बेहद मलाल है वह कहती है- *'काश! मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की होती, तब शायद मेरी जिंदगी कुछ और ही होती।'* रीता के सामने अभी महत्वपूर्ण सवाल जीविका का भी है, जिसकी वह तलाश में है। शिक्षा व पहचान संबंधी उसके सभी दस्तावेज ससुराल वालों के पास हैं, जिसे वे

लौटा नहीं रहे। दस्तावेजों के न होने से नौकरी व आगे की शिक्षा दोनों में बाधा आ रही है।

जागोरी द्वारा प्रदान की गई सहायता- रीता जागोरी से अपनी मां के माध्यम से संपर्क में आई। रीता की मां काफ़ी समय से जागोरी की बैठकों में आ रही थीं। वह उसे जागोरी की महिला अधिकारों से संबंधित पुस्तकें भी दिया करती थीं। उन्होंने जागोरी को भी रीता की समस्याओं से अवगत कराया था। बकौल रीता, जागोरी की पहल व सलाह पर उसकी जबरदस्ती शादी व ससुराल वालों द्वारा घर में बंधक बनाए रखने के खिलाफ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई जिससे वह उस कैद से निकल पाई। रीता का मामला ट्रेफ़िकिंग का भी था और घरेलू हिंसा का भी। अपनी मां के पास वापस लौटने के बाद रीता जागोरी के लगातार संपर्क में है। काउंसलिंग के साथ-साथ उसे कानूनी सलाह व सहायता भी जागोरी द्वारा प्रदान की जा रही है। बकौल रीता 'दूसरी शादी के पीछे ससुराल वालों का मकसद था पति की संपत्ति से मेरे अधिकार को खत्म करना। मुझ पर लगातार दबाव डाला जा रहा था कि मैं दूसरी शादी कर लूं। कहा जाता है समाज में औरत की तभी इज्जत है जब उसके साथ किसी पुरुष का नाम जुड़ा हो। एक

कानून क्या कहता है- तलाक-रीता की दूसरी शादी धोखे से की गई शादी थी। जब वह मानसिक रूप से सदमे की स्थिति में थी तब उसे अचानक बिना बताए धोखे से किसी व्यक्ति से शादी की गई। इस शादी के संदर्भ में उसे सोचने-समझने का न तो पर्याप्त समय दिया गया और न ही उसकी इच्छा जानने की कोशिश की गई। शादी न केवल धोखे से हुई थी शादी में पैसे का भी लेन-देन हुआ था। जिस व्यक्ति से उसकी शादी की गई उसे नशे की लत थी। साथ ही विवाह के उपरांत रीता के साथ वह व्यक्ति मानसिक यौनिक व शारीरिक हर तरह की हिंसा करता था। रीता ने अदालत में अपने मौजूदा पति से तलाक के लिए याचिका दायर की है। हिन्दू विवाह अधिनियम-1955 के अनुसार तलाक के निम्नलिखित सामान्य आधार हैं-

1. व्यभिचारः यदि पति एक से अधिक महिलाओं से अनैतिक यौन संबंध बनाए रखता हो।
2. क्रूरताः यदि पति या पत्नी द्वारा मानसिक, यौनिक, आर्थिक या शारीरिक रूप से अपमानजनक या हिंसात्मक व्यवहार किया जाता हो।
3. लतः यदि पति या पत्नी दोनों में से कोई मादक दृव्यों के सेवन से ग्रस्त हो।
4. नपुंसकताः यदि पति या पत्नी में से कोई एक अपने पार्टनर की यौन जरूरतों को पूरा करने में सक्षम न हो।
5. पागलपन या रोगः अगर पति पत्नी दोनां में से एक लाइलाज रोग या मानसिक बीमारी या शारीरिक विकलांगता से ग्रस्त है।
6. असंगतिः यदि पति पत्नी के रिश्ते में होने वाले मतभेद बहुत बड़े हैं और रिश्ता काम नहीं कर रहा है।
7. यदि पति या पत्नी बिना किसी कारण/जानकारी के 7 साल से ज़्यादा समय से लापता हो।

बच्चे की कस्टडी से संबंधित कानून- यदि पति बच्चे की कस्टडी पाने के लिए कोर्ट में पत्नी से पहले याचिका दायर कर दे, तब भी महिला को बच्चे की कस्टडी प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। पति की मृत्यु या तलाक होने की स्थिति में महिला अपने बच्चों की संरक्षक बनने का दावा कर सकती है। अठारह साल से छोटा व्यक्ति नाबालिग माना जाता है। नाबालिग के माता-पिता उसके स्वाभाविक अभिभावक माने जाते हैं। माता या पिता दोनों के जीवित न होने पर ही परिवार के किसी दूसरे सदस्य को उसके संरक्षण की ज़िम्मेदारी दी जा सकती है, या किसी विशेष परिस्थिति में अगर मां या पिता मानसिक रूप से स्वस्थ न हो या बच्चे को किसी बात का खतरा हो तब ही कोर्ट स्व-विवेक से किसी परिवार के किसी दूसरे करीबी रिश्तेदार को बच्चे के संरक्षण का अधिकार दे सकता है।

हद तक मैं भी यही मान रही थी। इसी का फायदा उन्होंने उठाया। *अब मुझे स्पष्ट है कि मुझे आगे क्या कदम उठाना है, मुझे अपने बच्चों की कस्टडी चाहिए और उस आदमी से तलाक। दोनों केस अदालत में दायर कर रखे हैं। जहां मुझे समझ नहीं आता कानून या दूसरी कोई ज़रूरत की बात तो मैं जागोरी से सलाह लेती हूं।*

रीता के सफरनामे का मनो-सामाजिक पहलू- पति की मृत्यु के बाद दूसरी शादी के लिए तैयार होने के पीछे रीता की भी यही सोच थी कि अकेली महिला के लिए इस समाज में जीना आसान नहीं होगा। यह मानसिकता रीता के सामाजीकरण का परिणाम है जो पूर्णतः पितृसत्तात्मक है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि रीता की शादी में उसकी रजामंदी नहीं थी, जबरदस्ती करवा दी गई। हां! यह अवश्य था कि उसके फैसले पर दबाव डाला गया जिससे वह अपने होने वाले पति के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं जुटा पाई, और गलत व्यक्ति से उसका विवाह हो गया। वहीं दूसरी तरफ पति की संपत्ति पर विधवा बहू कहीं हिस्सा न मांग ले, इस डर से ससुराल वालों द्वारा रीता की शादी करवा दी गई। जबकि मृत बेटे या भाई के बच्चों को अपने पास यह सोच कर रख लिया गया कि बच्चे उनका अपना खून हैं, जबकि बच्चों की मां बाहर की व्यक्ति है। यह 'अपना खून' जैसी सोच, महिलाओं को वंश बढ़ाने की मशीन के रूप में देखने व उसके प्रजनन क्षमता पर नियंत्रण की मानसिकता का ही रूप है। उस मानसिकता को धारण करने वाला और कोई नहीं एक दूसरी महिला यानि रीता की ननद है। रीता के इस सफरनामे में पीड़क व पीड़ित दोनों ही महिलाएं हैं। पितृसत्ता के पूरे तंत्र में महिलाएं किस प्रकार पुर्जे के रूप में भी काम करती है, इसका उदाहरण रीता के इस सफरनामे में देखा जा सकता है। ननद जो स्वयं भी समाज के पितृसत्तात्मक स्वरूप से किसी न किसी रूप में पीड़ित रही ही होगी, लेकिन वहीं वह दूसरी महिला के लिए पितृसत्ता की प्रतिनिधि के रूप में काम कर रही है।

पहाड़ सी मुसीबतों के बीच
आगे बढ़ पाने का नाम औरत है
दहाड़ती नसीहतों के बीच
अपनी कह पाने का नाम औरत है

हार के अन्देशों के बीच
परचम लहराने का नाम औरत है

बीना

दीदी 'मैं' झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे पति में कोई एब नहीं है। ठीक आदमी है।' बीना की बातचीत का ये पहला वाक्य है और वो भी उस पति के लिए जिसे नौ साल तक इस बात की चिंता ही नहीं थी कि वो जी रही है या मर रही है। बीना की कहानी के कई आयाम हैं। बीना की शादी सत्रह साल की उम्र में हो गई थी। वो शादी की बिल्कुल इच्छुक नहीं थी, पर मां बाप की सामाजिक मजबूरी, तीन बेटियां, पिता की न के बराबर कमाई, मां की कड़ी मेहनत-थोड़ी बहुत कमाई और फिर तीनों बेटियों की शादी। ऐसे में बेटियों की इच्छा का सवाल उस परिवार के लिए बेमानी था। 'नहीं मेरा मन नहीं था शादी का। उसकी तस्वीर देखी तो मां से बोली की कितना हट्टा-कट्टा है और मैं कमजोर सी हूं। मुझे शादी से डर सा लग रहा था। पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा।' इसी डर के साथ बीना की शादी हो गई। बीना कहती है कि जैसे ही उसने ससुराल में गृह-प्रवेश की रस्म के दौरान दीवार पर ठप्पा लगा कर पैर देहरी के अंदर रखा, जैसे किसी ने (बीना और ससुराल वालों के अनुसार चुड़ैल ने) उसे दरवाजे के बाहर धक्का दे दिया। वह वहीं गिर कर बेहोश हो गई। तीन-चार दिन तक उसे होश ही नहीं आया। ससुराल वाले उसे डॉक्टर की जगह भगत (तांत्रिक) के पास ले गए। **चौथे दिन उसे जब होश आया तो उसे बताया गया कि उस पर उसकी जेठानी की आत्मा आ गई थी जिससे वह बेहोश हो गई थी। उसी रात को उसे पति के बगल में सुला दिया गया जिसे अप्राकृतिक मैथुन की आदत थी। उसने इसके मुंह में कपड़ा ठूंस कर (ताकि वह दर्द होने पर चिल्लाए नहीं) शारीरिक संबंध बनाया। इस घटना ने बीना को बुरी तरह डरा दिया। कुछ दिनों तक ससुराल में सब कुछ इसी तरह चलता रहा। बीना को अक्सर दौरे पड़ने लगे, उसकी मानसिक स्थिति बद से बदतर होती गई।**

बीना की मां को जब उसकी स्थिति का पता चला तब वह उसे ससुराल से घर लेकर आ गई। बीना की मानसिक स्थिति धीरे-धीरे पूरी तरह खराब हो गई। दौरा पड़ने पर सामान को उठा-उठा कर फेंकना। आने-जाने वालों पर पत्थर फेंकना, नग्न अवस्था में घर से बाहर भाग जाना, जैसी हरकतें वह करने लग गई। बीना की मां डॉक्टर के क्लीनिकों का चक्कर लगाती रही, लेकिन बीना की मानसिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। शाहदरा के मानसिक चिकित्सालय में भी बीना को रखा गया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ, डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए। फिर बीना की मां उसे लेकर आगरा के अस्पताल गई। यहां उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए व कुछ दवाइयां दी गईं, जिससे स्थिति में कुछ सुधार हुआ। यह सब होते-होते पूरे नौ साल हो गए। इन नौ साल में ससुराल वालों ने कुछ खोज खबर नहीं ली, बल्कि उस पर तलाक के लिए दबाव बनाते रहे।

डॉक्टर्स का कहना है कि उसकी मानसिक समस्या का इलाज़ पहली बार दौरा पड़ने पर ही किया जाना चाहिए था। ओझा व तांत्रिकों के चक्कर में पड़ने की जगह डॉक्टर के पास ले गए होते तो स्थिति इतनी खराब नहीं होती। डॉक्टर इन दौरों की वजह किसी चोट से दिमाग में आई सूजन व तनाव को मानते हैं। बीना की मां के अनुसार बीना को यह चोट चुड़ैल उतारने की प्रक्रिया के दौरान सिर दीवार पर मारने के कारण आई है। वहीं बीना अपने ससुराल वालों की तरह अपनी मानसिक स्थिति व दौरों के लिए ज़िम्मेदार अपनी जेठानी की आत्मा को ही मानती है जिसके पेट में बीना के पति का बच्चा था और गर्भावस्था में उसकी मृत्यु हो गई थी।

बकौल बीना ये बातें खुद उसे उसके पति ने बताया था। वह आत्मा नहीं चाहती कि कोई औरत उसके प्रेमी के साथ रहे। नौ साल तक बीना की मां इलाज के लिए बेटी को लिए इधर-उधर भटकती रही, मगर ससुराल वालों की तरफ से कोई सहायता नहीं आई। इत्तेफ़ाक से जागोरी की कार्यकर्ता से उनकी मुलाकात हुई। मां ने बीना के बारे में उन्हें बताया। जागोरी ने बीना के ससुराल वालों को बातचीत के लिए बुलाया। ससुराल वाले किसी भी स्थिति में उसे अपनाने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि बीना पागल है, उस पर आत्मा का प्रकोप है। ऐसी स्थिति में उसके बच्चे भी पागल पैदा होंगे। बातचीत में बीना का पति उसे पांच हजार रुपये प्रति महीने जेब-खर्च के तौर पर देने व उसे पत्नी के रूप में स्वीकारने के लिए तैयार हो गया। बीना का पति बीना के साथ ही उसके घर पर रहने लगा है। बीना को रोज दवाई खानी होती है जिसका खर्च भी वह स्वयं उठा रहा था। इस दौरान बीना गर्भवती भी हुई पर किन्हीं वजहों से गर्भपात हो गया। बीना का पति दबे स्वरों में कई बार बीना की छोटी बहन से शादी करने की इच्छा भी जाहिर कर चुका था। जिसे कड़ाई से अस्वीकार कर दिया गया। जल्द ही बीना की छोटी बहन की शादी भी होने वाली है। ससुराल वाले व पति अभी भी बीना का इलाज डॉक्टर की जगह भगत से करवाने की बात कर रहे हैं। फिलहाल बीना खुश थी, हालांकि उसके ससुराल वाले अभी भी अपनाने को तैयार नहीं, पर पति ने उसे अपना लिया था।

जागोरी द्वारा दी गई सहायता : नौ साल से बीना का इलाज उसकी मां आर्थिक तंगी के बावजूद किसी प्रकार करा रही थी। बीना की मां जागोरी के संपर्क में आई, तो उन्होंने बीना की स्थिति के बारे में जागोरी को बताया। जागोरी ने बीना के ससुराल वालों को एक पत्र भेजा और उन्हें बातचीत के लिए बुलाया। बीना के ससुराल वाले किसी भी स्थिति में बीना को अपनाने को तैयार नहीं थे, लेकिन पति बीना को अपने साथ रखने व खर्चा पानी देने और बीना का ठीक से इलाज कराने के लिए तैयार हो गया। आपसी सहमति से यह निर्णय लिया गया कि बीना का पति भी बीना के साथ बीना के ही घर पर रहेगा जब तक वह दूसरी जगह कोई व्यवस्था नहीं कर लेता है। यह इसलिए भी ज़रूरी था कि बीना को अभी पूरी देखभाल की भी ज़रूरत थी, जो उसके अपने घर में ही संभव था। बीना और बीना का पति मां के घर पर ही साथ रह रहे थे। पति हर महीने उसे पांच हजार रुपये खर्च के तौर पर देता था और और उसकी दवाई भी वह खुद ही लेकर आता था। पति को हलवाई के तौर पर नौकरी भी मिल गई थी उसने दूसरा मकान ले कर बीना को अपने साथ रखने की इच्छा जाहिर की थी। समन्वित व क्रियान्वित इलाज से उसकी मानसिक स्थिति अब स्थिर थी। **बीना के जीवन के इस सफरनामे में उसकी मां की भूमिका भी एक मजबूत स्त्री के रूप में रही है। तीन बेटियों की ज़िम्मेदारी और पति की ना के बराबर कमाई ने भी उसके हौसले को नहीं तोड़ा। बेटी के इलाज के लिए उसने कोई कसर नहीं छोड़ी और न ही चुड़ैल और भूत आने जैसी बातों पर विश्वास करके हाथ पर हाथ धर कर बैठ गई। अगर बीना स्वस्थ होकर सामान्य जीवन जी सकी तो उसका श्रेय काफ़ी हद तक उसकी मां को भी जाता है।**

बीना के सफरनामे का मनो-सामाजिक पहलू- शादी से पहले जो लड़की बिल्कुल सामान्य थी वह मानसिक तौर पर इस स्थिति में कैसे पहुंच गई। अगर वह मानसिक रूप से स्वस्थ्य नहीं थी तो उसके लक्षण शादी से पहले भी कुछ

न कुछ नज़र ज़रूर आते। वजह बहुत स्पष्ट है विवाह के प्रति अनिच्छा, डर, ने दौरे का शक्ल शख्तियार कर ली और अंधविश्वास ने उसे चुड़ैल के प्रकोप का नाम दे, पागलपन तक पहुंच दिया। बीना शादी नहीं करना चाहती थी, उसकी उम्र भी नहीं थी शादी की। संभवतः शादी के संदर्भ में या उसकी भावी पति की कल्पना से वह व्यक्ति बिल्कुल अलग था जिससे उसकी शादी होने वाली थी। मानसिक तौर पर वह इस शादी और उस व्यक्ति को जिससे उसकी शादी होने वाली थी, अपनाने को तैयार नहीं थी। मानसिक कुंठाएं, खुद को अभिव्यक्त न कर पाने से बनी घुटन, दबी हुई इच्छाएं, समाज परिवार की ओर से बनाया गया मानसिक दबाव जैसी वजहें, कई बार महिलाओं में, देवी या चुड़ैल आने जैसी घटनाओं के रूप में परिणत होती दिखती हैं। बीना के मामले में भी ऐसा ही हुआ। उसके रूप रंग को लेकर भी ससुराल वालों ने उसके अंदर हीन भावना भर दी थी। समाज में शारीरिक ज़रूरत या यौन संबंध को दो अलग रूपों में देखा जाता है।

जहां महिला या लड़की के लिए शादी से पहले वह 'गंदा काम' होता है वहीं शादी के बाद पति की शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने के कर्त्तव्य व संतान पैदा करने की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। महिला की 'अपनी शारीरिक ज़रूरत' जैसी कोई अवधारणा ही नहीं होती। अक्सर देखा गया है कि शादी से पहले खासतौर पर पति के साथ पहली बार बनाए जाने वाले यौन संबंध को लेकर लड़कियों के अंदर कई प्रकार के डर होते हैं। उस डर को दूर करने की कोशिश पति की तरफ से भी नहीं की जाती है पति भी अपनी पितृसत्तात्मक सोच के अंतर्गत उतावलेपन में उचित-अनुचित की सीमाओं को भी लांघ जाता है नवविवाहित पत्नी की भावनाओं या इच्छा-अनिच्छा को समझना तो बहुत दूर की बात है। बीना के साथ भी ऐसा ही हुआ था; शादी के बाद पति के साथ कैसा शारीरिक संबंध बनेगा, इसे लेकर वह पहले से ही डरी हुई थी। बाद में पति के यौन व्यवहार ने उसे और भी ज़्यादा डरा दिया था।

जागोरी द्वारा पति को समझाए जाने के बाद स्थिति में बदलाव आया, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि बीना के पागलपन के बाद भी उसके पति ने उसे अपनाया। जबकि वह उसकी मानसिक स्थिति का बहाना बना कर उससे अलग हो सकता था। यहां इस बात की संभावना तो दिखती है कि पति का बीना के प्रति व्यवहार उसका मूल व्यवहार नहीं था, बल्कि समाज व परिवार द्वारा आरोपित व्यवहार है, जिसमें सुधार संभव था। लेकिन संभवतः कि पति के व्यवहार में जो सुधार आया है वह डर की वजह से हो, जो बीना के पीछे जागोरी या किसी महिला संगठन के खड़े होने की वजह से बना!

आज बीना जीवित नहीं है। उसे फिर से पागलपन का दौरा पड़ा था। उसकी मानसिक स्थिति में नींद की गोलियां अधिक मात्रा में खा लेने के कारण से बीना की मृत्यु हो गई। गोलियां उसने खुद खाई या किसी ने खिलाई; अब तो वह माइके में थी फिर उसका इलाज समय पर क्यों नहीं हुआ; बीना के इलाज में लापरवाही का दोषी कौन है, ये सारे सवाल उसकी मृत्यु के साथ ही खामोश हो गए हैं।

पर लगा लिये हैं हमने - 2
अब पिंजरों में कौन बैठेगा, ज़रा सुन लो

जब तोड़ दी हैं ज़ंज़ीरें - 2
तो कामयाब हो जायेंगे, ज़रा सुन लो

शांति

शांति सोलह साल की उम्र में अपने घर, अरुणाचल प्रदेश से अपने मुंहबोले भाई के परिवार के साथ दिल्ली आ गई थी। ओपन स्कूल से दसवीं की परीक्षा जब शांति ने दी तो भाई जिसे वह भैया कहती थी, ने कहा कि वो भी उनके साथ दिल्ली चले। भाभी ने बच्चे को जन्म दिया था और उन्हें देखभाल की जरूरत थी। माता-पिता ने भी भाई के इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। बकौल शांति पिता को बेटियां बोझ लगती थीं, वो भी एक नहीं सात बेटियां थीं। उनकी इच्छा रहती थी कि बेटियां नजरों से दूर ही रहें तो बेहतर है? भैया सी.आर.पी.एफ. में कार्यरत थे। वह अपनी पोस्टिंग पर चले गए। शांति भामी के साथ दिल्ली में रह गई। भैया के एक छोटे भाई भी थे जो उसी परिवार में साथ रहते थे। उन्होंने शांति को एक कंपनी में नौकरी लगवा दी, ताकि जब वह घर वापस लौटे तो उसके पास कुछ पैसे भी हों। शांति नौकरी करने लगी, लेकिन भैया के परिवार का रवैया बदलने लगा, उसके प्रति उनके व्यवहार में कड़वाहट आने लगी। वहीं शांति को भैया के छोटे भाई के रूख में भी बदलाव साफ दिखने लगा था।

बकौल शांति 'वह मुझ पर गलत नजर रखने लगा था, पर मैं यह सब बातें किसको बताती। अकेली रोती थी। ऐसा कोई व्यक्ति मेरे पास नहीं था जिससे अपनी बातें शेयर करती, सलाह लेती। मैं बहुत अकेली थी। उम्र भी ज़्यादा नहीं थी।' शांति जिस कंपनी में काम करती थी वहां ज़्यादा रात होने पर कंपनी की गाड़ी उसे घर छोड़ दिया करती थी। अपनेपन की तलाश से जूझती शांति की दोस्ती उस गाड़ी के ड्राइवर से हो गई जो धीरे-धीरे नज़दीकियों में परिणत हो गई। वह ड्राइवर नेपाल निवासी था। इस बात की जानकारी जब भैया के परिवार वालों को हुई तो उन्होंने शांति को वापस उसके घर भेज दिया, लेकिन उसके पिता उसे घर पर रखने को तैयार नहीं हुए, वह वापस दिल्ली आ गई। अब वह उसी ड्राइवर के साथ रहने लगी। इस रिश्ते में वह गर्भवती हो गई। यह सुनकर शांति की मां दिल्ली आई और उस आदमी से मिली। शांति की मां ने जब विवाह के लिए कहा तो उसने इसके लिए हामी भरी और उसे गांव ले जाने की इच्छा जाहिर की।

वक्त बीतता गया और उसने एक लड़के को भी जन्म दिया। बीच-बीच में वह अक्सर दो-तीन महीनों के लिए गांव चला जाता था। बेटे के जन्म के बाद वह उन्हें लेकर नेपाल में अपने गांव आ गया। जहां पहुंच कर शांति को पता चला कि वह पहले से विवाहित है और उसे एक बेटी भी है। इस सच ने उसके पैरों तले ज़मीन खींच ली। आपस में बहुत लड़ाई-झगड़े हुए। पहले से विवाहित होने के बावजूद वह उससे दूसरी शादी करने की बात करने लगा। शांति के आत्मसम्मान ने दूसरी पत्नी बन कर रहना स्वीकार नहीं किया। वह बच्चों को लेकर वापस दिल्ली आ गई। बाद में

वह आदमी दिल्ली भी आया और बच्चों को अपने साथ ले जाने की बात करने लगा। शांति इसके लिए तैयार नहीं हुई। वह फिर उसके साथ कुछ दिन रहा फिर उसके नाम चिट्ठी छोड़कर नेपाल वापस चला गया। शांति उस चिट्ठी को लेकर पुलिस के पास गई, लेकिन पुलिस ने यह कह कर अपने हाथ खड़े कर लिए कि यह मामला नेपाल का है, वे इसमें कुछ नहीं कर सकते। वह चिट्ठी भी पुलिस वालों ने अपने पास ही रख ली।

मात्र उन्नीस साल की उम्र, दो छोटे बच्चे, न तो सिर पर छत था और न ही हाथ में नौकरी, दिल्ली जैसे महानगर में ज़िंदगी इतनी आसान नहीं थी। उसने मां-बाप से बच्चों की कुछ समय देखभाल करने की सहायता मांगी। बकौल शांति 'घरवालों को तो शुरू से यही लगता था मैं बोझ हूं। एक बार मम्मी-पापा को बोला भी कि मेरे बच्चों को थोड़े दिन देख लो जब तक मैं सेटल हो जाऊं, लेकिन जब मैंने बच्चों को मां के पास भेजा तो उन्होंने बच्चों पर कुछ ध्यान ही नहीं दिया। एडमिशन तक नहीं कराया था। तो मुझे लगा कि जो करना है अब मुझे ही करना है मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है।' बच्चों को कभी पड़ोसी के, कभी मकान मालिक के हवाले कर, वह नौकरी के लिए जाने लगी।

इस बीच उसने अपनी पढ़ाई भी जारी रखा। सुबह उठ कर बच्चों के लिए दिन भर का खाना बनाना, नौकरी पर जाना और रात को जाग कर पढ़ाई करना उसकी रोज की दिनचर्या हो गई। ज़िंदगी चल रही थी, पर एक खालीपन था। प्यार और अपनेपन की कमी उसे लगातार खल रही थी। एक दिन अचानक बस में उसकी मुलाकात संजीव एक व्यक्ति से हुई। वह बिहार का था। शांति की मां भी बिहार की है। शांति को एक ही प्रदेश के होने की वजह से अपनापन सा लगा। यह मुलाकात फिर फ़ोन नंबरों की अदला-बदली में तब्दील हो गई। अब संजीव के अक्सर फोन आने लगे। उसने संजीव को बता रखा था कि उसकी शादी हो चुकी है और पति साथ ही रहता है। संजीव ने कई बार फोन पर पति से बात करवाने को कहा। एक दिन जिस ऑफ़िस में शांति काम कर रही थी, वहां किसी कर्मचारी की पदोन्नति पर पार्टी का आयोजन किया गया। उस पार्टी से लौटते वक्त शांति को तबीयत खराब होती हुई महसूस हुई, उसी वक्त संजीव का फ़ोन आ गया। उसने संजीव को फ़ोन कर इस बात की जानकारी दी। संजीव उसे लेने वहां पहुंच गया और घर तक उसे छोड़ने आया। सुबह 11 बजे जब शांति को होश आया तो उसने देखा संजीव रात भर वहीं रहा था। संजीव ने घर देख लिया था और अब वह अक्सर आने लगा। संजीव ने उसे विश्वास दिलाया कि वह उससे प्रेम करता है और कोर्ट में शादी भी करेगा। संजीव और शांति के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगीं और वह दोनों पति-पत्नी की तरह रहने लगे। हालांकि संजीव ने एक और कमरा ले रखा था और वह दोपहर में वहां रहता था और रात को शांति के पास आ जाता था। उनके बीच शादी को लेकर लड़ाई भी होती थी जिसमें वह हमेशा यही कहता रहा कि जैसे ही उसकी नौकरी स्थाई हो जाएगी वह शादी कर लेगा।

2005 से 2013 तक ऐसे ही चलता रहा। एक बार जब संजीव किसी बहाने घर से बाहर था तो रात को शांति के पास वसंत कुंज में रहने वाले किसी व्यक्ति के घर से फोन आया कि वह उनकी डोमेस्टिक हेल्पर के साथ गलत हालात में पकड़ा गया है। शांति उसे थाने से छुड़ा कर लाई। ऐसी ही एक घटना हुई जब शांति की बेटी को नहाते हुए ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे कोई देख रहा है। जबकि घर में संजीव और उसके अलावा कोई नहीं था। उसने यह बात अपनी मां को बताई, लेकिन विश्वास और प्रेम ने शांति की आंखों को बंद कर दिया, उसने इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वर्ष 2013 में जब वह गांव से लौट कर आया तो शांति ने देखा वह अक्सर अपने फ़ोन पर लगा रहता था। कभी छुप कर बातें करता, कभी मैसेज भेजता। **'मैंने एक दिन उसका फोन उससे छुपा कर देखा तो उसमें एक लड़की की तस्वीर थी। मैंने जब उस तस्वीर के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह उसकी मंगेतर है। मैं बहुत रोई, झगडा़ किया तो उसने मुझे बहुत मारा। मैं उससे बहुत प्यार करती थी। वो ऐसे धोखा कैसे दे सकता है मुझे। मुझे उसने इस्तेमाल किया है। उसका बस चलता तो वो मुझे उस दिन मार ही डालता। पैर से, हाथ से, जूते से पता नहीं किस-किस चीज से उसने मुझे मारा। मैंने उससे पूछा फिर मैं क्या हूं? तो कहा तू तो दो बच्चों की मां है, तेरे साथ क्या मैं अपनी ज़िंदगी**

खराब करूंगा।' संजीव फिर घर से निकल कर चला गया। शांति ने थाने में इस मारपीट के खिलाफ़ रिपोर्ट लिखवाई। एस.एच.ओ. ने शांति से संजीव के लौटने पर उन्हें बताने को कहा। संजीव कुछ दिनों बाद वापस लौट आया। उसने शांति से माफ़ी वगैरह मांगी और साथ रहने लगा। इस दौरान संजीव ने कुछ पैसे शांति से उधार लिए और जम कर खरीदारी की। *'मुझे नहीं पता था कि वो अपनी शादी के लिए यह सब खरीद रहा है। तीन चार दिन बाद बिना बताए गांव चला गया और वहां जा कर शादी कर ली। मुझे उसके दोस्तों ने शादी के बारे में बताया। मैं उसके गांव चली गई। वह हनीमून के लिए गया हुआ था। मैंने उसके पिता को सब कुछ बताया, उन्होंने सबूत मांगा। मेरे पास सबूत के तौर पर कुछ भी नहीं था। उसने सब कुछ मिटा दिया था।'* सारे फोटो डिलीट कर दिए थे? शांति वहां थाने में भी शिकायत करने गई, जहां दिल्ली में दर्ज शिकायत की एफ.आई.आर. की कॉपी मांगी गई। वह दिल्ली वापस लौट गई। एफ.आई.आर. करने से पहले संजीव फिर दिल्ली पहुंच गया और शांति से मिल कर बात करने के लिए कहा। शांति ने इसकी सूचना थाने में दी तो वहां से भी यही कहा गया कि वह संजीव से मिल कर बातचीत कर ले, अभी कोई एफ.आई. आर. नहीं हो सकती है। संजीव ने शांति को पहाड़गंज के एक होटल में मिलने के लिए बुलाया, जहां फिर से संजीव ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। संजीव ने कहा कि वो अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता है, अगर इसके बाद भी शांति उसके साथ रहने को तैयार है तो यह संबंध उसे स्वीकार्य है। शांति इस घटना के बाद पूरी तरह टूट गई। कहीं कोई सुनवाई नहीं होती देख हताश हो एन.जी.ओ. की तलाश में लग गई कि शायद उनके माध्यम से उसे न्याय मिल जाए। 'तब मैं जागोरी के संपर्क में आई। अगर जागोरी नहीं होती तो मैं खड़ी नहीं हो पाती। इन्होंने मुझे संभाला मैं तो बिल्कुल टूटी हुई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। इनकी मदद से एफ.आई.आर. दर्ज हुई। अदालत में केस शुरू हुआ, लेकिन मैं केस हार गई।

मुझे लगता है ऐसा कानून होना चाहिए जो औरत की मानसिक स्थिति को भी समझे, कि परेशानी में किस तरह उसने रिपोर्ट लिखाना है, न कि एफ.आई.आर. की भाषा, शिकायत की भाषा में ही उलझ कर रह जाए। मेरी एफ.आई. आर. में यह बात कहीं नहीं थी कि बातचीत के बहाने मुझे बुलाकर उसने फिर से मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया। मैं केस ज़रूर हार गई, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी हूं। मैं हाई कोर्ट जाऊंगी।'

कानून क्या कहता हैः शांति के दोनों ही संबंध लिव इन रिलेशन के अंतर्गत आएंगे। (1) सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में लिव इन रिलेशनशिप को विवाह के दायरे में न रखते हुए भी घरेलू हिंसा कानून के दायरे में माना है। लिव इन संबंध में भी अगर महिला के साथ किसी तरह की हिंसा होती है तो वह घरेलू हिंसा कानून के अंतर्गत शिकायत दर्ज कर सकती है। (2) लिव इन रिलेशनशिप में शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने जैसी शिकायतों की एक बड़ी संख्या है। इन शिकायतों को पहले बलात्कार के अपराध के रूप में दर्ज किया जाता था। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसे मामलों में पुलिस को बलात्कार के बजाए 'विश्वास भंग' या 'क्रिमिनल ब्रीच ऑफ़ ट्रस्ट' के अंतर्गत केस दर्ज करने का आदेश दिया है। (3) यदि कोई पुरुष किसी महिला को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और शादी से इंकार कर दे तो धारा 493 के अंतर्गत महिला शिकायत कर सकती है। और दोषी पाए जाने पर उसे अधिकतम दस साल तक की सजा हो सकती है।

जागोरी द्वारा दी गई सहायताः शांति जागोरी के संपर्क में 2013 में आई, जब संजीव गांव में शादी कर चुका था। शांति भावनात्मक रूप से बहुत परेशान थी। सबसे पहले शांति की काउंसलिंग की गई जिससे वह भावनात्मक रूप से स्थिर हुई। वह चाहती थी कि वो संजीव के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़े। जागोरी ने शांति की इच्छा का ध्यान रखते हुए उसे कानूनी सलाह दी व एफ.आई.आर. दर्ज करवाने में उसकी मदद की। शांति ने अदालत में केस दायर करवाया, और एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। शांति ने अपनी लड़ाई खुद लड़ी उसे बस एक मानसिक सहारे की ज़रूरत थी, जो उसे जागोरी से मिला। इस कानूनी लड़ाई में भी अदालत की कार्यवाही से संबंधित जानकारी

की ज़रूरत जब कभी शांति को होती थी तो वह तुरंत जागोरी से संपर्क करती थी। शांति के शब्दों में -'जागोरी के रूप में मुझे एक सहेली, एक अभिभावक मिल गई है।'

शांति के सफरनामे का मनो-सामाजिक पहलू- शांति के जीवन में आई समस्या की जड़ उस सोच के साथ जुड़ी हुई है जो लड़की के जन्म को बोझ समझती है। शांति की सात बहनें थीं, बेटे की चाह में उसके माता-पिता ने एक के बाद एक आठ बच्चों को जन्म दिया था। स्पष्ट है कि इतने बच्चों का पालन-पोषण करना उनके बस की बात नहीं थी। शांति बचपन से ही उपेक्षित रही। आत्मीयता व लगाव की चाह में वह एक संबंध में गई, लेकिन बाद में उसे पता चल गया कि वह जिस व्यक्ति के साथ संबंध में गई है वह पहले से ही विवाहित है।

पहले व्यक्ति ने विवाहित होने के बावजूद उसे अपनाने की बात कही लेकिन शांति को यह बात सही नहीं लगी। शांति की यह सोच सही थी, लेकिन वही व्यक्ति जब फिर से उसके साथ रहने लगा तो शांति ने इसका विरोध नहीं किया। कहा जा सकता है कि कई बार भावनाएं, व्यवहारिकता व विवेक पर इस कदर हावी हो जाते हैं कि इंसान दूर तक नहीं सोच पाता है, ऐसा ही शांति के साथ भी हुआ होगा। उस व्यक्ति से उसे दो बच्चे भी हुए। एक दिन अचानक वह व्यक्ति उसे छोड़ कर चला गया, जिसकी रिपोर्ट उसने पुलिस में लिखवाई भी थी। फिर एक बार वह दूसरे व्यक्ति संजीव के साथ 'लिव इन' में गई। आज समाज में 'लिव इन' जैसे संबंधों का काफी प्रचलन है। इसे विवाह जैसे बंधनपूर्ण सामाजिक ढ़ाचें के विरोध में' एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। इसकी खासियत यह है कि इसमें स्त्री-पुरुष के संबंधों में समाज का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। दोनों पार्टनर के बीच जब तक सामंजस्य बना रहता है तब तक यह रिश्ता चलता है, जब इनमें से किसी एक भी पार्टनर को रिश्ते में से निकलना होता है वह निकल सकता है।

लेकिन भारतीय समाज में महिलाओं का जिस प्रकार का समाजीकरण हुआ है उसमें अक्सर किसी रिश्ते से निकलना उनके लिए आसान नहीं होता है। 'लिव इन' में वह भावुक क्षणों में पुरुष पार्टनर के साथ चली तो जाती हैं, लेकिन जब पुरुष पार्टनर उस रिश्ते से निकल जाता है या निकलना चाहता है तो इस तथ्य को स्वीकारना, महिला के लिए संभव नहीं हो पाता है। कानूनी तौर पर यह मामला धोखे का नहीं बन पाता, क्योंकि 'लिव इन' रिश्ता यौन शोषण से जुड़े कानून के दायरे में नहीं आता है।

घरेलू हिंसा कानून के तहत केवल 'लिव इन' में हुई हिंसा को शामिल किया गया है, इस रिश्ते को कानूनी जामा नहीं पहनाया गया है। कानूनी जामा इसे पहनाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि इस रिश्ते की अवधारणा ही कानूनी व सामाजिक मान्यताओं के विरोध में बनी है। इस तरह के रिश्तों में यह साबित करना बहुत कठिन होता है कि पुरुष ने किसी तरह का वायदा करके महिला के साथ संबंध बनाया था, क्योंकि यह दो व्यक्ति के बेहद निजी दायरे की बातें होती हैं। कई मामलों में यह भी देखा गया है कि महिला अपने पार्टनर का रिश्ते से निकलना सह नहीं पाती तब वह सहमति से बने शारीरिक संबंध को 'रेप' कहकर या 'शादी का वायदा कर संबंध बनाने' जैसे आरोप लगा कर अपने पार्टनर को रोकने का प्रयत्न करती है। हालांकि महिलाओं का इस तरह के आरोप लगाने के पीछे मकसद केवल संबंध को बचाना होता है। महिलाओं को इस रिश्ते में जाने से पहले इस रिश्ते की सीमाओं के लिए मानसिक तौर पर तैयार होना होगा, क्योंकि इसी तरह की असुरक्षा से बचाव के लिए ही 'विवाह' जैसी सामाजिक संस्थाएं हैं, पर उसकी भी अपनी समस्याएं हैं।

शांति के सफ़रनामे में आत्मीयता व प्रेम की निरंतर तलाश है, और उस तलाश में वह ज़िंदगी के, संबंधों के कई रूपों को देखती है। उसके सफरनामे का सबसे सकारात्मक पहलू यह है कि उसकी संघर्ष भावना की धार सभी घटनाओं के बाद पैनी होती जाती है। जीवन में एक तरफ वह रिश्तों को जी रही है, उनसे हार रही है, लेकिन दूसरी तरफ अपनी शिक्षा पर ध्यान देकर खुद को मजबूत करती जा रही है, अपने पैरों पर पूरी तरह खड़ी है, अपने किसी भी फैसले के लिए वह किसी पर निर्भर नहीं है।

जरीना

'आदमी शराब पीकर, मारपीट कर बोले 'तलाक-तलाक-तलाक' तो सब सही है, ये उसका हक है, औरत सब कुछ झेलती रहे, वो उस ज़िंदगी से छुटकारा चाहेगी तो, ये ग़लत है। पति से अपनी इच्छा से अलग होने का उसे अधिकार नहीं है। कुरान ने औरतों को भी हक दिया है कि वे तलाक लें, पर उनके नुमाइंदे औरतों को नैतिक शिक्षा देने लगते हैं कि पति से तलाक लेना गलत है। दोजख़ मिलेगा। वाह! खुदा के नाम पर कुछ भी कर लो। खुला का अधिकार कुरान ने औरतों को दिया है, फिर ये लोग कौन होते हैं हमसे ये हक छीनने वाले। जरीना की पहली शादी ग्यारह साल की उम्र में हुई थी। उसकी मां जो स्वयं घरेलू हिंसा की शिकार थी एक दिन हिम्मत कर, अपनी दुधमुंही बच्ची को गोद में ले उस तकलीफदेह ज़िंदगी से बाहर निकल मद्रास से दिल्ली आ गई थी। नौकरी की तलाश में इधर-उधर भटकती रही और छोटे-मोटे काम कर अपना और अपनी बच्ची का पेट भरती रही। जब बच्ची की उम्र ग्यारह साल हो गई तो बेटी की सुरक्षा मां के लिए एक समस्या बन गई। मजबूरन उसने जरीना की शादी उस छोटी उम्र में कर दी। पति इक्कीस-बाइस साल का जवान था। शादी के कुछ साल बाद जब बेटी हुई तो जरीना के प्रति ससुराल वालों का रवैया बदल गया। बेटी को जन्म देने का ताना और मारपीट उसके जीवन का हिस्सा बन गया। फिर दूसरी बेटी हुई और फिर एक बेटा। बेटे के जन्म के बाद जैसे ही उसकी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर होने लगी कि पति फेफड़े की बीमारी का शिकार होकर मर गया। तीन छोटे-छोटे बच्चे और अकेली औरत के लिए ज़िंदगी चलाना बहुत मुश्किल हो गया। जरीना की उम्र भी अभी बहुत कम थी। मां ने जरीना की दूसरी शादी करवा दी।

हालांकि जरीना दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं थी पर मां के व्यवहारिक नजरिए ने उसे शादी के लिए तैयार किया। लेकिन यह दूसरी शादी भी उसके लिए एक दुखद अनुभव ही रही। शादी के तुरंत बाद ही ससुराल वालों की तरफ से दहेज की मांग, मारपीट और बेटे की दूसरी शादी करने की धमकी शुरू हो गई। शादी के बाद ही जरीना को पता चल गया था कि उसके पति की पहले भी एक बार शादी हो चुकी है, जिसके बारे में उन्हें नहीं बताया गया था। कुछ साल जरीना का विवाहित जीवन इसी प्रकार चलता रहा। कुछ साल बाद उसे पता चला कि पति ने दहेज के लालच में दूसरी शादी तो काफी पहले ही कर ली थी। दोनों ही जगह वो रिश्ते को चला रहा था। जरीना दूसरी पत्नी के घरवालों के पास गई और उन्हें बताया कि उन्हें भी धोखा दिया गया है। जिस आदमी को वे अपनी बेटी या बहन का पति समझ रहे हैं वह तो पहले से ही विवाहित है। लेकिन जरीना के पास अपनी बात को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था, शादी से संबंधित सभी दस्तावेजों को उसके पति ने पहले ही फाड़ दिया था। मजबूरन वह

उस पति कहलाने वाले आदमी के खिलाफ कुछ नहीं कर पाई। अकेले ही अपने बच्चों का पालन-पोषण करने लगी। पंद्रह वर्ष की आयु में बेटे का साथ भी छूट गया। बेटा बीमार हुआ और ठीक नहीं हो पाया। इतने संसाधन भी नहीं थे जिसका इस्तेमाल कर वह बेटे की जान बचा पाती।

जरीना दिल्ली के जिस इलाके में रहती है वहां नशे का व्यापार खुलेआम चलता है, कहीं कोई रोकने वाला नहीं है। उसकी दोनों बेटियां भी नशे की लत का शिकार हो गईं। जरीना की अथक कोशिश भी उन्हें इस भंवर से निकाल नहीं पाई। बेटियों ने इस नशे की स्थिति में शादियां भी कीं और बच्चे भी हुए। मां-बाप दोनों नशे में रहते तो बच्चे भूखे प्यासे यहां से वहां भटकते रहते। जरीना से यह बर्दाश्त नहीं हुआ वह दोनों बेटियों के बच्चों को अपने पास ले आई। इसी दौरान वह जागोरी के संपर्क में भी आई। जागोरी की बैठकों में शामिल होने लगी। महिला अधिकारों से संबंधित सूचनाओं से उसकी सोच में जबरदस्त बदलाव आया। अब वह महिला अधिकारों का कहीं भी हनन होते देखती तो अकेली ही संघर्ष के लिए उतर पड़ती। महिला मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता व संघर्ष जरीना के स्वभाव का हिस्सा बन गया है।

कुछ समय पहले ही उसने एक और शादी की है। बकौल जरीना *'वो पड़ोस में ही रहता था। उसकी पत्नी मर चुकी है, दो छोटे बच्चे हैं छह और आठ साल के। उन्हें मैं अक्सर देखती थी। गंदे, भूखे-प्यासे घूमते रहते थे। मुझे बच्चों पर बहुत दया आती थी, बिना मां के बच्चे थे। खुद के लिए भी लगता था, कोई तो हो, जो मुझे प्यार करे। मेरे बारे में भी सोचे। बहुत अकेलापन था। मैंने बच्चे के पिता से शादी कर ली। हालांकि मां इसके लिए तैयार नहीं थी। उन्हें लगता था कि ये आदमी ठीक नहीं है। मां इस वजह से मुझ से आज भी बात नहीं करती हैं।'* जरीना ने बच्चों के प्रति दया और काफ़ी हद तक अपनेपन की तलाश में एक बार फिर से शादी जैसे रिश्ते में जाने का जोखिम उठाया। कुछ महीने तो सब कुछ ठीक चला। लेकिन धीरे-धीरे पति के व्यवहार में बदलाव आने लगा। नशा करना और अड़ोसी-पड़ोसी के खिलाफ़ अनर्गल बातें करना उसका रोज का काम हो गया। *'आसपास के लोगों के बारे में, महिलाओं के बारे में इतनी गंदी-गंदी बातें करता है, मुझसे सहन नहीं होता है। बहुत घटिया बातें करता है, मैं अपने मुंह से बोल भी नहीं सकती। कुछ कमाता नहीं है, जो कभी थोड़ा रिक्शा चला कर कमाता है नशे में उड़ा देता है। मैं किसी तरह जागोरी में सफाई का काम करके और थोड़ा बहुत दूसरे घरों में काम करके जो कमा रही हूं उससे सात बच्चों का और हमारा पेट भर रहा है। उसमें भी वो मुझसे पैसे मांगता है। न दो तो लड़ाई झगड़े करता है। कहता है उसके दो बेटे थे इसलिए मैंने उससे शादी की। दीदी मैंने क्या चाहा था उससे, थोड़ा प्यार ही ना! और उसके बच्चे, जिनके लिए मैंने इतना सोचा, इतना प्यार दिया, मुझे पता है वे भी कभी मेरे नहीं होंगे। बाप पूछता भी नहीं है, पर शाम को घर आता है तो उसी के पास दौड़ कर जाते हैं।'*

जरीना को इस शादी से भी परेशानी और दुख के अलावा कुछ नहीं मिला। पर वो अब इस रिश्ते से मुक्ति चाहती है, रोज-रोज के लड़ाई-झगड़ों ने उसे अब बहुत थका दिया है। खुला (तलाक) के लिए वह क़ाज़ी के पास गई तो एक क़ाज़ी ने उसे नैतिकता का पाठ पढ़ा कर उल्टे पांव लौटा दिया कि पति से तलाक औरतों के लिए कितना बड़ा गुनाह है। दूसरे क़ाज़ी ने खुला देने के लिए कुछ हज़ार रुपयों की मांग उसके सामने रख दी। ये समझे बिना कि जो औरत बमुश्किल दो जून की रोटी जुटा रही है, वह इतने पैसे कहां से लाएगी। जरीना खुला चाहती है, और वह इसके लिए प्रयासरत है। जरीना ने हिम्मत नहीं हारी है, हार भी नहीं सकती, क्योंकि यह उसके स्वभाव में भी नहीं है।

कानून क्या कहता हैः भारत में मुस्लिम समुदाय मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) अनुप्रयोग अधिनियम, 1937 द्वारा शासित हैं। यह मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ को निर्देशित करता है, जिसमें शादी, महर, तलाक, देखभाल, उपहार, वक्फ़, चाह और विरासत शामिल है। इस्लाम औरत को अपनी मर्जी से तलाक लेने का भी अधिकार देता है। अगर शौहर मांगने के बावजूद भी तलाक नहीं

देता तो बीवी के लिए इस्लाम में यह आसानी रखी गई कि वो शहर क़ाज़ी (जज) के पास जाए और उससे शौहर से तलाक दिलवाने के लिए कहे। इस्लाम ने क़ाज़ी को यह हक़ दे रखा है कि वो उसका रिश्ता खत्म करने का एलान कर दे, जिससे उनका तलाक हो जाए। कानून में इसे 'खुला' कहा जाता है। मुस्लिम विवाह विच्छेद कानून, 1939 (डिजॉल्यूशन ऑफ़ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939) केवल मुस्लिम स्त्री के तलाक के अधिकार के बारे में है। इसके मुताबिक भारत में कोई भी मुस्लिम स्त्री अपने पति से नौ बड़ी वजहों के आधार पर तलाक ले सकती हैं। पति का गैर ज़िम्मेदाराना होना, पत्नी का भरण पोषण न करना, नपुंसक होना, जेल में होना, क्रूर होना, मानसिक रूप से अस्थिर होना, मारपीट करना, 7 साल से लापता होना आदि।

जागोरी द्वारा दी गई सहायताः जरीना जागोरी की विभिन्न बैठकों में शामिल होती रही है। महिला अधिकारों से संबधित जानकारियों से वह लैस हो गई है। अब वह स्वयं भी महिला मुद्दों पर आवाज़ उठाने लगी है, अक्सर अन्य महिलाओं से संबधित मामले लेकर भी जागोरी में आने लगी है। जरीना जब पहली बार जागोरी में आई थी, तब वह अपनी समस्याओं से काफ़ी परेशान थी। जागोरी द्वारा उसकी काउंसलिंग की गई। उसके बाद जागोरी के साथ उसका अटूट संबंध बन गया है। जरीना समय-समय पर बेटी के नशे की आदत, पति का मसला व अब 'खुला' के प्रयास आदि अपने विभिन्न मसलों को लेकर काउंसलिंग के लिए आती रही है। आर्थिक मदद के रूप में जागोरी ने अपने बवाना ऑफ़िस की सफ़ाई की ज़िम्मेदारी जरीना को दे दी है। जरीना को खुद से शिकायत है कि उसने पढ़ाई क्यों नहीं की, अगर वह पढ़ी-लिखी होती तो जागोरी के अन्य कामों में भी मदद करती।

जरीना के सफ़रनामे का मनो-सामाजिक पहलू- जरीना के व्यक्तित्व में जुझारुपन उसकी मां से विरासत में मिली है। मां भी घरेलू हिंसा का विरोध में अपनी दुधमुंही बच्ची को लेकर घर से निकल गई थी। जरीना को जहां भी अन्याय या गलत होता दिखता है वह उसके विरोध में खड़ी हो जाती है। जरीना के सफरनामे में भी हम देख सकते हैं कि पति की मृत्यु के बाद बच्चों के पालन-पोषण के लिए वह दूसरी शादी करती है, लेकिन वह शादी चल नहीं पाती, क्योंकि बच्चों के पालन-पोषण में दूसरे पति का सहयोग तो नहीं ही मिलता है, बल्कि पति ही उससे धन की मांग करने लगता है। बेटियां नशे का शिकार हो जाती हैं। जरीना नशे के कारोबार से उस इलाके को मुक्त कराना चाहती है। इसमें उसे जागोरी की मदद चाहिए।

जागोरी की अपनी सीमाएं है वह इस मामले में जरीना की बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पा रही है। पर जरीना जागोरी की सीमाओं को समझ नहीं पा रही है और उसे इस संदर्भ में जागोरी से शिकायत है। जरीना बहुत संवेदनशील है किसी को तकलीफ़ में देखती है तो अपनी सीमाओं को भूल कर उनकी तकलीफ़ों को दूर करने की कोशिश करती है। वह मां के विरोध के बावजूद तीसरा विवाह करती है, क्योंकि बिना मां के बच्चों की तकलीफ़ उससे देखी नहीं जाती और वह उनके पिता से शादी कर लेती है।

अब जरीना पर छह बच्चों की ज़िम्मेदारी है जिसे जी जान लगा कर उठा रही है। तीसरी शादी के पीछे केवल दया या करुणा का भाव नहीं है, अकेलापन, अपनेपन और एक हद तक शारीरिक ज़रूरत भी इसकी वजह है, लेकिन इस विवाह में भी उसे यह सब नहीं मिल पाया, बल्कि शराबी और लालची पति ने उसके जीवन को कष्टमय बना दिया है, जिससे अब वह मुक्ति चाहती है।

अब न लौटेगी बहार कैसे हम ये मान लें
अब न आएगा क़सर कैसे हम ये मान लें

संगीता

'जब भी बचपन के बारे में सोचती हूं मां का रोता चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। खासतौर पर वो रात जब मैंने उसे अंतिम बार देखा था, वो आंखों के सामने से जाता ही नहीं है। बिल्कुल ठीक थी, पता नहीं किया हुआ मार दी गई या आत्महत्या कर ली, वो सुबह हमारे साथ नहीं थी। उसके बाद मैं बस भटकती ही रही, एक बुआ से दूसरी बुआ, कभी किसी के घर, कभी किसी के। आज तक भटक ही रही हूं।' संगीता की उम्र मात्र अठारह साल है लेकिन उसके जीवन की यात्रा उम्र से कहीं ज़्यादा लंबी है। बिहार के गया जिले के एक संयुक्त परिवार में संगीता का जन्म हुआ था। उसके जन्म लेने पर मां के अलावा किसी को कोई खुशी नहीं हुई थी, बल्कि मातम ही मना था। संगीता के पिता किसान हैं। संगीता की मां उनकी दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी से भी उन्हें एक लड़की है। बकौल संगीता बड़ी मां ने भी आत्महत्या की थी।

मां के प्रति पिता का व्यवहार अच्छा नहीं था। दादी व परिवार के दूसरे लोग भी मां को बेटी जन्मी है यह कह कर ताने देते व डांटते फटकारते रहते थे। मां बिना किसी शिकायत के चुपचाप घर का काम करती रहती थी। जब संगीता की बहन मां के गर्भ में आई तो पिता का व्यवहार और खराब हो गया था। **'वो मां के पेट में जोर-जोर से मुक्का मारते थे कि बच्चा पेट में ही मर जाए। कभी जोर से धक्का देते थे। जब बहन ने जन्म ले लिया तो दादी अपना सिर पीटने लगी कि फिर से बेटी हो गई। मां चुपचाप रोती-रोती रहती थीं। वो मेरे बहुत करीब थीं। उस दिन मां-पापा के बीच बहुत लड़ाई हो रही थी। शायद इसलिए कि मेरी मामी मर गई थी औंर मम्मी थोड़े दिनों के लिए अपने भाई की बेटी को अपने साथ रखने के लिए ले आई थीं। उस रात वो हमारे पास आई और हमें सुला कर वापिस अपने कमरे में चली गई थीं। सुबह दादा ने बताया उन्हें ऑक्सीजन लगा हुआ है, फिर दादी ने बताया उन्हें शमशान ले गए हैं। मम्मी ने आत्महत्या नहीं लिया, मेरे पापा ने उन्हें मार डाला। क्योंकि एक बार पहले उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी लेकिन हमें रोता देख उन्हें लगा कि उनके बाद हमारा क्या होगा। वह हमारे बारे में बहुत सोचती थीं, वो आत्महत्या नहीं कर सकती हैं।'**

संगीता के ज़हन में यह घटना अभी भी स्पष्ट रूप से अंकित है। हालांकि उस समय उसकी उम्र मात्र आठ-नौ साल ही थी। मां के मरने के बाद दोनों बच्चियां एक तरह से लावारिस हो गईं। कभी बुआ के पास, तो कभी चाचा के पास उसे रहने भेजा जाने लगा। लेकिन उन घरों

में भी उसके साथ नौकरों जैसा ही व्यवहार होता था। संगीता जैसे-जैसे बड़ी होती गई ने अपने पापा के व्यवहार में भी अंतर आता देखा। 'वो जब मुझे छूते थे तो वो अलग सा महसूस होता था। कभी हाथ लगा कर मेरे गले में पहने चेन को देखने लगते कभी कुछ। कुछ अजीब था जो ठीक नहीं था। उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता है।' बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। वह गर्भवती थी, पढ़ाई के बहाने देखभाल के लिए संगीता को उसके पास भेज दिया गया। सौतेली बड़ी बहन का व्यवहार बहन जैसा नहीं था। वो और उसके ससुराल वालों के लिए संगीता एक नौकरानी भर थी जिसे उनकी बहू के मायके वालों ने उनकी सेवा के लिए भेजा था। मौका पाकर जीजा ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। जब संगीता ने ये बात अपनी बहन को बताई तो बहन ने इस बात को किसी को न बताने की बात कह कर उसे चुप करा दिया। *'उल्टा मुझे ही कहा कि किसी को मत बताना, बदनामी होगी। मुझे कैसा लग रहा है, मैं क्या महसूस कर रही हूं इससे किसी को कोई मतलब नहीं था। मुझे अजीब सा लगता था। अपने आप से, अपने शरीर से नफ़रत होने लगी थी। लग रहा था मर जाऊं, क्या करूं?'* संगीता अपनी सारी बातें एक डायरी में लिखने लगी। उस डायरी को उसके पापा ने पढ़ा और उससे इस बारे में पूछा भी। संगीता ने उन्हें सब कुछ बता दिया और वहां से जाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन उसके पिता उसे तब भी वहां से नहीं ले गए। जीजा की उसमें बढ़ती दिलचस्पी बहन को अच्छी नहीं लग रही थी और उसे इस बात का भी डर था कि कहीं ये बातें संगीता किसी और को न बता दे। संगीता बताती है- 'बहन ने ज़बरदती मेरे हाथों से मुझे ही जहर पिला दिया, और शोर मचा दिया कि संगीता ने जहर पी लिया है। मैं दो दिन तक अस्पताल में रही।' अस्पताल से लौटते हुए कमजोर बीमार संगीता पर भी जीजा को दया नहीं आई और गाड़ी में भी उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। जहर का असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, वह बीमार सी रहने लगी। आस-पड़ोस में भी इस संबंध में बातें होने लगीं। मजबूरन संगीता को वापस घर भेजना पड़ा।

कुछ दिनों बाद पिता ने उसकी शादी ठीक कर दी। इस वक्त संगीता की उम्र केवल सत्रह साल थी। जिस व्यक्ति से उसकी शादी ठीक की जा रही थी वह उम्र में उससे काफी बड़ा था और चरित्र भी उसका ठीक नहीं था। संगीता की सगाई भी हो गई। संगीता को लगा अब बस बहुत हो गया। अब उसे इस स्थिति से निकलना ही होगा। **'मैं हंड्रेड परसेंट श्योर थी कि मैं पकड़ी जाऊंगी, पर मैं एक बार कोशिश करना चाहती थी। पकड़ी जाती तो क्या होता मार ही डालते न। मारते तो वो वैसे भी थे। ये देखिए जलने का निशान। आग की लकड़ी से चाचा ने कितनी बार मारा। मेरा पूरा देह नीला पड़ जाता था इतना मारते थे, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। मेरा घर से बाहर निकलना भी मना था। मैं ब्लाउज सिलवाने के नाम पर पापा से सौ रुपये ली और बस स्टैंड की ओर निकल गई। रास्ते में मुझे लगा कि वहां तो कोई न कोई परीचित मिल जाएगा जो पापा को खबर कर देगा। मैं दूसरे खाली रास्ते से उस तरफ जाने लगी और एक गाड़ी जो बगल से गुजर रही थी उससे लिफ्ट ले ली।'** संगीता किसी तरह स्टेशन पहुंची, वहां पर जो पहली गाड़ी मिली उसमें बैठ गई। उसे डर था कि वह पकड़ी न जाए, पूरे रास्ते उसने अपने चेहरे को छिपाए रखा। दिल्ली पहुंचने के बाद उसे समझ नहीं आया कहां जाए। वहीं स्टेशन पर बैठ कर रोने लगी। उसके पास ही बैठी एक महिला ने जब उसे रोते हुए देखा तो उससे रोने की वजह पूछी। संगीता को लगा कि अगर वो यह उन्हें बताती है कि वो घर से भाग कर आई है तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा और पुलिस उसे वापस घर भेज देगी। संगीता ने उन्हें बताया कि वह घर से दिल्ली अपनी पढाई के लिए आई है, उसे दिल्ली में एक कमरा लेना था, लेकिन रास्ते में उसका सामान चोरी हो गया है। उस महिला ने उसे कुछ पैसे दिए और किराए के एक सस्ते घर का पता दिया। संगीता दिल्ली के लक्ष्मी नगर में महिला द्वारा बताए गए पते पर रहने आ गई। अगले दिन सुबह छिपते-छिपाते दुकान पर जा कर अपनी सोने की चेन बेच दी जिससे उसके पास कुछ पैसे आ गएं। उसने उस पैसे से घर का किराया चुकाया और कुछ खाने का सामान ले कर आई। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। उसे इस बात का पूरा डर

था कि वह अठारह साल की अभी नहीं हुई जैसे ही किसी को पता चलेगा कि वह घर से भाग कर आई है उसे वापस पिता के पास भेज दिया जाएगा। अठारह वर्ष की होने में अभी छह महीने पूरे बचे थे। मकान मालिक व अड़ोसी-पड़ोसी की मदद से उसे एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी मिल गई। छह महीने वह इसी तरह छुप कर रही। जब वह पूरी अठारह वर्ष की हो गई तब वह किसी वकील की तलाश में लग गई जो कानूनी तौर पर उसे अपने पिता के चंगुल से निकलने में मदद करे। वो भटकती हुई तीस हजारी पहुंची। वहां महिला वकील का पता पूछते हुए एक महिला वकील के पास पहुंची। उस महिला वकील ने उसे आश्वासन दिया कि वह उसे इन झंझटों से निकाल देगी, एक एफिडेविट बनवा देगी जिसके बाद परिवार का कोई व्यक्ति परेशान नहीं कर पाएगा। पर इस काम में चालीस हजार रुपये लगेंगे। संगीता के लिए फिलहाल दो रोटी और छत जुटाना मुश्किल पड़ रहा था चालीस हजार तो बहुत दूर की बात थी। कोर्ट के बाहर उसे एक और महिला मिली जिसने उसे एन.जी.ओ. के पास जाने की सलाह दी। एन.जी.ओ. की तलाश में लगी संगीता को 'एक्शन एड' में कार्यरत दिपाली से मुलाकात हुई। उसने अपनी सारी आपबीती उन्हें सुनाई। 'एक्शन एड' महिला मुद्दों पर स्वयं नहीं काम करता है, इसलिए उन्होंने संगीता को जागोरी के पास भेजा। जागोरी को भी संगीता ने अपनी पूरी कहानी बताई। जागोरी ने जब उसके घर का फोन नंबर व पता पूछा तो वह उन्हें अगले दिन ला कर देने की बात कर वहां से चली गई।

बकौल संगीता उसे लगा कि जागोरी उसके पिता का नंबर लेकर उन्हें यहां बुला लेगी और वह उसे यहां से फिर घर ले जाएंगे। संगीता ने फिर से दिपाली से संपर्क किया। दिपाली ने उसे महिला आयोग जाने को कहा। संगीता महिला आयोग भी गई व 181 पर भी अपनी शिकायत लिखवाई। इस बीच उसने फोन से अपने घर भी संपर्क किया, पिता ने जहां उसे वापस लौट आने को कहा और धमकी भी दे डाली कि बिहार पुलिस उसे खोज रही है। उसने अपनी बड़ी बहन से भी बात करी तो उसने संगीता को लौटने से मना किया। उसे फोन से जानकारी मिली कि उसके घर से जाने के बाद उसके पिता ने, अपने घर की इज़्ज़त को बचाने के लिए, पुलिस में किसी लड़के का नाम लगाते हुए रिपोर्ट लिखा दी है कि संगीता उस लड़के के साथ भाग गई है। उस लड़के का फोन भी उसके पास आया कि उसे यहां फंसाया जा रहा है कि उसने संगीता को भगा दिया है। आयोग ने संगीता के घर पर संपर्क कर उसके पिता को बातचीत के लिए बुलाया। वह दिल्ली आए, जब उनसे जवाब मांगा गया तो उनके पास अपने बचाव के लिए कोई तर्क नहीं था, बल्कि वह इन सब बातों के लिए संगीता को ही दोषी ठहराने लगे। आयोग ने उन्हें प्रति माह उसे कुछ पैसे जेब खर्च के तौर पर देने को कहा, ताकि वह दिल्ली में रह कर पढ़ाई कर सके। उसके पिता प्रति माह हजार रुपये जेब खर्च के तौर पर उसे देने को तैयार हुए फिर वापस अपने गांव लौट गए, लेकिन उन्होंने एक पैसा भी जेब खर्च के तौर पर संगीता को नहीं भेजा। संगीता को दिल्ली में रहने के लिए एक नौकरी की बहुत ज़रूरत थी, दिपाली ने उसे एक कंपनी में नौकरी दिलवाने में मदद की।

संगीता फिलहाल दिल्ली में है और उसी कंपनी में काम कर रही है। उसने अपना ठिकाना भी बदल लिया है क्योंकि लक्ष्मी नगर के कमरे का किराया ज़्यादा था, उसके लिए उतना पैसा देना संभव नहीं था। जिस कंपनी में है उसने उसे सेल्स विभाग में डाल दिया है जहां काम करने में उसे दिक़्क़त आ रही है और उसे डर है कि इस वजह से उसका वेतन भी कम हो जाएगा। सपने बहुत सारे हैं लेकिन उसे नहीं पता भविष्य का क्या होगा।

कानून क्या कहता है- यदि अविवाहित पुत्री बालिग हो और उसकी आय का कोई जरिया न हो अथवा उसके लिए सक्षम नहीं है तो वह पिता से निर्वाह खर्च या गुजारा भत्ता ले सकती है। गुजरात हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में यह व्यवस्था दी है। फैसले के अनुसार सी.आर.पी.सी. की धारा 125 के तहत अविवाहित बालिग पुत्री पिता से गुजारा भत्ता मांग सकती है।

जागोरी द्वारा दी गई सहायता- संगीता को जागोरी के पास 'एक्शन एड' की डायरेक्टर दिपाली ने भेजा था। संगीता

जब जागोरी में आई तब वह काफ़ी घबराई हुई थी। उसे डर था कि उसके परिवार वाले ज़बरदस्ती उसे वापस धर ले जाएंगे। वहीं वह उस केस से भी डरी हुई थी जो उसके परिवार वालों ने उसके घर से भागने के खिलाफ़ दर्ज कर रखा था। उसकी आपबीती सुनने के बाद जागोरी ने उसके घर का पता व फोन नंबर मांगा, ताकि वह रिकॉर्ड में रहे तथा ज़रूरत पड़ने पर उसके घरवालों को बुलाकर उनसे बातचीत कर संगीता को उसके अधिकार दिलवाए जा सकें, लेकिन संगीता से जब जागोरी ने उसके घर का पता मांगा तो वह डर गई और फिर वहां नहीं आई।

दिल्ली महिला आयोग ने जब उसके पिता से बातचीत की और उसके बाद भी कोई हल नहीं निकला तब फिर संगीता जागोरी के पास आई। जागोरी उसके साथ लगातार संपर्क में है। संगीता की काउंसलिंग लगातार वहां चल रही है। जागोरी ने संगीता की सुरक्षा और परिवार वालों द्वारा उसके खिलाफ़ दर्ज रिपोर्ट के संदर्भ में बिहार पुलिस को पत्र लिखा है। संगीता की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। जागोरी इस प्रयास में लगी है कि संगीता को गुजारा भत्ता उसके पिता की तरफ से मिले ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके।

अभी हाल में दिल्ली महिला आयोग ने संगीता को बिहार जा कर कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा है ताकि उसके और संबंधित लड़के के खिलाफ़ लिखाई गई रिपोर्ट खारिज हो सके। संगीता को डर है कि वह अगर अकेली गांव जायेगी तो उसके साथ कुछ गलत भी हो सकता है। संगीता ने अपने इस डर को जागोरी के सामने जाहिर किया था। जागोरी सीनियर वकीलों से सलाह-मशिवरा कर रही है कि किस तरह यह मामला दिल्ली कोर्ट में आ जाए, या संगीता का बयान दिल्ली में दर्ज हो जाए और संगीता को बिहार न जाना पड़े। जागोरी का कहना है कि अगर ऐसा संभव नहीं हो पाया तो जागोरी संगीता के लिए बिहार जा कर अपना बयान देने हेतु कोई सुरक्षित व्यवस्था करेगी।

संगीता के सफ़रनामे का मनो-सामाजिक पहलू- संगीता ने अपने छोटे से जीवन में एक लंबी लड़ाई लड़ी है, वह लड़ाई अभी भी जारी है। उसके व्यक्तित्व में हिम्मत और डर दोनो को साथ-साथ देखा जा सकता है। बातचीत करते हुए भी वो बहुत चौकन्नी व डरी हुई थी। कहती है 'मुझे अकेले कमरे में रात को नींद नहीं आती है, लाईट जलाकर कच्ची नींद सोती हूं। सड़क पर चलती हूं तो लगता है कोई पीछा कर रहा है।' उसे इस शहर से डर नहीं लगता है, उसे डर है कि पुलिस, परिवार के लोग उसे यहां से ले जाएंगे। उसके खिलाफ़ गांव में केस दर्ज है, कभी भी पुलिस ले जाएगी। उसे डर है कि वह लड़का जिस पर संगीता को भगाने का आरोप है वो कहीं उससे बदला लेने यहां न आ जाए। उसे डर है कि ऑनर किलिंग की तरह उसे भी उसके परिवार वाले मार न डालें। उस डर में वह आज भी जी रही है जिस को लेकर वो घर से भागी थी।

संगीता की कहानी में कई बार ऐसा लगा कि कहीं कोई कड़ी है जो स्पष्ट नहीं है, छुपी हुई है। मसलन जब वह दिल्ली पहली बार आई तो कुछ समय, जब तक वह अठारह साल की नहीं हुई छिप कर रही, स्कूल में नौकरी की। इतने समय उसका खर्चा पानी कैसे चला? स्कूल में नौकरी कैसे लग गई? यह कुछ सवाल हैं जिनका जवाब संगीता के पास भी नहीं है। संगीता दिल्ली जैसे बड़े शहर में खुद को बहुत अकेला महसूस करती है, वह पढना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। संगीता के मामले में घर की चारदीवारी के अंदर होने वाले यौन उत्पीड़न को भी देखा जा सकता है, जिसके तार उसके पिता से लेकर जीजा तक फैले हुए हैं। बहन जो स्वयं भी महिला है, संगीता को एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देख रही है। बहन के प्रति पति की गलत नजर पर रोक लगाने की जगह समाज परिवार तक यह बात न पहुंचे, इस बात को छिपाने की कोशिश करती है। अक्सर देखा गया है कि समाज में जब किसी महिला के प्रति अन्याय या हिंसा होती है तो संबंधित पुरुष से जुड़ी महिलाएं पुरुष के साथ खड़ी हो जाती हैं, और महिला को ही गलत साबित करने लगती हैं। यही प्रवृत्ति हम यहां भी

देखते हैं, यह भी पितृसत्ता के ताने बाने का ही उदाहरण है, जिसके गिरफ़्त में महिलाएं भी हैं। संगीता को जहर देने की घटना के रूप में हम इस मानसिकता की अति को देख सकते हैं। संगीता जब जीजा के व्यवहार की शिकायत अपने पिता से करती है तो उन्हें यह कोई बड़ी बात नहीं लगती है। समझा जा सकता है कि परिवारों के अंदर, महिला का यौन उत्पीड़न होना, कितनी सामान्य घटना के रूप में आत्मसात् कर लिया गया है। इस तरह की घटनाओं या व्यवहार को स्वभाविक मान कर महिलाएं व पुरुष दोनों ही स्वीकार कर लेते हैं।

महिलाएं यह मानती कि यह उनकी नियति है, ऐसा ही होता है, वहीं पुरुष इसे प्राकृतिक अधिकार मान लेता है और इस तरह की हरकतों को दोहराने की ताक में लग जाता है। यह व्यवहार कोई आधुनिक युग की देन नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें सदियों से जमी हुई हैं। अब जागरुकता की वजह से इसके खिलाफ़ आवाज़ उठनी शुरू हुई हैं।

परिवर्तन की वाहक ये महिलाएं- हमने इस दस्तावेज में छह केस स्टडीज ली हैं। इसमें पैंसठ वर्ष की उम्र से लेकर सत्रह वर्ष की उम्र तक की महिलाओं के दैनिक जीवन में होने वाली हिंसा के विभिन्न रूपों को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है। इसमें हिंसा के वे रूप भी शामिल हैं जो कानूनी रूप से परिभाषित नहीं हैं, लेकिन ये महिलाओं के जीवन का अविभाज्य अंग हैं। यह सफ़रनामा उन छह महिलाओं के संघर्ष की गाथा है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के सामने घुटने टेकने की जगह उनके खिलाफ़ संघर्ष करने का रास्ता चुना। इनका संघर्ष बेशक अभी किसी मुकाम पर नहीं पहुंचा है, लेकिन जज़्बे ने अभी हिम्मत नहीं हारी है। इन केस स्टडीज को इस दस्तावेज में शामिल करने का उद्देश्य हिंसा के विभिन्न रूपों की पहचान करना व महिलाओं की मानसिक व भावनात्मक यात्राओं के उन पड़ावों का भी अध्ययन करना है जो उनके संघर्ष के जज्बे को प्रभावित करते हैं। ये महिलाएं न केवल अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों से संघर्ष कर रही हैं, बल्कि वे समाज के पितृसत्तात्मक ढांचे के खिलाफ़ चल रहे संघर्ष में चेंन मेकर के रूप में कार्य कर रही हैं। इनमें से लगभग सभी महिलाएं जब अपने अधिकारों के प्रति जागरुक हुईं तब उन्होंने इस संघर्ष को खुद तक ही सिमित नहीं रखा, बल्कि अपने संपर्क में आने वाली सभी महिलाओं को भी जागरुक किया। जरीना अन्याय सहन नहीं कर पाती। किसी भी महिला के खिलाफ़ उसे अन्याय होता दिखता है तो वह न केवल उस महिला को इस बात का एहसास कराती है कि अन्याय सहना गलत है, इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाना चाहिए, बल्कि उसके साथ वह भी अपनी पूरी शक्ति के साथ उस अन्याय के खिलाफ़ खड़ी हो जाती है।

जरीना ने ठान लिया है कि वह महिला अधिकारों से जुड़े मुद्दों के खिलाफ़ हमेशा संघर्ष करेगी। रमेश एक उम्रदराज महिला है, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में उसमें संघर्ष की एक नई लौ जागी है। संघर्ष की इस नई लौ ने उसके समझौतावादी नजरिए के अंधेरे को दूर कर दिया है। अब वह समझौते करने की बात नहीं सोचती, बल्कि समस्याओं से संघर्ष की बात सोचती है। जब उसकी छोटी बहन के पति ने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया तो उसने उसका विरोध किया, उसे जागोरी के पास लेकर आई। रीता की मां या बीना की मां को भी चेंन मेकर के उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। उन्होंने न केवल अपनी बेटियों को संधर्ष के लिए प्रेरित किया, उनके जीवन में आए बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि अपने संपर्क में आने वाली सभी लड़कियों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। इस दृष्टि से नारीवादी काउंसलिंग का मकसद मदद की इच्छुक महिला को मदद देना है। इस प्रक्रिया में वह पीड़ित से सरवाइवर और आगे चलकर खुद अपने दम पर परिवर्तन की वाहक बनती हैं।

सुनीता

को-ऑर्डिनेटर- मदनपुर, खादर

उत्तरदायित्व- 'केस कार्यकर्ता, महिला एवं युवा-जागरुकता, एकल महिला, घरेलू हिंसा से संबधित कार्य में सक्रिय सहयोगी।

'मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। जिस उम्र में शादी का मतलब भी नहीं जानती थी। बहुत ही पीड़ादायी अनुभव रहा। शादी के बाद लगातार मेरे साथ मारपीट होती रही, हर तरह की तकलीफ़ दी जाती। पर एक समय में आकर लगा- अब बस! अब और नहीं। मेरी सहन शक्ति ने जवाब दे दिया। ये सवाल बार-बार परेशान करने लगा- आखिर कब तक ये चलता रहेगा और मैं इसे क्यों झेल रही हूं? अब आगे जो होगा देख जाएगा। मैं अपनी छोटी बच्ची को लेकर अपने माता-पिता के घर मदनपुर खादर आ गई।'

सुनीता 2006 से जागोरी से जुड़ी हुई है। हालांकि सुनीता 2004 में ही अपना ससुराल छोड़कर मां-बाप के घर आ गई थी, पर उसे सामान्य होने व अपने आसपास के माहौल की गतिविधियों से परिचित होने में थोड़ा वक्त लगा। उन दिनों जागोरी नाटक के माध्यम से महिलाओं व किशोरियों के बीच जागरूकता कार्यक्र करती थी। सुनीता को आसपड़ोस की लड़कियों से जागोरी और उसके थियेटर वर्कशॉप के बारे में पता चला था। एक दिन उत्सुकतावश सुनीता भी उस थियेटर वर्कशॉप में जाती है।

'मैं खिड़की से देख रही थी। किसी नाटक का रिहर्सल चल रहा था। पहली बार अपनी समस्याओं से दूर, मुझे एक अलग दुनिया नजर आई। उस दृश्य में मैं बिल्कुल खो गई। बहुत अच्छा था। मन ही मन मैं कल्पना कर रही थी कि मैं इस एक्ट को करती, तो किस तरह से करती। दीदी की नजर मुझ पर पड़ी उन्होंने मुझे बुलाकर पूछा कि क्या मैं भी इस नाटक में शामिल होना चाहती हूं। इच्छा तो हो रही थी पर एक झिझक थी, लग रहा था कि पता नहीं दीदी को मेरा काम कैसा लगेगा, जैसा सोच रही हूं वैसा कर

पाऊंगी भी कि नहीं। पर शायद दूसरों को मुझ पर ज़्यादा विश्वास था। सबने कहा कि नहीं मैं कर सकती हूं, फिर हिम्मत करके मैं उसमें शामिल हो ही गई। जागोरी और मेरे संबंध की यही शुरुआत थी। यही नाटक हमने बवाना में भी खेला था। यह पहला मौका था जब मैं घर से बाहर निकलकर इस तरह के किसी काम में लगी थी। शुरू में बहुत घबराहट होती थी।'

लंबे समय तक सुनीता जागोरी के साथ नाटक के माध्यम से जुड़ी रही। जागोरी मदनपुर खादर में किशोर-किशोरियों के बीच कार्य करने के अलावा महिलाओं के अधिकार व घरेलू हिंसा के मुद्दे पर भी कार्य कर रही थी। नाटक ही नहीं, सुनीता महिला अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगी।

'दीदी ने पूछा- कुछ करना चाहती हो? समुदाय, कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहती हो? मैंने कहा इच्छा है पर, पता नहीं कितना कर पाऊंगी! छोटा बच्चा है, और घर की देखभाल भी मुझे करनी होती है। पर फिर भी मैं कोशिश करूंगी। मुझे जागोरी ने फैलो के रूप में थोड़ा काम दिया। दिन में चार घंटे।'

फैलो के रूप में सुनीता घरेलू हिंसा के मामलों को समझने लगी। उसे केस के सिलसिले में संबंधित महिलाओं के घर भी जाना होता था, जहां उसे अक्सर सुनने को मिलता था- 'अपना घर तो संभाल नहीं पाई, दूसरे का घर क्या ठीक करेगी! तब ये शब्द उसे खामोश करने के लिए काफ़ी होते थे।

'दिन भर एक घर से दूसरे घर घूमती रहती, महिलाओं से मीटिंग में चलने के लिए कहती थी। लोगों की प्रतिक्रिया रहती थी-इसको कोई काम नहीं है, जब देखो आ जाती है। बेइज़्ज़ती सी भी महसूस होती थी, गुस्सा भी आता था। मुझे लगने लगा मैं यह काम नहीं कर सकती। मैंने दीदी लोगों से भी कहा कि मुझसे यह काम नहीं होगा। मैं लोगों के तानों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी।'

शुरुआती दौर में सुनीता को लोगों की इन बातों का गहरा असर पड़ता था। उसका मनोबल टूट जाता था। कई बार उसके मन में आया कि यह काम ही छोड़ दे। सुनीता ने अपने निजी जीवन में घरेलू हिंसा को झेलने से इंकार किया था, शादी नाम की संस्था से बाहर निकलने का एक बड़ा फैसला लिया था। पर वह कई बार खुद सवालों के कटघरे में खड़ी हो जाती थी, जब देखती थी कि महिलाएं भयंकर तकलीफ़ों को झेलकर भी अपना घर बचाने में लगी हुई हैं। अपमान सह रही हैं, मार खा रही हैं, पर घर बना रहना चाहिए, और उसने तो घर की परवाह ही नहीं की, तो क्या वो गलत थी? क्या औरत के लिए घर सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे उसे बनाए रखने के लिए उसे अपने जीवन, आत्मसम्मान की ही कुर्बानी क्यों न देनी पड़े? सुनीता को यह नहीं पता था कि जो उसने झेला है उसे उसकी नियति नहीं, बल्कि घरेलू हिंसा कहा जाएगा, जो अपराध है और, जिससे बचाव के लिए कानून भी है। हिंसा से संबंधित कानून व महिलाओं के अधिकारों के बारे में उसकी यह समझ जागोरी में आने के बाद बनी।

शुरू में महिला अधिकारों के बारे में, घरेलू हिंसा कानून के बारे में भी जानकारी नहीं थी। मैं हमेशा इस द्वंद्व में रहती थी कि मैंने जो किया, क्या सही था? जब अंदर से मैं खुद इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं थी कि जो मैंने किया है वो सही था या नहीं, तो दूसरी औरतों को किस मुंह से कहती कि उनके साथ जो हो रहा है वो अन्याय है, उन्हें इसका विरोध करना चाहिए। जागोरी के साथ संबंध से इन सभी बातों को देखने का एक नजरिया मिला। अब मेरे पास मेरे खुद के और समाज के सवालों के जवाब थे। अब कोई द्वंद्व नहीं है। स्पष्ट है कि क्या कर रही हूं, क्या करना चाहिए। जाना कि अन्याय सहना भी अपराध है। लोगों के तानों को नज़रअंदाज करना सीखा, क्योंकि मैं नहीं, वो गलत थे। अब लोगों के घर पर भी जाने लगी हूं। महिलाएं रात-बेरात भी मेरे धर आ जाती हैं, पर रिश्ता बनने में वक्त लगा।'

समय के साथ सुनीता महिला अधिकारों के लिए हुए धरना प्रदर्शनों, मीटिंग व वर्कशॉप में भी शामिल होने लगी और उसकी जानकारियों व समझ का दायरा फैलता गया। उसे

घरेलू हिंसा व महिला अधिकारों से जुड़े अन्य कानूनों की मोटे तौर पर जानकारी है, पर पूरी तरह से नहीं।

'नए कानून आते हैं तो हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। वर्कशॉप होते हैं जिनमें भी हमें नए कानूनों के बारे में जानकारी मिल जाती है, पर कई बार ट्रेनिंग के बाद दोहराते नहीं, भूल भी जाते हैं। हम इन कानूनों के बारे में पढ़ते भी कम हैं। मुझे लगता है कि कानून के बारे में विशेष तौर पर महिलाओं से संबधित कानूनों के बारे में हमें और जानकारी होनी चाहिए। कई बार केस के दौरान दिक़्क़त भी आती है। फोन करके दीदी से पूछना पड़ता है।

आज सुनीता महिलाओं को मिटिंग के लिए बुलाती है, मिटिंग में भागीदारी, सर्वे से संबंधित कार्य करने के अलावा, महिला कामगारों के बीच में भी काम करती हैं। दिल्ली में फिलहाल घरेलू कामगारों से संबंधित कोई ठोस कानून नहीं है। इस वजह से मालिक व कामगार के बीच के मामलों को बातचीत के माध्यम से ही दूर करने की कोशिश की जाती है। बातचीत के माध्यम से दोनों पक्षों की शिकायत सुनी जाती है और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाती है जिससे दोनों पक्षों को नुकसान न हो, और मामला सुलझ जाए। बकौल सुनीता घरेलू कामगारों के मामलों में ज़्यादातर काम करने के बाद उन्हें वेतन नहीं मिलना, कभी बेवजह उन पर चोरी का इल्जाम लगा देना, जैसे मामले होते हैं। इन मामलों में मालिक से बातचीत करके कोशिश की जाती है कि कामगार महिला को उनका वेतन दिलवा दें।

बातचीत से कई बार मामले सुलझ भी जाते, कई में बुलवाने पर भी मालिक नहीं आते, बातचीत करने को तैयार नहीं होते। ऐसे में उन्हें वेतन दिलाने का हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। कुछ कामगार महिलाएं हमें बस मामले की जानकारी देती हैं, और चाहती हैं कि खुद मामले को सुलझा लें, उन्हें डर होता है कि इस वजह से दूसरी जगह नौकरी मिलने में दिक़्क़त न आ जाए।'

चोरी के आरोप जैसे मामलों में सुनीता इन महिलाओं के साथ थाने जाने, व एफ.आई.आर. में लिखे आरोपों व शिकायतों के बारे में जानकारी देती। पुलिस से आरोपी महिला कामगार की ओर से बातचीत करती। सुनीता को लगता है कि अगर इन कामगारों के लिए कोई कानून होता तो वह उन कामगारों के बेहतर तरीके से मदद कर पाती। आज एक सीमा के बाहर उन महिलाओं के लिए कुछ ज़्यादा नहीं हो पाता। इन घरेलू कामगार महिलाओं से जुड़े घरेलू हिंसा के भी कई मामले सुनीता के सामने आएं।

'घरेलू हिंसा के अलावा 'लिव इन' के भी कई मामले आए हैं। हाल ही में एक लड़का कम उम्र की लड़की को शादी का झांसा दे कर ले आया। कुछ समय रहा फिर अपने दोस्तों को भी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उकसाने लगा। हमें पता चला तो लड़की से किसी तरह हमने संपर्क किया। लड़की काफी डरी हुई थी, लड़के के चंगुल से निकलना चाहती थी। लड़की दूसरे समुदाय की थी। हमने उसे वहां से निकालने की कोशिश की। लड़की को उसी बस्ती में किसी और परिवार में भी आश्रय नहीं दिला सकते थे, लड़की के लिए खतरा था। फिर हमने लड़की को वहां से निकाल कर दूसरी जगह भेजा।'

कई बार महिलाएं रात को भी अपने मामले लेकर सुनीता के घर आ जाती हैं, पर जागोरी का प्रोटोकॉल (नियम-कायदे) इन मामलों में रात में हस्तक्षेप या सहयोग की इजाजत नहीं देता। ऐसे में सुनीता उन्हें अगले सुबह आने की बात कहती हैं लेकिन-

हम उसी कम्युनिटी (समुदाय) में रह रहे हैं, आपसी संबंध ऐसा बन जाता है कि उन्हें हमारे अलावा किसी और सहयोग की उम्मीद नहीं रहती है। रात- बेरात कोई बहन आती है तो हम मना भी नहीं कर पाते कि आप सुबह आइए। उनकी बात सुन लेते, और कहते कि आप अगले दिन आइए। तुरंत राहत नहीं पहुंचा पाते। हमारी सीमा है हम उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अगले दिन दीदी आतीं तो फिर उनके सामने मामला रखते। कई बार तुरंत

सहायता की ज़रूरत होती तो आपस में मिल कर दूर करने की कोशिश करते। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि उन्हें तुरंत कुछ पैसों की ज़रूरत होती है, उनके लिए जल्द से जल्द उस घर से निकलना ज़रूरी हो जाता है। उनके पास जाने के लिए किराया नहीं होता। फिर हम सभी बहनें मिल कर थोड़ा बहुत जो संभव हो पाता है उसे पैसा देते हैं।

बच्चों से जुड़े मामलों में हस्तक्षेप की स्वीकृति न होने की बंदिश भी सुनीता को खलती है। उसका कहना है कि यौन उत्पीड़न या बलात्कार जैसे मामले में बच्चे को कई बार तुरंत सहायता की ज़रूरत होती है तो वह कुछ नहीं कर पाती। बाल कल्याण समिति के पास भेजना पड़ता है।

'हमें पता है कि बच्चे को उन तक पहुंचाने की ही ज़िम्मेदारी हमारी है, पर कई बार स्थिति ऐसी होती है कि उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत होती है। तब मजबूरी का अहसास होता है। इसके अलावा हम बच्चे के लिए कर कुछ नहीं सकते। हमारे हाथ बंधे हैं।

सुनीता बराबरी पर आधारित समाज की कल्पना लिए महिला अधिकारों के लिए सतत् संघर्ष की इच्छा रखती है। उसने अपनी पढ़ाई भी जारी रखने का निर्णय लिया है। आठवीं तक पढ़ी सुनीता इसी निश्चय के साथ अब बारहवीं करने के बाद अब बी.ए. की परीक्षा की तैयारी कर रही है।

'**केस कार्यकर्ता-** केस कार्यकर्ता का कार्य केवल काउसंलिंग या परामर्श देना नहीं है, बल्कि वह पीड़िता की काउसंलिंग करने के साथ-साथ केस से संबंधित हर पड़ाव जैसे पुलिस थाना, अदालत, परिवार के साथ बातचीत आदि स्तर पर भी पीड़िता की मदद करती हैं।

'**सरवाइवर-** संघर्षशील महिलाएं, जिन्होंने समस्याओं के सामने घुटने नहीं टेके, उनसे संघर्ष किया या कर रही हैं।

ये गम के और चार दिन सितम के और चार दिन
ये दिन भी जायेंगे गुज़र, गुज़र गये हज़ार दिन
कभी तो होगी इस चमन में भी बहार की नज़र
अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर
तू ज़िन्दा है.....

हीरावती

फ़ील्ड कार्यकर्ता (घरेलू कामगार तथा एकल महिला)
(कार्यक्षेत्र- बिलासपुर व ताजपुर-बदरपुर तथा खादर)

हीरावती वर्ष 2006 से जागोरी से जुड़ी हुई है। शुरुआती दौर में वह अन्य महिलाओं के साथ जागोरी द्वारा आयोजित मदनपुर खादर के इलाकों में होने वाली बैठकों में शामिल होती थी। वर्ष 2008 में हीरावती ने अपनी निजी समस्याएं जो घरेलू हिंसा से संबंधित थीं, जागोरी से साझा की व सलाह भी मांगी। उसने एक और समस्या की ओर जागोरी का ध्यान इंगित किया जो महिला अधिकारों के प्रति व्यवस्था के कानूनी पक्षपात और भेदभाव को दर्शाता था। हीरावती अपने परिवार के साथ दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में झुग्गी बना कर रहती थी। सरकार ने उन्हें जे.जे. कॉलोनी में रहने के लिए स्थान दे कर उनकी झुग्गी को वहां से हटाया। हीरावती का पति लगातार इस प्रयास में था कि वह जे.जे. कॉलोनी में मिले उस घर को बेच कर प्राप्त पैसे को लेकर गांव वापस चला जाए, जबकि हीरावती वहीं रह कर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाना चाहती थी। सरकार द्वारा दिए गए घर में हीरावती का कोई मालिकाना हक़ नहीं था। वह मात्र नामित व्यक्ति थी। सरकार ने उस घर का पूरा स्वामित्व पुरुष होने के नाते पति को ही दिया था। घर बेचने के मुद्दे पर पति-पत्नी के बीच अक्सर लड़ाइयां हुआ करती थीं।

मैं जागोरी से मीटिंग के माध्यम से जुड़ी थी। मीटिंग में महिलाओं को चुना जाता है जिन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। मुझे जागोरी ने पैरलीगल की ट्रेनिंग दी। जिसमें मुझे महीने में एक ही दिन आना पड़ता था। उसमें मुझे महिला अधिकारों से संबंधित कई कानूनों के बारे में पता चला। एक साल बाद वॉलंटियर के रूप में जागोरी के साथ काम करने लगी। उन दिनों घरेलू कामगारों से संबंधित एक सर्वे का काम आया था, जो रात के समय करना होता था। मैंने वह किया। यह काम मेरी ज़रूरत भी थी।'

हीरावती वर्ष 2009 से फैलो के रूप जागोरी में शामिल हो गई। इस दौरान वह अपने चार बच्चों के साथ घर के ऊपर वाले हिस्से में रहने लगी, नीचे पति और ससुर रहते थे।

पति से अपना हक़ लेने के संघर्ष में हीरावती चार मुकद्मों में भी फंसी। एक मकान को न बेचने को लेकर, दूसरा बिजली कनेक्शन का, तीसरा अपना और अपने बच्चों के मेंटेनेंस से संबंधित मुकद्मा है। इन व्यक्तिगत मसलों में उलझे होने के बावजूद हीरावती महिलाओं के अधिकारों से संबधित मुद्दों पर बेबाकी से काम करती हैं।

'ज़्यादातर मामले घरेलू हिंसा के ही आते हैं। पर हर जगह महिलाएं फैसला नहीं ले पाती हैं। मन में होता है कि इस स्थिति से बाहर निकलना है, पर हिम्मत नहीं जुटा पातीं। हम उन पर जोर नहीं डालते कि आप लड़ो ही या कोई बड़ा कदम उठाओ। हम बस ये कहते हैं कि आप मीटिंग में आ जाया करो, ताकि उनके लिए उस स्थिति से बाहर निकलने का एक रास्ता खुला रहे।'

महिलाएं अपनी बात रखती हैं, तो उन्हें लगता है कि उनके साथ कोई खड़ा है। उन्हें स्पष्ट कर दिया जाता है कि उनकी इच्छा के विरुद्ध उनके मामले में न हस्तेक्षप किया जाएगा और न ही उस पर बातचीत। अक्सर इन महिलाओं की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि वे विवाहित जीवन से निकलने के बारे में सोचें। उन्हें प्रेरित किया जाता कि वह अपने पैरों पर खड़ी हों।

'ये महिलाएं लगातार सहती जाती हैं। उन्हें घर से भी लगाव होता। उनके सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं होता सिवाय इसके कि चुपचाप सब कुछ झेलती जाएं। हम अपनी तरफ से कुछ एक्शन नहीं ले सकते। पैसे की मदद नहीं कर सकते। रात-बेरात उन्हें जब ज़रूरत होती तब हम सहयोग नहीं कर पाते। हमारे हाथ बंधे होते हैं। हम पीड़िता पर पूरी तरह निर्भर होते हैं। कोई पड़ोसी भी उनका साथ नहीं देता, क्योंकि उनकी सोच भी समाज से कुछ अलग नहीं होती।'

महिलाएं जब अपनी समस्या लिखित रूप से जागोरी को देती है और हस्तक्षेप की मांग करती हैं तभी उनके मामले में हस्तक्षेप किया जाता है।

अक्सर महिलाएं लिखित शिकायत अपने पास ही रख लेतीं। जब उन्हें लगता है कि अब पानी सिर से उपर चला गया तभी देती हैं। सालों साल ऐसा ही चलता रहता है। वे मौके की तलाश में रहती हैं।'

अदालत की जटिल व लंबी प्रक्रिया भी इन महिलाओं को न्याय दिलाने के रास्ते में बाधा बनती हैं। पूरी प्रक्रिया अंग्रेज़ी में होने के कारण बहस में क्या बात रखी जा रही है, अक्सर उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती है। वकील अपनी सुविधानुसार प्रक्रिया को लंबा खींचता है। यह डर है कि मामला अदालत में जाएगा तो लंबा चलेगा, जो उनकी क्षमता से बाहर की बात है, महिलाओं को मजबूर करता कि सभी तकलीफों को चुपचाप सहती रहें। हीरावती का मानना है कि जब मामला अदालत में चला जाए, तब भी अलग-अलग तरीकों से इन महिलाओं की मदद की जा सकती है। केस के दौरान, फ़ोन या किसी भी माध्यम से वकील से संपर्क बनाए रखें, तो इसका प्रभाव पीड़िता व वकील दोनों पर पड़ेगा।

घरेलू हिंसा के मामलों में पुलिस एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। अगर पुलिस इन मामलों में सहयोगपूर्ण रवैया रखती है तो पीड़िता के लिए जैसे आधी जंग जीतने जैसी बात हो जाती है; लेकिन पुलिस के संदर्भ में लगभग सभी पीड़िताओं व कार्यकर्ताओं का अनुभव एक जैसा ही रहा है।

'पुलिस संस्था के नाम से या हमारे दबाव से मामले की शिकायत तत्काल दर्ज तो कर लेती है, लेकिन करती अपनी मन की ही है। आरोपी जो ज़्यादातर पुरुष ही होते हैं, मामले को अपने पक्ष में करवा लेते हैं। मारता है तो क्या हुआ प्यार भी तो करता है या अपने बच्चों के बारे में सोचो, जैसी जुमले कहकर मामले को वहीं रफ़ा-दफ़ा करने की कोशिश करते हैं। कई बार वे कहते हैं कि आप शिकायत लिख कर कागज में दे दो। एफ.आई.आर. वे खुद तैयार करते हैं, सारा खेल उसी में कर जाते हैं। वे एफ.आई.आर. के साथ शिकायत की कॉपी लगा देते जिसे बाद में गायब कर देते। हम जोर डाल कर खुद एफ.आई.आर. लिखवाते,

पीड़िता की ही भाषा में एफ.आई.आर. दर्ज करवाते। यह ज़रूरी है, जिसे आम महिलाएं समझ नहीं पातीं। कोई अविवाहित लड़की एफ.आई.आर. दर्ज करवाने जाएगी तो उसे शादी न होने, समाज में इज़्ज़त न रहने जैसे डर दिखाएंगे। कहेंगे हम दस मिनट में आते हैं तुम सोच लो ठीक से दर्ज करवाना है या नहीं। लड़कियां डर जाती हैं, अपनी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवातीं।'

हाल की एक घटना में एक लड़की का पड़ोसी जो काफ़ी संपन्न व्यक्ति था उसे बहुत परेशान कर रहा था। कई बार लड़ाई हुई। लड़की रिपोर्ट लिखाने के लिए पुलिस थाने के चक्कर लगा-लगा कर परेशान हो गई, पर पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखा। जागोरी के कार्यकर्ताओं ने भी रिपोर्ट लिखवाने का प्रयास किया तो उन्हें भी थानें से बाहर कर दिया गया। पुलिस वाले कहते- हम नहीं जानते किसी जागोरी को कार्ड दिखाओ।' काफ़ी लड़ाई-झगड़े के बाद रिपोर्ट दर्ज हुई। हीरावती को कई बार इस तरह की स्थिति का सामना पड़ा है।

जब हमें रिपोर्ट करने में इतनी दिक़्क़त आती है तो आप समझ सकते हैं कि आम महिला को कितनी आती होगी। पर हां! हमें भी पहचान पत्र मिलना चाहिए जिससे पता चले कि हम जागोरी के लिए काम करते हैं, ताकि हमें अपनी पहचान साबित करने के लिए इतनी मेहनत तो नहीं करने पड़े। बाकी संस्थानों के पहचान पत्र हैं पर हमारे पास नहीं है। प्रशिक्षण के दौरान वॉलन्टियर ग्रुप (स्वैच्छिक समूह) को पहचान-पत्र मिलते हैं, पर कार्यकर्ता को नहीं।'

हीरावती केस स्वयं नहीं देखती। अभी केवल केस के फॉलोअप के लिए जाती है। साथ ही घरेलू कामगारों के बीच भी वह काम करती है जिसमें उन्हें सरकार द्वारा प्रदत अधिकारों, श्रम की सरकारी दरों न्यूनतम मज़दूरी आदि के बारे में जानकारी देने के अलावा उनके निजी मामलों में सलाह देने की ज़िम्मेदारी भी है।

'घरेलू कामगारों के ज़्यादातर मामले पारिवारिक होते हैं। मालिकों के मामले भी होते हैं, पर उसमें ज़्यादा सहयोग हो नहीं पाता। एक-एक महिला कई घरों में काम करती है। उन्हें यह भी लगता कि हम उनके इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे तो नौकरी भी जा सकती है। हम केवल सलाह ही देते हैं, ज़्यादा सहयोग संभव भी नहीं है।'

चैन ग़ैरों की दुनिया में मिलता नहीं
अपनी दुनिया बनाने का वादा करें

आग अपने ही आंगन की झुलसाये है
अब नये घर बनाने का वादा करें

मीरा

पूर्व फ़ैलो (वायलेंस इंटरवेंशन टीम, जागोरी) मदनपुर खादर

ज़िम्मेदारी- केसे वर्क, फॉलोअप, मोबलाइज़ेशन

मीरा पिछले छह सालों से जागोरी से जुड़ी हुई है। लगभग एक साल से यहां फ़ैलो के रूप में कार्य भी कर रही है। मीरा जागोरी से पहले आज़ाद फाउण्डेशन में थीं। जहां उसने ड्राइविंग भी सीखी। आज़ाद फाउण्डेशन में ही उसे जागोरी के बारे में जानकारी मिली। यह भी पता चला कि जागोरी उसके इलाके यानी खादर में भी महिलाओं के बीच काम कर रही है। मीरा शुरुआत में खादर में होने वाली साप्ताहिक मीटिंग में शामिल होने लगी। बाद में एक साल उसने जागोरी के स्वैच्छिक समूह के साथ भी काम किया। उसकी रुचि इस कार्य में लगातार बढ़ती गई। बाद में उसने जागोरी द्वारा आयोजित पैरालिगल ट्रेनिंग (कानूनी प्रशिक्षण) भी ली। मीरा खादर में महिलाओं से जुड़ें मामलों को भी देखती है।

'साप्ताहिक मीटिंग में बहुत कुछ सीखने को मिलता था। हर मुद्दा दूसरे मुद्दे से अलग होता है। सभी मुद्दे हमारी ज़िंदगियों से जुड़े होते हैं। पहले मैं घर से बाहर कहीं निकली ही नहीं थी, ज़रूरत भी नहीं पड़ी, किसी ने बढ़ावा भी नहीं दिया। लोगों से मिलने-जुलने में भी बहुत घबराहट होती थी। किसी से कुछ पूछना भी होता था तो पहले मन ही मन उस बात को दोहराती थी कि कैसे बोलूंगी, क्या बोलूंगी। बिल्कुल आत्मविश्वास नहीं था। अब पुरानी बातें सोचती हूं तो लगता है कि मैं अब वो मीरा रही ही नहीं हूं, बहुत बदलाव है मुझमें। मैं अब सब जगह जा सकती हूं, लोगों से मिलती-जुलती, थाने तक चली जाती हूं। जागोरी ने मुझे बिल्कुल बदल दिया है।'

खादर में जागोरी के पास ज़्यादातर मामले घरेलू हिंसा के आते हैं, पर कुछ बाल यौन उत्पीड़न व संपत्ति के मामले भी आए हैं। कई मामलों में पीड़िता जिन्हें जागोरी के संदर्भ में थोड़ी जानकारी होती है, स्वयं जागोरी से संपर्क कर लेती हैं। कुछ मामले इलाके की महिलाओं से मेलजोल के दौरान सामने आते हैं।

'पति मारता पीटता है, शराब पीता है, घर का खर्च नहीं देता है, इन महिलाओं को मदद की ज़रूरत होती है कि कोई उनकी समस्या को हल करने में उनकी मदद करे। जब हम उनसे उनकी समस्याओं पर बात करते हैं तो उनका पहला सवाल यही रहता कि क्या जागोरी उनकी समस्या को दूर कर देगी? उन्हें लगता है कि जागोरी के पास समस्या को लेकर आ गईं तो बस अब उनकी समस्या चुटकियों में हल हो जाएगी। थोड़ी सी भी देरी उन्हें परेशान करने लगती है।'

घरेलू हिंसा का मामला जब सामने आता है तो जागोरी सबसे पहले दोनों पक्षों को आमने-सामने बिठा कर बात करती है। समस्या को समझने की कोशिश करती है। पति की काउंसलिंग करके मारपीट जैसे व्यवहार को बंद करने का प्रयास करती है।

महिला का पति बुलाने पर आ गया। हमने उससे बातचीत की। महिला की शिकायत को उसके सामने रख कर उसे समझाया कि मारपीट करना या कोई भी घरेलू हिंसा उनके विवाहित जीवन को कैसे बर्बाद कर रही है। पति को बात समझ में आ गई। अब वह ऐसी हरकतें नहीं करता है। कई मामलों में जब केस कोर्ट तक चला जाता है तब पति को लगने लगता है कि ये ज़्यादा हो गया अब मुझे हरक़तें सुधार लेनी चाहिए। कई केस में उल्टा भी होता है केस अदालत तक पहुंचने पर वह भी अपने ज़िद पर आ जाता है - कि कर ले जो भी कर सकती है। हम भी देखते हैं!'

घरेलू हिंसा की समस्या केवल उन महिलाओं के साथ नही है जो नौकरी नहीं कर रही हैं, आर्थिक रूप से पति पर आश्रित हैं बल्कि उन महिलाओं के साथ भी हैं जो अपने पैरों पर खड़ी हैं।

नौकरी न करने वाली महिलाओं की तुलना में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा कम है, लेकिन है। उनकी तनख्वाह छीन ली जाती है। शराब पीकर पति वैसे ही मारता-पीटता है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है।'

मीरा भी घरेलू हिंसा की शिकार रही है। मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। उसके जीवन में हिंसा के खिलाफ़ लम्बा संघर्ष रहा है। पैरालीगल ट्रेनिंग के दौरान मीरा को महिलाओं के अधिकारों सें संबधित कानूनों और धाराओं के संबंध में मुख्य जानकारी प्राप्त हो गई है।

'स्वयं के जीवन व आसपास घटने वाले मामलों में हम उस कानून को जोड़ कर देख पाते हैं, तब वह सारी धाराएं बेहतर तरीके से दिमाग में रह जाती हैं।'

जागोरी, पीड़िता पर फैसले लेने का अनावश्यक दबाव नहीं डालती है। महिलाओं की इच्छा के हिसाब से फैसले लिए जाते हैं कि मामले को पुलिस, अदालत तक ले जाना है या वहीं खत्म कर देना है।

हम उन्हें उनके फैसले में सहयोग करते हैं। अगर लगता है महिला अकेले थाना या कोर्ट कचहरी नहीं जा सकती तो हम उनके साथ जाते हैं। अभी हाल में एक मामले में महिला शिकायत लिखाने पुलिस स्टेशन गई तो रिपोर्ट नहीं लिखी गई, कहा 'डी.डी. एंट्री दो तब लिखेगी रिपोर्ट। फिर हम गए हमें भी कहने लगे डी.डी. एंट्री दो। हमने महिला से पूछकर समय बताया जब उसने 100 पर कॉल किया था। तब बड़ी मुश्किल से उन्होंने टाईम के आधार पर कॉल डिटेल देखा और डी.डी. एंट्री निकाली और रिपोर्ट लिखी।'

घरेलू हिंसा के मामलों में महिलाएं शुरू में पूरा प्रयास करती हैं कि बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उनकी समस्या सुलझ जाए। जब उन्हें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है तब ही वह कोर्ट कचहरी की बात सोचती हैं। कई बार मामला नहीं भी सुलझता है तब भी कुछ समझौतों के साथ विवाहित जीवन जीने लगती हैं। ऐसी स्थिति में भी जागोरी इन महिलाओं के संपर्क में लगातार रहती है।

हम मामलों का फ़ॉलोअप (आगे की कार्यवाही पर नज़र) रखते हैं। उनसे महीने में एक-दो बार मिल लेते हैं। उनका हाल चाल पूछ लेते हैं।'

खादर में महिलाओं का समूह जागोरी द्वारा लगातार मिले प्रशिक्षण के बाद महिलाओं से संबंधित मामलों को देखने व उस इलाके में महिला अधिकारों के प्रति जागरुकता बढ़ाने का काम करने में सक्षम हो गया है। ज़रूरत पड़ने पर यह समूह तुरंत घटना स्थल पर पहुंच जाता है। मीरा भी इस समूह के साथ मिलकर महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा के खिलाफ़ मजबूत हस्तक्षेप करती रहती है।

- **डी.डी. एंट्री-** किसी भी अपराध की रिपोर्ट पुलिस को दर्ज करवाने के लिए जैसे ही आप थाने में जाते हैं तो आपको अपने साथ घटे अपराध की जानकारी देने को कहा जाता है। इसमें अपराध का समय, स्थान, मौके की स्थिति इत्यादि की जानकारी पूछी जाती है। यह सारी जानकारी डेली डायरी में लिखी जाती है जिसे रोजनामचा भी कहा जाता है। इस रोजनामचा का एक एंट्री नंबर भी होता है। बहुत से अनजान लोग रोजनामचे को ही एफ.आई.आर. समझ लेते हैं, ध्यान रहे कि एफ.आई. आर. की पहचान के लिए इस पर एफ.आई.आर. नंबर भी दर्ज होता है।

रूही

फ़ैलो, बवाना

ज़िम्मेदारी- केसे वर्क में फ़ॉलोअप, तथा मोबलाइज़ेशन

'एक बार मीटिंग के बाद मैं लौट रही थी तो देखा पड़ोस की आंटी अपनी बेटी को फिर से डांट रहीं है। उनकी बेटी पढ़ना चाहती थी। उसे पढ़ने नहीं दिया जा रहा था। घर का सारा काम वही करती थी, फिर भी वही डांट-फटकार ही उसके हिस्से था। मैंने कहा उसे पढ़ने क्यों नहीं दे रही हो, लड़का हो या लड़की दोनों को शिक्षा का अधिकार है। आंटी ने तो उस वक्त तो कुछ नहीं किया, पैर पटकती हुई मैं घर चली गई। कई दिनों तक मुझसे बातचीत नहीं की। मां भी कहने लगी तू ज़्यादा ही बोलने लगी है। मैंने कहा मैने मीटिंग में सीखा है शिक्षा का अधिकार लड़का हो या लड़की दोनों को है। आज वो लड़की दसवीं में पढ़ रही है। ये भी तो एक घरेलू हिंसा थी जो लड़की झेल रही थी, चयन का अधिकार भी तो उसका हक़ है। ऐसे ही कितनी भेदभाव के मामले इस इलाके में हमें देखने को मिलते हैं।'

रूही जागोरी में फ़ैलो के तौर पर 2014 से काम कर रही हैं। रूही में बहुत उत्साह है। काउंसलिंग व केस वर्क की सभी बारीकियां जल्द से जल्द सीख लेना चाहती हैं। शुरू में वह जागोरी के 'साथी' समूह से जुड़ी। हर मीटिंग में आती थी। उसके उत्साह व लगन को देखकर जागोरी ने फ़ैलो के तौर पर उसे इस काम की बारीकियों को सीखने का मौका दिया।

अब मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया है। दीदी छुट्टी पर होती है या दूसरी इलाके के काम के संदर्भ में गई होती हैं तो मैं केस फ़ॉलोअप के लिए चली जाती हूं। वॉलंटियर मीटिंग, गली मीटिंग, मैं सब जगह जाती हूं। पंद्रह दिन में केस फ़ॉलोअप की रिपोर्ट जाती है, मैं उसके अलावा गली मीटिग का फ़ॉलोअप भेजती हूं। बहुत कुछ सीखने को मुझे दीदी लोग के साथ मिला है। कोर्ट भी गई, वकीलों से कैसे बात करते हैं किस तरह से करते हैं यह सब कुछ सीखा। पहले कभी ऐसा मौका नहीं मिला था।

रूही का मानना है कि ऐसे इलाकों में महिला संगठन का होना यहां की महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद रहा है। महिलाओं को एक जगह मिल रही है जहां वे अपनी समस्याएं लेकर जा सकती हैं। पहले तो उनके पास कोई रास्ता नहीं था। जागोरी से पहले एक अन्य संस्था से भी रूही जुड़ी थी जहां वह पार्लर का काम सीखने जाती थी। बकौल रूही वहां भी हिंसा के मामले आते थे, लेकिन उनका तरीका जागोरी से थोड़ा अलग था। वह समाधान के लिए कोर्ट पुलिस का

ही रास्ता देखते थे, काउंसलिंग (परामर्श) की व्यवस्था नहीं थी। रूही का मानना है कि समस्या के समाधान के लिए सबसे पहले काउंसलिंग का रास्ता अपनाना, एक अच्छा नज़रिया है। कई बार महिलाएं मामले को कोर्ट कचहरी तक नहीं ले जाना चाहतीं। उनकी इच्छा रहती है कि कोई मध्यस्थता करके उसकी वैवाहिक स्थिति को थोड़ा ठीक कर दे। जागोरी सबसे पहले ऐसा ही करती है। जागोरी में दोनों पक्षों को बुलाकर बातचीत करते हैं, उन्हें मौका देते हैं। आगे क्या करना है, वह निर्णय उन्हीं का होता है।

मुझे ये ठीक लगता है। लगातार उनके सिर पर खड़े हो जाओ और फैसला करने का दबाव बनाओ तो कैसे कोई फैसला कर सकता है, पर महिलाओं के कई व्यवहार अजीब लगते हैं। जोश से आएंगी कि हमें फैसला लेना है, लगता है अब ये कोई न कोई फैसला ज़रूर कर लेंगी, पर बाद में अपनी उसी पीड़ाजनक स्थिति में रहने को फिर से तैयार हो जाती हैं, फिर भी अपनी द्वंद्व वाली स्थिति भी हमें ही बताएंगी।

बवाना में जिन मामलों के फ़ॉलोअप के लिए रूही जाती है उनमें मुख्यतः घरेलू हिंसा, राइट टु च्वाइस (चयन का अधिकार) यानि शिक्षा, विवाह, नौकरी जैसे मुद्दों पर महिलाओं के अधिकारों का हनन जैसे मामले होते हैं। महिलाओं को बाहर तो हिंसा का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन उससे पहले वह घर में ही उसकी शिकार बन जाती हैं। लड़की पढ़ना चाहती है, नौकरी करना चाहती है परिवार वाले उसे ऐसा नहीं करने देते। शादी के बाद पति हिंसा करता है। जागोरी में घरेलू हिंसा की शिकायत आने पर सबसे पहले दूसरे पक्ष को बातचीत के लिए पत्र दे कर बुलाया जाता है। 'एक बार मैं जागोरी की तरफ से पत्र लेकर संबधित महिला के घर गई तो पति की मां ने कहा कि बेटा घर में नहीं है। मैने कहा कि घर आ जाए तो दे दीजिएगा। ये सुन कर पति तमतमाता हुआ दूसरे कमरे से बाहर निकला। गुस्से से बोला हमें नहीं चाहिए कोई तुम्हारी चिट्ठी-विट्ठी। मेरी पत्नी को बरगलाना तुम लोग बंद करो। हमारा घर तुम लोग बर्बाद कर रहे हो। हमें नहीं जाना कर लो जो करना है। अरे! घर तो वह खुद ही बर्बाद कर रहा है। खुद कोई काम नहीं करता, पत्नी कमा के लाती है उसे भी शराब में उड़ा देता है, पत्नी से मारपीट करता है। ऐसी बातें भी हमें सुनने को मिलती।'

रूही को न्याय व्यवस्था की मंथर गति बहुत परेशान करती है। न्याय मिलने में इतनी देर लगती है कि पीड़ित महिला या तो केस बीच में ही छोड़ देती है या न्याय प्रक्रिया में जाने की हिम्मत ही नहीं करती। उसे लगता है कि अगर जागोरी इस दिशा में कुछ कदम उठाए, मसलन ऐसा नेटवर्क बनाए जिसका संबंध न्याय व्यवस्था से हो, तो मामले पर जल्द सुनवाई और तुरन्त राहत मिलना संभव होगा। महिलाओं के लिए भी फिर तकलीफदेय रिश्ते से बाहर निकलने का फैसला लेना थोड़ा आसान हो जाएगा।

जी ना पायेंगे हम खुद को गँवाय के
जी ना पायेंगे हम खुद को रुलाय के

जुही

कार्यकर्ता- बवाना, जे.जे. कॉलोनी क्षेत्र, वायलेंस इंटरवेंशन टीम

ज़िम्मेदारी- केसे कार्य में मदद व केस फ़ॉलोअप

बिहार के गया जिले से जुही जब बवाना की जे.जे. कॉलोनी में रहने के लिए आई तो उसे महिलाओं की स्थिति को ज़्यादा करीब से देखने को मिला। ऐसा नहीं था कि गया में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, शायद जुही की उम्र इतनी कम थी और परिवार में तुलनात्मक रूप से महिलाओं की स्थिति ठीक थी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि महिलाओं से संबधित उसके नज़रिए में भी अवचेतन रूप से पितृसत्ता का प्रभाव था। बवाना तब नया-नया बसा ही था, इसलिए समस्याओं की जैसे बाढ़ सी थी। गिनती की बच्चियां स्कूल जाती थीं। घरेलू हिंसा की घटनाएं तो बहुत आम थीं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिन पर काम करने की ज़रूरत थी। कई संस्थाओं ने विभिन्न मुद्दों पर काम करना भी शुरू कर दिया था। जुही को पता चला कि एक जागोरी नाम की संस्था है जो महिलाओं के बीच काम कर रही है। यह भी पता चला कि जागोरी पुस्तकालय भी चला रही है। जुही पुस्तकालय में पुस्तक लेने व पढ़ने के लिए जाने लगी। वहां महिलाओं की साप्ताहिक व मासिक बैठक भी होते देखती थी। उस बैठक में महिला मुद्दों पर होने वाली चर्चा उसे आकर्षित करने लगी।

मेरा जागोरी से जुड़ने का एक कारण यह भी था कि मुझे लगा यहां मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। आपने पढ़ाई कर ली, या कोई भी काम सीख लिया, लेकिन क्या आपमें इतनी हिम्मत है कि आप बाहर निकल कर नौकरी करें। ये हिम्मत मुझे जागोरी से आई। पहले घरेलू हिंसा को देख कर लगता था कि क्या हो गया अगर पति मारता है। मेहनत करता है घर चलाता है आपको खाना-पीना और सिर छुपाने के लिए छत भी तो देता है। पर जब जागोरी की बैठकों में आने लगी तब एहसास हुआ कि मेरी सोच कितनी गलत थी। महिलाएं घर को कितना कुछ देती हैं, कितनी मेहनत करती हैं, फिर उसके हिस्से हिंसा क्यों? महिला अधिकारों को समझा। जागोरी से जुड़कर मुझमें बहुत

बदलाव आया। मैंने अपने बारे में भी सोचना शुरू किया। 'ना' को 'ना' और 'हां' को 'हां' बोलना आया। सीखा कि केवल खुद नहीं दूसरी महिलाओं को भी अपने अधिकारों के प्रति जागरुक करो।

जुही वर्ष 2004 में जागोरी के साथी समूह से जुड़ी थी। साथी समूह बवाना की ही महिलाओं का समूह था। यह समूह महिला मुद्दों पर आपस में बातचीत व जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहा था। वर्ष 2006 में जुही कार्यकर्ता के तौर पर जागोरी में शामिल हो गई। शुरू में हिंसा का काम नहीं था। घर-घर जाकर राशन कार्ड का पता करने का काम था। कौन सा राशन कार्ड है- लाल या पीला। महिलाओं को उनके अधिकार के बारे में बताना, उन्हें जागोरी के साथ जोड़ना, किशोरियों को जोड़ना। राशन-दुकान की निगरानी, महिलाओं को बैठक के लिए बुला कर लाना। बैठक की व्यवस्था करना इन सब कार्यों में वह सहयोग करती थी। जो किशोरी पढना नहीं जानती थी उन्हें अक्षर ज्ञान कराना जुही की ज़िम्मेदारी हुआ करती थी।

'तब बहुत कम किशोरियां स्कूल जाती थीं। आज तो लगभग सभी जाती हैं। वजह चाहे जो भी हो। किशोरियों को अक्षर ज्ञान करवाने के बाद हमने स्कूलों में भी एडमिशन करवाया। ये किशोरियां आज भी हमारे पास आती हैं। महिला अधिकारों व शराबबंदी पर कई नुक्कड़ नाटक भी यहां इन्होंने किए हैं।'

बाद में जुही को घरेलू हिंसा के मामलों को देखने-समझने का मौका मिला। पीड़िता से बातचीत करना, पूरी सूचना एकत्र करने, फिर पूरे घटनाक्रम को लिख कर पीड़िता से हस्ताक्षर करवाने की ज़िम्मेदारी दी गई। दो साल बाद उसे जब घरेलू हिंसा के मामलों के सभी आयामों की जानकारी व अनुभव हो गया तब उसे केस कार्य में सहयोग की ज़िम्मेदारी दी गई। इस इलाके में घरेलू हिंसा के ज्यादा मामले आते हैं। स्वैच्छिक समूह व सरवाइवर समूह की महिलाएं जुही को केस कार्य में मदद करती हैं।

मैं लोकल हूं, पर फिर भी मेरे पीछे जागोरी का हाथ है ये मुझे बहुत मजबूती देता है। हम महिलाओं को संघर्ष के लिए मानसिक तौर पर तैयार करते हैं, उन्हें आगाह करते हैं कि संघर्ष के रास्ते में क्या-क्या बाधाएं मिलेंगी। मसलन पुलिस स्टेशन, कोर्ट-कचहरी सब जगह उसे किन-किन बातों का सामना करना पड़ सकता है। गंभीर मामलों में सपोर्ट ग्रुप से मामले को साझा करते हैं। उन्हें पता है ये बात बाहर नहीं ले जानी। सपोर्ट ग्रुप समस्या समाधान में मेरी मदद करता है।

कई ऐसे केस भी हैं जिसमें सपोर्ट ग्रुप ने मामले के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बंगाल की एक लड़की जिसे उसके अभिभावक ने एक बड़े उम्र के आदमी को बेच दिया था, बहुत बुरी हालत में रह रही थी। वह आदमी उसे न केवल मारता-पीटता था, यौन हिंसा भी करता था और घर से बाहर भी नहीं जाने देता था। उस लड़की के पड़ोस में ही सपोर्ट ग्रुप की एक सदस्य रहती थी जो अक्सर लड़की के रोने की आवाज़ सुनती थी। उसने इस लड़की से किसी तरह दरवाजे की ओट से बात की और मामले की जानकारी जागोरी को दी। फिर उस लड़की को बुर्का पहनाकर उस आदमी के चंगुल से बचा कर निकाला गया।

घरेलू हिंसा के अलावा चयन का अधिकार यानी 'राइट टु च्वाइस' के भी कई मामले जागोरी के पास आते हैं। बहुत कम लड़कियां पहले पढ़ने जाती थीं। आज लगभग सभी लड़के-लड़कियां स्कूल जाने लगे हैं। ज़्यादातर महिलाएं नौकरी करने लगी हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं। जुही के पास अपनी पसंद की शादी करना या शादी न करने की इच्छा, नौकरी करने की इच्छा जैसे राइट टु च्वाइस के मामले भी आते हैं। जिसमें बातचीत के जरिए कोशिश की जाती है कि समस्या का समाधान हो जाए और लड़की की इच्छा के अनुसार उसे पढ़ने या शादी करने का फैसला लेने का अधिकार दिया जाए।

जुही को जागोरी के प्रोटोकॉल की एक बात खटकती है। महिला अगर रात को अपनी कोई समस्या ले कर आती है तो उसे अगले दिन आने के लिए कहा जाता है, रात में कार्यकर्ता उस मामले में किसी तरह की कार्रवाई नहीं करती

हैं। जुही का मानना है कि इस प्रोटोकोल का अनुसरण करना मुश्किल हो जाता है।

'हम स्थानीय हैं। आसपास की सभी महिला हमें कार्यकर्ता ही नहीं निजी तौर पर भी जानती हैं। कई बार वे अपनी समस्याएं लेकर रात के एक दो बजे भी आ जाती हैं। उन्हें तत्काल सहायता की आवश्यकता होती है। पर हम उस समय उनकी कोई मदद नहीं कर पाते हैं। उन्हें अगले दिन आने कहते है या शनिवार है तो सोमवार को आने के लिए कहना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि महिलाओं को लगने लगता है कि जब उन्हें मदद की ज़रूरत थी तब हमने उनकी मदद नहीं की। उन्हें हम जितना कहे कि हम उनके फायदे के लिए मीटिंग करते या काम कर रहे हैं उन्हें यही लगता ये तो अपनी नौकरी कर रही है। बाद में हम उसी महिला को मीटिंग के लिए बुलाने जाते हैं तब उन्हें हमसे काफ़ी शिकायत होती है। वे मीटिंग में आने के प्रति अनिच्छा जाहिर करती हैं। अपने आप में भी हमें अजीब लगता है।'

महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा के प्रति सरकारी तंत्र की उदासीनता भी न्याय के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है। जुही को इस विषय पर हताशा महसूस होने लगती है। ऐसे ही एक मामले में समय पर मदद न मिलने के कारण महिला की मृत्यु हो जाने की घटना जुही के लिए एक दुखद अनुभव है। महिला घरेलू हिंसा की शिकार थी। हिंसा ने उसके आंख की रोशनी तक ले ली थी। बाद में यही हिंसा उसके मौत की वजह भी बनी। जुही को लगता है कि अगर उसे समय पर मदद मिल जाती तो आज वह भी ज़िंदा होती। पुलिस, कोर्ट की कार्रवाई की धीमी गति, महिलाओं को संघर्ष रोककर हालात से समझौता करने के लिए मजबूर करती है।

ऐसी स्थिति में जुही को लगता है कि जागोरी का नेटवर्क और मजबूत किया जाना चाहिए, जिसमें पुलिस अस्पताल सभी संस्थान शामिल हों। साथ ही वकीलों का भी ऐसा स्वैच्छिक समूह या नेटवर्क हो जो इन महिलाओं को न्याय दिलाने में मदद करे।

जुही की ढाई साल की बेटी है, पति गोवा में काम करता है। जुही को अपने काम से बहुत प्यार है। यही वजह है कि उसने शादी के बाद भी दिल्ली में ही रहने का फैसला किया। वह अपना भविष्य भी महिला अधिकारों के लिए संघर्ष में ही देखती है।

घरेलू हिंसा कानून कहता है कि इन मामलों पर कार्रवाई जल्द से जल्द शुरू हो कर मामले का 7 दिन में निपटारा हो जाना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। तीन-तीन महीने की तारीख उन्हें दी जाती है, उसमें कभी छुट्टी है, कभी हड़ताल है, कभी फाइल नहीं मिल रही, सरकारी वकील इसी तरह मामले को टालते रहते हैं। प्राइवेट वकील के लिए महिलाओं के पास पैसा नहीं होता। यही सब चलता रहता है। महिला थक हार के पति के पास ही लौट आती है कि चलो कम से कम यहां रोटी तो मिल रही है।'

धीरे-धीरे आई हममें चेतना, हां जी धीरे-धीरे आई हममें चेतना
अब रुकेंगे न, रुकेंगे न किसी भी हाल, आ गई चेतना
अब पूछेंगे हम, अब हम खूब सवाल, आ गई चेतना

गीता

पूर्व फील्ड कार्यकर्ता - ताजपुर पहाड़ी, बदरपुर

ज़िम्मेदारी- मोबलाइज़ेशन, केसे वर्क में सहयोग, फ़ॉलोअप

'शराब पीकर रोज की मारपीट, पर सब चुप चाप सहती चली आ रही थी। मेरे चेहरे तक से उसे नफ़रत थी। कहता था- अपना चेहरा मत दिखाया कर, तेरे चेहरे को देख कर उल्टी आती है। सारा पैसा शराब में उड़ा देता था। मैं घर चलाने के लिए लोगों के घर झाड़ू-पोंछा करती थी। वो भी नहीं करने देना चाहता था। कहता मेरी नाक कटवा रही है, लोगों के घर झाड़ू-पोंछा करती है। कहता मैं तुझसे भीख मंगवा कर दिखाऊंगा। मैंने भीख भी मांगी है।

रोज शराब पीकर आता, मारता, जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश करता। ये मेरी रोज की दिनचर्या थी, लेकिन अति तब हो गई जब पति मेरी बेटी पर गलत नजर डालने लगा। उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने सोचा, अब बहुत हो गया। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज किया और बच्चों के साथ इस रिश्ते से बाहर आ गई।'

बात करते हुए आज भी गीता के चेहरे पर अतीत के अनुभव की रेखाएं तमाम उलझनों के साथ उभर कर आ जाती हैं। गीता जागोरी के साथ तीन सालों तक जुड़ी रही। गीता ने अपनी समस्या गली मीटिंग, साप्ताहिक मीटिंग में जागोरी के सामने रखी। काउंसलिंग व सलाह का एक लंबा दौर चला।

हिम्मत से भरा फैसला लेने के बावजूद गीता का आत्मविश्वास लगातार हिंसा झेलने के कारण डिगा हुआ था। लोगों से घबराती थी। पुलिस थाने के तो नाम से ही कांपने लगती। किसी के सामने मुंह नहीं खोल पाती थी। सबसे पहली ज़रूरत गीता में खोए हुए आत्मविश्वास को वापस लाना था।

'पहले डरती थी, बोल नहीं पाती थी। पुलिस, थाना ये तो सोच भी नहीं पाती थी। नाम से ही कांपने लगती थी। मुझे याद है कैसे मैंने अपनी सारी बातें दीदी के सामने रखी थीं। पर धीरे-धीरे, बातचीत के बाद मैं खुलती गई। अब मैं अपनी बात अच्छे से रख पाती हूं। एक समझ बनी है। गलत को सहते नहीं रहना चाहिए, विरोध करना चाहिए। मैं यही बात दूसरी महिलाओं को भी समझाती हूं। ऐसे तकलीफ़ देने वाले रिश्तों से बाहर निकलो।'

गीता जागोरी में घरेलू हिंसा के मामलों पर कार्रवाई में सहयोग करती थी। वह पीड़िताओं से बातचीत करती, उन्हें शुरुआती स्तर की सलाह देती, उन्हें अपनी बात को मीटिंग में रखने व सलाह लेने के लिए प्रेरित करती। घरेलू हिंसा के ज़्यादातर मामलों में महिलाएं सलाह लेकर, मामलों को बीच में ही छोड़ देती थीं, पर उसका प्रयास रहता था कि वे मीटिंग में आएं ताकि उनका जुड़ाव संस्था के साथ बना रहे। ज़्यादा जानकारी व सलाह के लिए वह जागोरी का विशेषज्ञ टीम का सहयोग लेती थी।

'अभी पूरी तरह से इन मामलों को देखने के लिए मैं प्रशिक्षित नहीं हूं। घरेलू हिंसा से संबधित कानून की भी पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे में कई बार थाने में पुलिस वाले झूठे तर्क रख कर हमें बहकाने लगते हैं। जब कानून के बारे में मुझे खुद अच्छी तरह से जानकारी नहीं है तो मैं क्या बात करूंगी। किससे बात करूंगी। अगर मुझे जानकारी होगी तब ही तो मैं मामले को, सही धारा में रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश करूंगी। मैं चाहती हूं कि मुझे प्रशिक्षण मिले।'

गीता का मानना है कि ताजपुर पहाड़ी में बहुतायत में घरेलू हिंसा की घटना होने की मुख्य वजह नशा है। पुरुष नशा करते हैं, फिर औरतों को मारते-पीटते हैं। सरकारी शौचालयों में छिपकर नशे के इंजेक्शन लड़के लगाते हैं। एक महिला ही शराब का ठेका चलाती है। यहां की महिलाओं को अपेक्षा रहती है कि जागोरी इस तरह के नशे के कारोबारों को बंद करने में भी उनकी मदद करे। उन्हें लगता कि जागोरी उनकी समस्याओं पर तो बात करती है, पर समस्या की जड़ को दूर करने में कोई मदद क्यों नहीं करती।

इस इलाके के महिला प्रधान का खाप जैसा रवैया भी महिलाओं के अधिकारों के हनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बकौल गीता लड़की को घर के अंदर जाकर छेड़ने का मामला जब सामने आया तो प्रधानी ने मध्यस्थता करते हुए मामले को वहीं रफ़ा-दफ़ा कर दिया। कहा कि झूठा आरोप है इसका कोई सबूत नहीं है। वह अक्सर ऐसे मामलों में लड़की को पुलिस तक पहुंचने नहीं देती। खुद ही फैसले सुना देती।

जब हमने इस मामले को उठाया तो कहने लगी कौन जागोरी! मै किसी जागोरी को नहीं जानती। जो करना है कर लो। वैसा ही रवैया पुलिस का रहता है। जल्दी एफ.आई. आर. लिखते नहीं, मेडिकल नहीं करवाते। उन्हें लगता है छोटा-मोटा घरेलू झगड़ा है, निपट जाएगा। जब तक संस्था का नाम न लो, काम ही नहीं होता।'

लेकिन कई बार जागोरी का नाम लेने के बावजूद पुलिस मामले को दर्ज नहीं करती और बहाना करने लगती कि उनके पास प्रमाण-पत्र ही नहीं है, कैसे मान लें कि वे जागोरी से हैं।

'पीड़ित महिला के साथ जाने पर कई बार थाने के अंदर ही नहीं घुसने देते। कहते हैं पहचान पत्र दिखाओ। हम भी नहीं बोल पाते, हम क्या सबूत दें कि हम जागोरी से ही हैं। इंडेक्स वाली मैडम ही कह देती कि कोई कार्ड है तो दिखाओ, हम कैसे मानें आप जागोरी से हो। बहुत दिक़्क़त होती है।'

गीता के सामने दिल्ली सरकार की महिला हेल्पलाईन नंबर 181 की उपयोगिता से संबंधित भी कई सवाल हैं। उसका कहना है कि जब पुलिस स्टेशन आकर भी एफ.आई.आर. लिखवाने में इतनी दिक़्क़त आती है तो 181 में क्या शिकायत दर्ज होगी? 'हम पीड़िता को कहते हैं 181 पर फ़ोन करो, और जब फ़ोन किया जाता है तो उन्हें दूसरी जगह का नंबर देकर कहा जाता वहां जाओ। वहां जा कर बात करो। हमें इस बारे में जानकारी नहीं है।' ऐसे में गीता, पीड़िता को 100 नंबर पर कॉल करने व तत्काल मेडिकल करवाने की सलाह देती है। ताकि महिला के पास अपनी शिकायत की सत्यता का वाजिब सबूत हो। कई ऐसी घटनाएं हैं जिसमें महिलाओं के लिए एक सीमा से आगे कुछ न कर पाने का गीता को बेहद मलाल है।

'पड़ोस में रह रही सोलह सत्रह साल की लड़की के साथ घर में अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है ये खबर तो मिल रही थी, पर लड़की ने कभी शिकायत नहीं किया था। कई बार उससे बात करने की कोशिश की, पर वह बात करने से डरती थी। एक बार गली में मैंने उसे रोक ही लिया। उसके शरीर पर चोट के निशान साफ़ दिख रहे थे। उसने बताया कि उसकी सौतेली मां उसे न केवल घर का सारा काम करवाती और मारती-पीटती है, बल्कि खाने को भी पेट भर नहीं देती है। लड़की के बालों पर कुछ लगा हुआ था। पता चला मां ने सोते हुए उसके बालों में फेविकोल लगा दिया है ताकि बाद में उसके बाल काट कर उसका चेहरा बिगाड़ दे। मैंने उसे कहा कि इसकी शिकायत पुलिस में दो तो उसे डर था कि पुलिस उसके पापा को न पकड़ कर ले जाए। हमने उससे कई बार मिलने की कोशिश की तो उसके घरवालों को पता चल गया। उसके पिता ने इसके लिए उसे ही डांटा। बाद में पता चला कि लड़की को गांव भेज दिया गया है। वह गांव जाना भी चाहती थी।

गीता ने छठी क्लास तक पढ़ाई की है आगे की पढ़ाई के लिए उसे अपनी उम्र अब ज़्यादा लगती है, पर उसे खुशी है कि उसके बच्चों ने पढ़ाई जारी रखी है। महिलाएं चारदिवारी में होने वाली हिंसा से बाहर निकले और ज़िंदगी में आगे बढ़े, इस लक्ष्य को लेकर गीता ने समाज में फैले गैरबराबरी के माहौल के खिलाफ़ संघर्ष जारी रखा है।

गीता अब जागोरी में कार्यरत नहीं है, किन्तु वह हमारे महिला समूह की सदस्य हैं इस लेख में दर्ज उसके विचार उस समय से ही हैं जब वह जागोरी में फील्ड कार्यकर्ता थी।

सरिता

कार्यकर्ता, बदरपुर, (सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट)

सरिता वर्ष 2000 से जागोरी से जुड़ी हुई है। सरिता के पास कुछ समय बाद काउंसलिंग की ज़िम्मेदारी आई। वर्तमान में और एक दशक पहले के मामलों में ज़्यादा अंतर सरिता को नहीं लगता।

'घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, विवाह के अंदर बलात्कार लिव-इन में पार्टनर के साथ रहना है या नहीं, जैसे मामले तब भी आते थे, आज भी आते हैं। तब घरेलू हिंसा से जुड़े सभी तरह के मामले एक ही कानून यानि धारा 498 के तहत ही दर्ज होते थे। घरों के अंदर होने वाली हिंसा की पहचान ही नहीं थी। घर पर उनका कितना अधिकार है, पीड़ित महिला घर के अंदर रह कर संघर्ष कर सकती है कि नहीं ये सब मुद्दे तो कहीं थे ही नहीं। घरेलू हिंसा को लेकर अपराध जैसी कोई अवधारणा ही नहीं थी। हमारी कोशिश रहती थी कि महिलाओं को अपनी समस्या रखने के लिए एक स्पेस मिले, जहां वे बिना किसी हिचक के अपनी बात रख सकें। हमें इन मामलों को काउंसलिंग से काफ़ी हद तक सुलझाने की कोशिश करनी पड़ती थी। कानून का नजरिया था कि अगर महिला की हत्या नहीं हुई तो बाकी हिंसा तो छोटे-मोटे घरेलू मामले हैं। इन महिलाओं के लिए समाज के पास बेचारगी का नजरिया ज़रूर था, पर उन्हें हिंसा के रूप में नहीं देखा जाता था। पुलिस का हस्तक्षेप भी दहेज के मामलों तक ही सिमित था।'

घरों के अंदर होने वाली हिंसा का मुद्दा महिलाएं तभी उठाती हैं जब उन्हें लगने लगता है कि बस बहुत हो गया। अब उन्हें इस रिश्ते में नहीं रहना है। ऐसे समय में जागोरी इन महिलाओं को एक ऐसा स्थान देती है जहां वे अपनी समस्याओं को बेझिझक खुल कर रख पाती हैं। उन्हें अहसास कराया जाता है कि उनके साथ कोई खड़ा है जो उनकी बात सुन रहा है, समझ रहा है। समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है इस मुद्दे पर विचार-विमर्श होता है।

'महिलाएं इतनी डिस्टर्ब होती हैं कि अपनी बात पहली बार में रख भी नहीं पाती हैं। दो-तीन बैठकों के बाद ही वे खुल पाती हैं। 'विमेन सेल या महिला मंडल जैसी जगहें थी जहां उम्मीद की जाती थी कि वे अपनी समस्याएं वहां रखें। महिलाएं दर्जन भर लोगों के बीच में जिसमें उनके अपने रिश्तेदार भी होते थे अपनी निजी बातें कैसे साझा कर सकती थीं। क्या वे इतने लोगों के बीच बता सकती हैं कि पति उन्हें शारीरिक रूप से संतुष्ट करने में सक्षम नहीं हैं, उसे इस रिश्ते से निकलना है? महिला मंडल या विमेन सेल जबरदस्ती संबंधों को पैचअप कराने में लगी रहती है।'

जागोरी में, 'महिला की इच्छा के अनुसार आगे की कार्रवाई सहयोग दिया जाता है। काउंसलिंग या सलाह एक मशीनी व्यवहार नहीं है।' बकौल सरिता अपने-अपने अनुभव

के आधार पर ही व्यक्ति का नजरिया बनता है। काउंसलिंग के दौरान हमेशा इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि वह संयुक्त विचार का परिणाम हो। महिला जब समस्या सामने रखती है तो कई पहलुओं पर विचार किया जाता है। मसलन समस्या की मूल वजह क्या है, समस्या के हल के लिए कौन-कौन से रास्ते निकाले जा सकते हैं। उन उपायों के विभिन्न आयामों पर विचार किया जाता है। समस्या के मूल में गलतफ़हमी तो नहीं है, या कोई और कारण जिसे महिला स्पष्ट तौर पर अपने पार्टनर को व्यक्त नहीं कर पा रही है। परिवार के दूसरे लोगों की वजह से तो संबध खराब नहीं हो रहा? या कोई और कारण? इन सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही पीड़िता को सलाह दी जाती है या काउंसलिंग की जाती।

अन्य कई मुद्दे जो पहले भी मौजूद थे, लेकिन उन्हें पहचान नहीं मिली थीं, ये मुद्दे अब अलग नजरिए से देखे जाने लगे हैं। समलैंगिक संबंध ऐसा ही मुद्दा है। ऐसे ही कई मुद्दे जागोरी के सामने पहले भी आते थे और अब भी आया करते हैं। पहले दो लड़कियां साथ रह रही हैं तो उसे समलैंगिक संबंध के रूप में नहीं देखा जाता था, बल्कि समाज उसे स्वीकृति व मदद देता था। आज समलैंगिक संबंध को पहचाना जाने लगा है।

'समलैंगिक संबंधों वाले मामले भी कई आते हैं। उन्हें अलग तरीके से सुलझाना होता है। सहजीवन समाज में पहले भी था। अब लिव-इन के रूप में ज़्यादा खुल कर आ रहा है। कई बार शादी में दिक़्क़त की वजह यह भी होती है कि शादी जैसी संस्था पर किसी एक पार्टनर को विश्वास ही नहीं होता, संबंध चलाने के लिए किसी तरह का समझौता करने के लिए तैयार ही नहीं होते। बेटा भी कभी मां के साथ बलात्कार कर सकता है या बाप, बेटी को संबंध बनाने के लिए मजबूर कर सकता है? सुना था, पर कभी सामने नहीं आया था। इस तरह के मामले भी आए हैं।'

सरिता जागोरी में आने वाले मामलों में एक और बदलाव देख रही हैं। पहले अपने निजी मसलों को लेकर जागोरी के पास आने वाली महिलाओं की उम्र चालीस से ऊपर की होती थीं, जबकि उम्र का यह दायरा अब ज़्यादा बढ़ा है, अब कम उम्र की विवाहिता भी अपने मसलों को लेकर काउंसलिंग या समाधान के लिए जागोरी के पास आती है।

'पहले महिलाएं चालीस-पचास की उम्र तक सब कुछ सहती चली जाती थीं। उन्हें लगता था उनके साथ होने वाली हिंसा उनके जीवन का हिस्सा है वे उसका जिक्र अपनी बेटियों तक से नहीं करती थीं। बेटियों के साथ भी होता तो खुद ही समझा कर वापिस ससुराल भेज देतीं। पर आज इस हिंसा से मुक्त होने के लिए अठारह-उन्नीस साल की विवाहिताएं भी आ रही हैं।'

अगर पुलिस के पास रिकॉर्ड में महिला अपराध के खिलाफ़ शिकायतों की संख्या बढ़ गई है तो इसका अर्थ यह नहीं कि महिलाओं के खिलाफ़ अपराध पहले कम थे अब ज़्यादा हो गए हैं, बल्कि महिलाएं अब खुल कर अपने साथ होने वाली हिंसा या अपराध के खिलाफ़ शिकायत दर्ज करवाने आ रही हैं।

सरिता, जागोरी के साथ मिलकर केवल काउंसलिंग व केस वर्क ही नहीं कर रही हैं, बल्कि इलाके की महिलाओं के बीच महिला अधिकारों, हिंसा के स्वरूप, संबधित कानून के विषय में उनकी समझ बनाने के प्रयास में भी लगी हुई हैं।

'उनमें इतनी जागरुकता आ गई है कि वह अपने साथ होने वाली हिंसा का विरोध करें, अपने अधिकारों को पहचानें। **'आज महिलाएं अपनी समस्याएं पूरे अधिकार के भाव के साथ ले कर आती हैं। उन्हें पता है कि उनके साथ जो हो रहा है वो गलत है, और गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं किया है। वे अब पहले की तरह वे छुपते-छुपाते अपनी पीड़ा को साझा करने नहीं आती हैं।**

साबरा

कार्यकर्ता, सहायता समूह के गठन में सहयोग,
(शिवालिक, मदनपुर खादर, बदरपुर, बवाना)

साबरा, मदनपुर खादर, बदरपुर, व बवाना में महिलाओं का समूह बनाने में जागोरी का सहयोग करती हैं। खासतौर पर बदरपुर में महिलाओं से संपर्क, जुड़ाव, बातचीत व हिंसा से जुड़े मामलों में पीड़ित महिलाओं की मदद करती हैं। **गली मीटिंग महिलाओं से बातचीत का एक अच्छा माध्यम बनता जा रहा है। महिलाएं खुद भी उस मीटिंग में आ जाती हैं। कई बार मैं उनके घरों में जाकर उनसे बातचीत करती उन्हें प्रेरित करती हैं कि वे इस मीटिंग में शामिल हों। इस मीटिंग में नए-नए विषयों पर बातचीत होती है, पर ज़्यादातर हिंसा पर ही महिलाएं बातचीत करने को इच्छुक रहती हैं। कई बार बातचीत के दौरान वे खुद महिला हिंसा से जुड़ी अपनी समस्या भी रखती हैं। हिंसा के कई ऐसे रूप हैं जिन्हें वे झेल रही होती हैं, पर उन्हें पता ही नहीं होता कि यह भी हिंसा है। बातचीत से उनकी सोच में भी बदलाव आता है। कई बार वे खुद भी महिला विरोधी कार्य कर रही होती हैं, पर उन्हें खुद इसका पता नहीं चलता। जब समझती हैं तब उन्हें अहसास होता है कि हां! मैं गलत कर रही थी।'**

इन इलाकों में ज़्यादातर मामले घरेलू हिंसा के आते हैं, लेकिन महिलाओं के साथ होने वाले हिंसा के कई अन्य रूप भी यहां आने वाले मामलों में नजर आते हैं। बुजुर्ग मां के साथ बेटे का गलत व्यवहार जिसमें बलात्कार से लेकर, पैसा छीन लेना, मारना-पीटना व अन्य प्रकार का उत्पीड़न भी शामिल है। वहीं बच्चों के साथ परिवार जनों द्वारा ही यौन-उत्पीड़न करने जैसे मामले भी आते हैं। साबरा उन महिलाओं की समस्या को सुनकर उन्हें ज़रूरत के हिसाब से काउंसलिंग की व्यवस्था करती हैं, परिवार के लोगों से बातचीत करती हैं, अगर थाने या कोर्ट की ज़रूरत होती है तो वहां भी जाने में उनकी मदद वह करती हैं। मामला सुलझ जाता है तब भी लंबे समय तक केस का फॉलोअप करना होता है।

इन महिलाओं के साथ संपर्क बनाने में सामाजिक सोच एक बड़ी बाधा के रूप में सामने आती है। परिवार के लोग घर की महिलाओं से हमारे मेलजोल पर सवाल खड़ा करते हैं, महिलाओं के साथ बातचीत करने पर रोक लगाते हैं। परिवार और समाज द्वारा साबरा और जागोरी के अन्य कार्यकर्ताओं को शक की निगाह से देखा जाता है।

'फिर भी हम उन महिलाओं से बार- बार बात करने की कोशिश करते हैं। परिवार वालों को समझाने की कोशिश करते हैं। सामाजिक सोच भी हमारे काम में बाधा डालती है और ये सोच इतनी मज़बूत होती है कि उसके सामने सवाल खड़ा करने पर समुदाय हिंसक रूप लेने के लिए भी तैयार हो जाता है। हमारी जान पर भी खतरा बन जाता

है। एक लड़की के साथ हुई यौन हिंसा के मामले में मदद करने पर समुदाय द्वारा गंभीर विरोध का सामना हमें करना पड़ा था।' अकेली लड़की ने जागोरी के समर्थन से अपने यौन उत्पीड़न के खिलाफ़ आवाज़ उठाई। लड़की का साथ देने पर उसके परिवार वाले यहां तक कि मां भी जागोरी का विरोध करने लगी थी। समुदाय भी परिवार के साथ ही खड़ा था। एक स्थिति यह थी कि उस इलाके में जागोरी ने जितनी महिलाओं को अपने साथ जोड़ा था सब उसके खिलाफ़ हो गईं, लेकिन साबरा ने प्रयास नहीं छोड़ा। उन महिलाओं के साथ बातचीत का प्रयास जारी रखा।

'लड़की की मां तो जहां मुझे देखती थी चुन्नी से मुंह ढक कर रास्ता बदल लेती थी। कभी गालियां देने लगती थी। उसके साथ की दूसरी महिलाएं भी ऐसा ही करती थीं, पर हमने हिम्मत नहीं हारी। बातचीत की कोशिश करती रही। अब जा कर स्थिति कुछ बेहतर हुई है। वे महिलाएं ही मुझे बताती हैं कि आप सही कह रहे थे। ऐसा होता है और यह गलत है हमने टी. वी. में भी देखा है।'

'महिलाएं कोर्ट या पुलिस के पास जाने में बहुत हिचकिचाती हैं। एक तरफ़ परिवार व समाज का यह दबाव उन पर बना रहता है कि परिवार को बनाए रखने के लिए वे चुपचाप सब कुछ झेलें। हमारे समझाने व हिम्मत बंधाने पर वे पुलिस तक जाती भी हैं तो इन संस्थानों को रवैया इन्हें परेशान कर देता है। समझा जा सकता है कि कैसा चौतरफा दबाव उन पर रहता है।'

साबरा को सरकारी संस्थानों का महिला हिंसा के प्रति उदासीन नजरिया बहुत परेशान करता है। घरेलू हिंसा के मामलों को तो पुलिस घरेलू मामला कह कर रफ़ा-दफ़ा करने की कोशिश करती ही है; बल्कि बुजुर्ग महिला के साथ बेटे के मार्फ़त होने वाली हिंसा को भी घरेलू मामला कहकर टालने का पुलिस भरसक प्रयास करती है।

साबरा और जागोरी का साथ शुरुआती दौर से है। जागोरी एक एन. जी. ओ. के रूप में 1984 में पंजीकृत हुई। 1984 से पहले भी जागोरी की दिल्ली के कई हिस्सों में मीटिंग होती थी। साबरा उन मीटिंगों में भी आया करती थी। समय-समय पर होने वाले वर्कशॉप, सेमिनार व व्यवहारिक अनुभवों से साबरा की महिला अधिकारों व कानून के बारे में अच्छी समझ बन गई है।

'मैं मेहरून्निसा के माध्यम से जागोरी में आई। इससे पहले 'एक्शन एड' व 'एडवा' में थी। मुझे बचपन से ही महिला अधिकार के सवालों पर आवाज़ उठाना अच्छा लगता था। शादी के बाद चार बच्चों की ज़िम्मेदारी भी आ गई। पति कुछ काम करने को तैयार नहीं था, खुद मैंने बच्चों को पालपोस कर बड़ा किया है। उन दिनों जागोरी एकल महिलाओं की जीवनी को लिखने का काम कर रही थी, मैं भी उस काम में शामिल हो गई।'

घरेलू कामगार महिलाओं के कई मामलों में जहां एक ओर घरेलू हिंसा की समस्या दिखाई देती है, वहीं नियोक्ताओं के साथ भी उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है; मसलन कई महीनों तक तनख्वाह नहीं देना। कई बार बेवजह उन पर चोरी का इल्ज़ाम भी लगा दिया जाता है। पुलिस भी नियोक्ता की शिकायत को ज़्यादा महत्व देती है। महिला खुद को बेगुनाह साबित करते-करते थक जाती है, पर उसकी सुनवाई नहीं होती। ऐसे में जागोरी को हस्तक्षेप करना पड़ता है। तनख्वाह के मामले में भी अगर महिला चाहती है तो नियोक्ता से बातचीत करके मामले को सुलझाने की कोशिश की जाती है।

सीमित कमाई और बच्चों की ज़िम्मेदारी के बावजूद साबरा की दुनिया अपने परिवार तक ही नहीं सिमटी हुई है। महिला मुद्दों पर तो वह बढ़-चढ़ कर आवाज़ उठाती रही है, पर जहां बात इंसानियत की आती है वहां भी अपने पैर पीछे नहीं करती है। सिमित आय होने के बावजूद मुस्लिम हिंदू जन्मदाता के विवाद में फंसे लावारिस बच्चे को अपनाने में उसने दो बार नहीं सोचा। उसके लिए बच्चे का हिंदू या मुस्लिम होना कोई मायने नहीं रखता था। अगर कोई बात मायने रखती थी तो वह ये कि एक बच्चे को छत और देखभाल की ज़रूरत है। आज वह बच्चा जवान हो गया है, अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। उसकी शादी की तैयारी में साबरा मां जितना ही उत्साह से लगी हुई है।

लक्ष्मी

कार्यर्ककर्ता

बदरपुर, मालवीय नगर, हौज़खास

लक्ष्मी जागोरी के सेफ़ सिटी अभियान से जुड़ कर महिला सुरक्षा के मुद्दे पर काम कर रही है। बदरपुर, मालवीय नगर, हौजखास आदि इलाको में महिलाओं के कई समूह बने हैं जिनकी अक्सर बैठकें होती हैं, जिसका मुख्य मुद्दा महिला सुरक्षा होता है।

'इस अभियान के तहत महिलाओं के समूह बनाने होते हैं। इन समूहों की मीटिंग समय-समय पर होती है। बातचीत में महिलाओं के अधिकारों से जुड़े कई सवाल उभर कर आते हैं। साथ ही सुरक्षा से संबंधित उन इलाकों की समस्याएं भी सामने आती हैं; मसलन कौन सा रास्ता असुरक्षित है, वहां रोशनी की कमी या दूसरी वजहें मौजूद हैं। उन स्थानों की पहचान कर उन्हें सुरक्षित बनाने की दिशा में पुलिस के साथ मिल कर कदम उठाए जाते हैं।'

लक्ष्मी जागोरी के साथ वर्ष 2006 में जुड़ी थीं। एक मित्र के माध्यम से उसे जागोरी और उसके द्वारा आयोजित बैठकों के बारे में जानकारी मिली। बैठक में महिला सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत हो रही थी। उसे महसूस हुआ कि ये एक ऐसी जगह है जहां उन मुद्दों पर बातचीत होती है जो उसके भी जीवन से जुड़े हैं। उसने उन बैठकों में आना शुरू किया। वर्ष 2012 में लक्ष्मी बतौर कार्यकर्ता जागोरी में शामिल हो गई।

'महिला सुरक्षा का सवाल गैरबराबरी से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। समाज में स्त्री-पुरुष के बीच गैरबराबरी है, जो अपने को ज़्यादा ताकतवर समझेगा वो कमजोर को अपनी ताकत का बार-बार एहसास कराएगा। पुरुष अपनी ताकत का एहसास करवाने के लिए महिलाओं पर हिंसा करता है। महिला पूरी तरह से तभी सुरक्षित होंगी जब समाज में गैरबराबरी खत्म होगी। हम पुरुषों से भी इस संदर्भ में बातचीत करते हैं।'

लक्ष्मी महिला हिंसा के जुड़े मामलों को सीधे तौर पर नहीं देखती है, लेकिन कई बार महिला सुरक्षा अभियान पर कार्य करते समय कई मामले उसके सामने भी आते हैं जिनमें महिलाओं की सहायता की ज़रूरत होती है।

'अभी भी महिलाओं को पता ही नहीं है कि घरेलू हिंसा क्या है। उन्हें बताते हैं कि जिसे वे हिंसा नहीं औरत की नियति मान रही हैं वो हिंसा है और उसे रोका जाना चाहिए। लक्ष्मी उन्हें जागोरी से मदद दिलवाती है। कानून की पूरी जानकारी नहीं है इस वजह से बहुत मदद तो उन्हें ऐसे मामलों में नहीं दे पाती, लेकिन 'फ़र्स्ट एड' के रूप में तत्काल राहत देने का काम करते हैं। फिर उन्हें जागोरी के ऑफ़िस में बुलाते या जहां उन्हें सुविधा होती है, वहां जागोरी का कोई कार्यकर्ता जाती है, और उनकी मदद करती है।'

लक्ष्मी के सामने जब मामले आते तो वह इस जानकारी को हासिल करने की कोशिश करती कि मामले की शुरुआत

कैसे हुई। गलती किसकी है, कैसे उस मामले को शांत तरीके से सुलझाया जा सकता था।

'जब आपसी लड़ाई होती है, एक पक्ष गुस्से में है और जोर-जोर से बोल रहा है तो दूसरे पक्ष को शांत हो जाना चाहिए। कई बार दोनों पक्ष उत्तेजित हो जाते है तो मामला बढ़ जाता है। स्थिति को देखते हुए बाद में शांति से समझाया जाता है तो कई मामले खुद ब खुद सुलझ जाते हैं। कई बार मामलों को सुलझाने के लिए उसकी व्यवहारिकता पर भी ध्यान देना पड़ता है।'

जागोरी की संगत से न केवल लक्ष्मी के विचारों में बदलाव आया है, बल्कि उसके परिवार की सोच में भी काफ़ी बदलाव आया है। **लक्ष्मी जागोरी द्वारा महिला अधिकारों पर प्रकाशित सामाग्रियों को परिवार के लोगों को भी पढ़ने के लिए देती है। समय-समय पर इन मुद्दों पर बच्चों व पति के साथ बातचीत भी करती है। जिसका परिणाम है कि परिवार के सदस्य महिला अधिकार के मुद्दे को संवेदनशीलता के साथ देखने लगे हैं और अब घर की ज़िम्मेदारी में भी बराबर हाथ बंटाते हैं।**

ये वक़्त की आवाज़ है मिल के चलो
ये ज़िंदगी का राज़ है मिल के चलो
मिल के चलो, मिल के चलो, मिल चलो.....
चलो भई मिल के चलो.....

सुनीता ठाकुर

काउंसलर, कानूनी सलाहकार

सुनीता और जागोरी का साथ काफ़ी लंबा रहा है। पिछले लगभग 19 सालों से सुनीता जागोरी के साथ काम कर रही हैं। जागोरी द्वारा प्रकाशित पत्रिका 'हम सबला' जो बाद में 'सबला' नाम से भी प्रकाशित होती रही, सुनीता ने उस पत्रिका में सहायक संपादक के तौर पर काम करना शुरू किया था, लेकिन जल्द ही उनके रुझान को देखते हुए काउंसलिंग का कार्य भी उन्हें दे दिया गया।'

'शुरुआत में एक केस के मामले में मुझे दक्षिणपुरी भेजा गया। वहां मैंने तब अपने वरिष्ठ साथियों को देखा वे किस तरह से केस पर कार्य करते हैं। वहां महिलाओं के साथ होने वाली बैठकों में शामिल होने लगी। उनकी समस्याओं को सूक्ष्मता से समझने की कोशिश करती। कानून का औपचारिक ज्ञान तो नहीं था, पर काफ़ी समझ थी क्योंकि मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि कानून से जुड़ी हुई है। औपचारिक तौर पर मैंने काउंसलिंग व केस वर्क का काम 2001 से शुरू किया।'

सुनीता ने अपने काउंसलिंग के काम को और बेहतर तरीके से करने के लिए बकायदा काम के साथ-साथ कानून की डिग्री भी हासिल की। सुनीता मुख्यतः शिवालिक, जागोरी के मुख्य कार्यालय में आने वाले मामलों को देखती हैं। साथ ही खादर, ताजपुर व बवाना में भी केस वर्क के लिए जाती हैं।'

'बवाना ज़्यादा नहीं हो पाता, पर कानूनी सलाह की ज़रूरत पड़ने पर वहां भी जाती हूं। मैं दरअसल सैक्सूएल हरासमेंट कमेटी की सदस्य भी हूं व सी.आई.एस.एफ. को भी काफी वक्त देना पड़ता है। कई बार सब काम देखना मुश्किल हो जाता है और कोई महिला हमारे पास सहयोग की मांग लेकर आए और हम उसे अपना 100 प्रतिशत न दें तो यह भी ठीक नहीं लगता है।'

इन अठारह सालों में जागोरी में आने वाले मामलों के स्वरूप में समय के साथ काफ़ी बदलाव आया है। जहां

पहले दहेज के मामले व पारिवारिक विवाद के मामले ज़्यादा आते थे अब घरेलू हिंसा, सह-जीवन से जुड़ी समस्याएं, यौन उत्पीड़न, कार्यक्षेत्र में यौन उत्पीड़न, जैसी समस्याएं ज़्यादा आ रही हैं। कार्यक्षेत्र में यौन उत्पीड़न में ज़्यादातर मामले असंगठित क्षेत्र से जुड़े हैं, जिसमें प्लेसमेंट ऐजेन्सी, घरेलू कामगार महिलाओं की समस्या ज़्यादा है। लिव इन रिलशन में धरेलू हिंसा की शिकायतें भी हैं, वहीं विवाह का वायदा करके शारीरिक संबंध बनाने जैसे मामले भी हैं।

लिव इन रिलेशनशिप के मामलों में देखने में आया है पुरुष-महिला साथ रहे, एक समय के बाद पुरुष रिश्ते से निकलने की कोशिश करता है। महिला चाहती है किसी तरह वह रिश्ते में रुक जाए। तो कई बार रेप या शादी का वायदा करके संबंध बनाने का आरोप लगाती हैं। वे चाहेंगी हम उन्हें इसमें उनकी मदद करें। धोखे से संबंध बनाने पर कानून तो है, लेकिन महिला यह कैसे सिद्व कर सकती है कि उसने शादी का वायदा किया था। आपसी सहमति से बने संबंध में रेप भी कैसे साबित किया जा सकता है। अगर कुछ खिला कर रेप किया है तब फिर भी केस बनता है। हमारा काम उन्हें सच्चाई से रूबरू करवाना भी है। उन्हें बुरा लगेगा पर हमारा काम है कि हम उन्हें प्राथमिक स्तर पर बता दें के ये सब करके उन्हें आगे चलकर नुकसान ही होगा।'

इन मामलों के अलावा कई बार संपति से संबंधित मामले भी जागोरी में आते हैं। हालांकि संपति से संबंधित मामलें जागोरी के कार्यक्षेत्र में नहीं आते। लेकिन फिर भी अनाधिकारिक तौर पर तत्कालिक सलाह महिलाओं को उपलब्ध करवाई जाती है, मसलन मामले का क्या कानूनी कोण बन सकता है, किस वकील के पास जाना बेहतर रहेगा इनके संपत्ति अधिकार क्या है, कितने सीमित है। आदि। राइट टु च्वाइस के भी कई मामलें जागोरी के पास आते हैं।

'राइट टु च्वाइस के मामले के प्रति मेरा अलग नजरिया है। आमतौर पर इसे शादी के एंगल से देखा जाता है, पर मै इसमें नौकरी, शिक्षा सभी कुछ शामिल करती हूं। कोई लड़की शादी नहीं करना चाहती आगे पढ़ना चाहती है या नौकरी करना चाहती है या शादी अपने पसंद के लड़के से करना चाहती, या शादी करना ही नहीं चाहती तो ये भी राइट टु च्वाइस से जुड़े हैं। ऐसा नहीं करने पर लड़की को परिवार वाले मारते पीटते हैं, लड़की घर छोड़ कर आ जाती है, या कहती है कि हमें घर छोड़ना है।'

ऐसे समय में जागोरी उन्हें गाइड करती है कि उन्हें किन-किन बातों का ध्यान रखना है। उन्हें बचाव के सुरक्षा उपाय व अन्य तरीके बातें जैसे कि ज़रूरी सर्टिफ़िकेट, पहचानपत्र आदि वगैरह साथ लेना ताकि आगे पढ़ाई या नौकरी जारी रख सके। उनके लिए आश्रय की व्यवस्था की जाती है। शेल्टर होम में भेजने से पहले लड़की के अभिभावक से बात की जाती है, जिसमें लड़की का पक्ष रख कर उन्हें उसका नजरिया समझाने की कोशिश की जाती है। कई मामलों में अभिभावक लड़की की इच्छा को मान लेते हैं और लड़की को घर ले जाते हैं, पर कई मामलों में अभिभावक अपनी ज़िद पर अड़े रहते हैं ऐसे में लड़की का बयान मालवीय नगर थाने में दर्ज करवाने के बाद लड़की को शेल्टर होम भेज दिया जाता है, जहां आश्रय लेकर लड़की अपने भविष्य की योजना बनाती है।

राइट टु च्वाइस के अंतर्गत कई मामले नाबालिग लड़कियों के भी आते हैं। हालांकि ऐसे मामले बहुत कम हैं, ऐसे मामलों को जागोरी सी.डबल्यू.सी. यानि बाल कल्याण समिति को रेफ़र कर देती है।'

अपने पिता, भाई व दादा द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकार बच्ची को मुक्त कराया और सी.डब्ल्यू.सी. की मदद से उसे आजादी दिलाई यह केस अभी कोर्ट में चल रहा है। इसमें हमारे कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमले भी हुए। अब वह बच्ची शेल्टर होम में रहकर पढ़ाई कर रही है। नए प्रोटोकोल के तहत बच्चों के मामलों को जागोरी अपने हाथ में नहीं ले सकती। हम सी.डबल्यू.सी. में रिपोर्ट करके उनकी जरूरत के अनुसार मदद करते हैं। बच्ची के साथ मेडिकल वगैरह के लिए जाते हैं।'

गौरतलब है कि घरेलू हिंसा के ज़्यादातर मामले बीच में ही खत्म हो जाते हैं। कारण कई होते हैं पर जागोरी का प्रयास रहता है कि महिला अपनी सरवाइवरों के सवालों

और मसलों पर केस न भी दर्ज हो तब भी हम महिलाओं के साथ लगातार संपर्क बनाए रखें। लगातार बातचीत चलती रहती है। हालात से समझौता कर लेने के उनके फैसले के बावजूद उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाता।

अगर उनसे संपर्क प्रत्यक्ष तौर पर नहीं रहता तो अप्रत्यक्ष तौर पर उनसे संपर्क बनाया जाता है। मसलन कोई महिला जो घरेलू हिंसा से पीड़ित है, तकलीफ़ में है, लेकिन किसी संगठन से सहयोग लेने से अभी बच रही है, उसके अपने कारण होंगे, तब हम उसके किसी साथी के माध्यम से हम तक सलाह पहुंचाने की कोशिश करते। *"हमारा एक सिद्धांत है उनकी मदद करो जो खुद की मदद को तैयार हैं। समाज की पितृसत्तात्मक समझ है, महिलाएं भी उससे प्रभावित होती हैं। हम किसी महिला की तरफ से अपने आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक वे खुद पहल न करें।"*

महिला की लिखित शिकायत पर दूसरे पक्ष को बातचीत के लिए बुलाया जाता है। कई बार दूसरा पक्ष बातचीत के लिए नहीं आता है। तब तक महिलाओं को भी वास्तविक स्थिति का एहसास हो जाता है। तब महिलाओं को मानसिक तौर पर तैयार किया जाता है कि वे आगे किस तरह की कानूनी कार्रवाई सहयोग और कहां से ले सकती है। जैस कोर्ट में केस दर्ज करना या क्राइम सैल या डी.एस.एस.ए.। बस यहां तक का ही जागोरी और पीड़ित महिला का साथ होता है। क्योंकि जागोरी सर्विस प्रोवाइडर (सेवा प्रदाता) खुद नहीं है तो उन्हें सर्विस प्रोवाइडर के पास महिला को आगे की कार्यवाही के लिए भेजना पड़ता है।

'मैंने भी एक रणनीति बनाई है जब कोई महिला हमारे पास घरेलू हिंसा का मामला लेकर आती है तो मैं उन्हें बता देती हूं कि हम तभी सफल होंगे जब दोनों पक्ष बातचीत को तैयार हों। तो महिला भी मानसिक तौर पर तैयार रहती है कि उसके मामले में आगे क्या-क्या होना है। हम उन्हें सलाह देते है कि फलां संगठन या सी.पी.डबल्यू. जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वहां उन्हें जाना होगा। वहां से उन्हें ये अधिकार मिल सकते हैं। सर्विस प्रोवाइडर संस्था के पास भेजने के बाद भी हम उन मामलों का फ़ॉलोअप करते रहते हैं। अगर उन्हें कोर्ट भेजते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि वकील अगर उन्हें किसी तरह से परेशान कर रहा है तो वे हमसे संपर्क कर सकती हैं। फिर हम वकील से बात करेंगे। ऐसी स्थिति में जागोरी दबाव समूह के रूप में काम करती है।'

घरेलू हिंसा के कई ऐसे मामले जिसमें महिला आर्थिक रूप से कोर्ट कचहरी जाने की स्थिति में नहीं होती तो सुनीता उन्हें डिप्टी मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर अपनी समस्या सुनाने के लिए कहती है। सुनीता का कहना है-

'मजिस्ट्रेट कम से कम उन्हें सुरक्षा तो दिलवायेगा। सत्ता ताक़तवरों की है। आम महिला के लिए उस तंत्र से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। कानून और उसके क्रियान्वयन के बीच गहरी खाई है। महिला किसी हैल्पलाइन या संगठन के माध्यम से ही अपने अधिकारों मांग कर पाती है। कई महिलाओं को जिनके पति की कोई नियमित कमाई नहीं है, ठेला चलाता है या ऐसा कुछ काम करना है, हम मानसिक तौर पर तैयार कर देते हैं कि आपको भरण-पोषण के तौर पर वहां से बहुत कुछ नहीं मिलने वाला है। केस करेंगी, लंबे समय तक केस चलता रहेगा, वहां बहुत कुछ मिलना नहीं है। आप अपने पैरों पर खड़ी होइए, किसी पर निर्भर नहीं रहिए। महिलाओं को लीगल काउंसलिंग की आवश्यकता होती है तो वह भी उन्हें दी जाती है। हमारा मुख्य काम है जब व्यवस्था अपना काम सही ढंग से नहीं करती है इन महिलाओं के लिए रास्ते निकालना।'

वे पीड़ित महिलाएं जो स्वनिर्भर नहीं हैं, और उनका कोई सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है, सबसे पहले कोशिश की जाती है कि उनके लिए सहयोग की व्यवस्था की जाए। मायके से बात की जाती है, वहां से सहयोग नहीं मिलता तो जागोरी अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके उन्हें आर्थिक रूप से स्वनिर्भर बनाने की कोशिश करती है।

'हमारा लक्ष्य उन्हें किसी तरह से स्वनिर्भर बनाना होता है। एक बार वे खड़ी हो गईं तो उन्हें किसी और की मदद की आवश्यकता नहीं होती है। हम उन्हें संघर्ष के लिए तैयार करते हैं। हम कह देते हैं कि लड़ाई तुम्हारी है, लड़ना भी तुम्हें ही होगा। हम बस तुम्हारे पीछे तुम्हारे संघर्ष के साथ

खड़े हैं। यही कारण है जागोरी का संबंध इन महिलाओं के साथ दीर्घकालिक होता है।'

सरकार की नीतियों में घरेलू हिंसा का मुद्दा कहीं है ही नहीं। कानून है, पर घरेलू हिंसा को अपराध की श्रेणी में अभी तक रखा नहीं जा रहा है। जब तक उसे अपराध नहीं माना जाएगा इस कानून के क्रियान्वयन में गंभीरता भी नहीं दिखाई जाएगी। अन्य अपराधों की भीड़ में घरेलू हिंसा जैसे अपराध पुलिस के लिए इतनी छोटी बात होती कि वे अपना वक्त उस पर जाया नहीं करना चाहते। ज़्यादातर पुलिसकर्मी घरेलू हिंसा को पारिवारिक लड़ाई के अलावा कुछ नहीं समझते। जिन पुलिस कर्मियों को घरेल हिंसा कानून के संदर्भ में जानकारी दी भी गई है तो उनकी संख्या बहुत कम है। धरेलू हिंसा कानून हर जिले में एक सुरक्षा अधिकारी (पी.ओ.) होने की मांग करता है।

दिल्ली में एक जिले में एक प्रोटेक्शन आफ़िसर ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। बहुत से सर्विस प्रोवाइडर हैं इनका का भी मुख्य लक्ष्य महिला की सुरक्षा नहीं परिवार बचाना होता है। किसी भी तरीके से वे परिवार को ही बचाने का प्रयास करते हैं। उनके साथ नज़रिए को लेकर हमारा टकराव होता है। दूसरी ओर वकील हैं तो वे भी कानूनी रणनीतियों के नाम पर कई बार मनमानी करते हैं, जैसे कि तलाक का मामला है डाल देंगे साथ में घरेलू हिंसा का मामला भी। घरेलू हिंसा का मामला देखते ही कोर्ट का नज़रिया बदल जाता। वे तुरंत परिवार बचाओ वाली दिशा में देखने लगते है।'

सुनीता को लगता है कि अगर जागोरी घरेलू हिंसा कानून के अंतर्गत सर्विस प्रोवाइडर की भूमिका भी ले लेती है तो घरेलू हिंसा से संबधित मामलों को और बेहतर तरीके से क्रियान्वित करने की दिशा में काम किया जा सकता है। सर्विस प्रोवाइडर संस्था के पास विशेष शक्ति भी होती और पुलिस भी उसे अपना पूरा सहयोग देती है।'

'महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होकर जागोरी आती हैं, और जब हमारे द्वारा काउंसलिंग या बातचीत से समाधान के प्रयास विफल हो आते है तो हम उन्हें काउंसलिंग के लिए सर्विस प्रोवाइडर संस्थाओं के पास भेज देते हैं। काउंसलिंग में अगर दो बार में दूसरा पक्ष नहीं आता तब महिला को अन्य कानूनी कार्रवाई विकल्पों की सलाह दी जाती है। हम लगातार उनके साथ रहते हैं, लेकिन जब शिकायत अधिकृत तौर पर दर्ज होती है तब हमें महिलाओं को बोलना पड़ता है कि हम सर्विस प्रोवाइडर नहीं हैं। इसके आगे हम आपकी मदद नहीं कर सकते। तब हमें भी अपनी सीमा का अहसास होता है।'

जागोरी में आने वाले मामलों की संख्या में निरंतर वृद्धिहो रही है। मामलों को देखते हुए सुनीता को जागोरी में मानव महिला संसाधन की कमी भी महसूस होती है।

'पीड़ित महिलाओं को अगर हम समय पर सहयोग नहीं कर पाए तो हमारे होने का कोई मतलब नहीं है। उन्हें जब ज़रूरत हो हमें उपलब्ध होना चाहिए। ज़रूरी है कि हम उन्हें अपना सौ प्रतिशत सहयोग दें। इस वजह से काम का काफ़ी दबाव बन जाता है।'

"जागोरी आपकी तमाम सीमाओं ओर संसाधनों के साथ आज भी महिलाओं के लिए एक ऐसी जगह है, जहां वे आपकी बात खुलकर, निडर होकर कह पाती हैं, दूसरों को समझा पाती हैं, लड़ पाती हैं, अपने फैसलों की ज़िद कर पाती हैं और इस भरोसे से जुड़ी रहती हैं कि यहां कोई उन्हें गलत नहीं समझेगा, झूठ नहीं समझेगा। दर्द से हमदर्द बनने और बनाने की यह प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी- यही हमारा प्रयास है।"

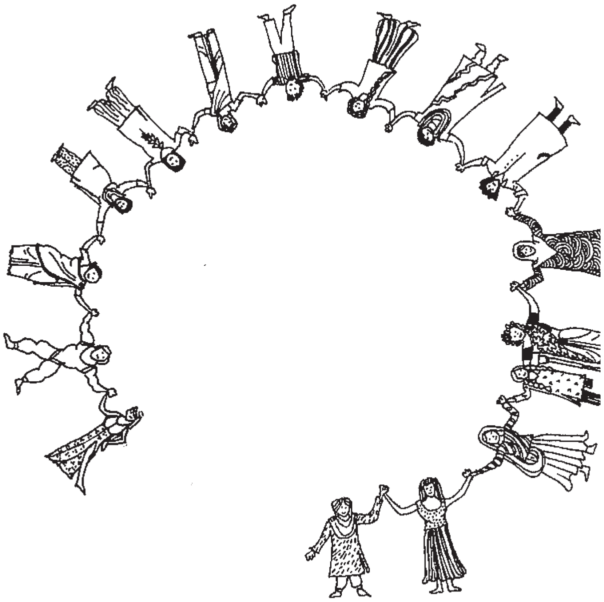

चैताली

समन्वयक, वायलेंस इंटरवेंशन टीम

चैताली जागोरी में वर्ष 2006 से है। पहले वह जागोरी के एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट का काम देख रही थी। बाद में वर्ष 2012 से, महिलाओं पर होने वाली हिंसा के खिलाफ़ चल रहे प्रोजेक्ट वायलेंस इंटरवेंशन टीम में वह शामिल हो गईं। शुरू में आने वाले केसों की फाइलों को अपडेट रखना, फोन पर मामलों को सुनना और आवश्यक निर्देश देना काउंसलिंग के दौरान पूरी प्रक्रिया को ध्यान से देखना समझना यह चैताली के काम का हिस्सा था।

'2012 से पहले केस कार्य का अनुभव नहीं था। उन दिनों इस नीलांजु इस टीम का नेतृत्व कर रही थीं। नीलाजुं व सुनीता ठाकुर के साथ मैंने काउंसलिंग व केस कार्य की बारीकियों को सीखा। शुरू में उनके काम को ध्यान से देखती और पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करती थी।'

चैताली जल्द ही अपने कार्य में पूरी तरह से दक्ष हो गईं और केस कार्य भी देखने लगीं। टीम के पास महिलाओं से जुड़े हिंसा के मामले पहले भी आते थे, लेकिन 2012 दिसंबर की घटना के बाद अचानक मामलों की संख्या में तेजी आ गई। कारण जागरुकता भी हो सकती है और माहौल भी जिसने महिलाओं को हिम्मत दी कि वे अपने साथ हो रही हिंसा की घटना को खुल कर सामने ला सकें। उन दिनों भी घरेलू हिंसा के मामले ज़्यादा आ रहे थे, लेकिन साथ ही बलात्कार व यौन उत्पीड़न के दूसरे मामले भी आ रहे थे। तब और अब के घरेलू हिंसा के मामलों में कुछ अंतर खास नज़र आते हैं। महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकायतें तो लेकर आती थीं, लेकिन उनका मकसद बातचीत से उसे सुलझाना होता था। वे मामलों को कोर्ट तक ले जाने के लिए तैयार नहीं रहती थीं। पहले की तुलना में अब महिलाएं मामला न सुलझने पर कोर्ट भी जाने को तैयार हो जाती हैं। हालांकि अब भी जागोरी के रिकॉर्ड में घरेलू हिंसा के दर्ज मामलों में ज़्यादातर मामले ऐसे हैं जो बीच में ही खत्म हो गए।

'कई ऐसे मामलें हैं जिनमें महिला पहली बार आई, अपनी समस्या सुनाई, काउंसलिंग हुई, फिर नहीं आईं। उनसे चाह कर भी संपर्क नहीं हो पाया। उन्होंने अपना फोन नंबर और पता नहीं दिया। दिया भी तो या तो गलत था या बदल गया। वे महिलाएं इन मामलों में जिस तरह अपने आप से, परिवार समाज से संघर्ष करना पड़ता है, उस जद्दोजेहद को झेल नहीं पाई। जब अति हो गया तो हिम्मत करके एक बार तो आई फिर दूसरी बार आने की हिम्मत नहीं

जुटा पाईं। कई बार महिलाएं आती हैं, तब उत्तेजित होती हैं वे अपनी समस्या सुनाती हैं, घर लौट कर दिमाग शांत हो जाता है उन्हें लगता है कि अभी छोड़ देते हैं, बाद में सोचेंगे आगे क्या करना है।'

घरेलू हिंसा के ज्यादातर मामलों में महिलाओं का प्रयास रहता है कि मामला बातचीत से ही सुलझ जाए, वे कोर्ट जाने की इच्छुक नहीं होती है। जब बातचीत से समाधान का कोई रास्ता नहीं निकलता तब ही कोर्ट के बारे में सोचती हैं। ध्यान देने की बात है कि कोर्ट तक जाने जैसा साहसिक कदम उठाने के फैसले को कई सामाजिक, आर्थिक कारक प्रभावित करते हैं।

मैं पूरे समुदाय के व्यवहार का अध्ययन करती हूं। समुदाय में भी हमारा हस्तक्षेप रहता है। खादर में घरेलू हिंसा का मामला होता है तो महिला पहले कोशिश करती है कि मामला बातचीत से सुलझ जाए जब बातचीत से नहीं सुलझता तो कोर्ट तक जाने को तैयार हो जाती हैं। वहीं बवाना में महिलाएं किसी भी स्थिति में कोर्ट जाने को तैयार नहीं होती। वहां की आर्थिक, सांस्कृतिक ढांचा उन्हें अधिकतम इसी स्तर तक जाने की मानसिक छूट देता कि वे केवल अपनी समस्या हमसे साझा कर लें, बाकी उससे ज्यादा नहीं हो पाता। वैसे ही बदरपुर का क्षेत्र है शहरी व ग्रामीण या कहें कस्बाई संस्कृति है। महिलाएं अपनी समस्या साझा करती हैं, लेकिन किसी तरह कार्रवाई से बचती हैं। देख लेते हैं, रुक जाते हैं, क्या पता ठीक हो जाए।

घरेलू हिंसा के अलावा प्यार के संबंधों में धोखा, या सहजीवन में साथ रहने को तैयार नहीं, ऐसे भी कई मामले जागोरी में आते हैं, जिन्हें धोखा या अन्य की श्रेणी में रखा जाता है। महिलाएं शिकायत लेकर आती है कि सहजीवन में इतने समय से रह रहे हैं, शादी का वायदा करके शारीरिक संबंध बनाया, अब शादी को तैयार नहीं।

बहुत सारी महिलाएं थाना पुलिस भी चली जाती हैं। सवाल यह है कि सहजीवन में आप जा रहे हो, एक समय के बाद लड़का या लड़की को लगता है कि पूरी उम्र साथ नहीं रह सकते तो यह बलात्कार कैसे हो गया? लड़का शादी के लिए तैयार हो गया तो कोर्ट के बाहर ही फैसला हो गया। कई ऐसे मामलों में कोर्ट में मामला चल रहा है।'

घरेलू हिंसा के मामलों में हस्तक्षेप के रास्ते में आने वाली चुनौती चैताली को ठहर कर सोचने के लिए मजबूर करती है कि इतने संघर्ष के बाद भी महिलाओं को अंततः हासिल क्या हुआ? उनके सामने भविष्य के लिए कोई रास्ता नहीं होता कहां जाएंगी, क्या करेंगी, कैसे अपना पेट भरेंगी।

'उनके पक्ष में कोई ऑर्डर तक हो जाता तो भी उनके हाथ कुछ नहीं आता। आंखों में आंखे डालकर पूछतीं 'दीदी अब आगे क्या! 'तब बड़ा दुख होता है। इन्हें क्या हासिल हुआ।'

लेकिन हासिल हुआ है, उन्होंने अपने लिए संघर्ष किया। पुलिस, कोर्ट, कचहरी सब जगह के चक्कर लगाए। अपनी बात रखी। इससे उनमें आत्मविश्वास आया। हार-जीत तो अलग बात है, लेकिन आत्मविश्वास उनके आगे के जीवन के लिए रास्ता बनाता है। कई ऐसे मामले भी आए जिनमें काउंसलिंग हुई, मामला सुलझ गया। पति ने कहा वह अब पत्नी पर हाथ नहीं उठाएगा। पति-पत्नी चले गए। अचानक दो-तीन साल बाद फिर महिला का फोन आता है कि पति ने वही हरकतें फिर से शुरू कर दी हैं। बातचीत से बहुत कम महिलाओं के जीवन में घरेलू हिंसा की समस्या दूर हुई है।

'डर से या दबाव से कुछ समय तो स्थिति ठीक रहती है, लेकिन फिर से उसी तरह का व्यवहार दोहराने का मतलब है पति की सोच में किसी तरह का बदलाव नहीं आया है। हमारी तरफ से फ़ॉलोअप हो रहा है, ठीक है लेकिन घर की चारदीवारी कें अंदर तो उसे ही संधर्ष करना होगा। महिला को उसके साथ ही रहना है तो ताउम्र संघर्ष करते रहना पड़ेगा। हम महिलाओं को उस संघर्ष के लिए भी तैयार करते हैं। उन्हें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। वे टूट जाती हैं तो हम भी टूट जाते हैं।'

रिश्ते से बाहर निकलने और अपने अधिकारों के लिए कोर्ट-कचहरी जाने के लिए महिलाओं को आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होती है। कई महिलाएं इस स्थिति में नहीं होतीं कि वे आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो सकें या मायके का कोई सहयोग मिल सके। रिश्ते से बाहर निकलेंगे तो कैसे क्या करेंगे, जीवन कैसे चलाएंगे, बच्चे हैं तो बच्चों का पालन-पोषण कैसे होगा; ये कुछ ऐसे ज़रूरी सवाल होते हैं जो महिला को कोई बड़ा कदम उठाने से रोकते हैं। ऐसी महिलाओं को जागोरी अपना नेटवर्क इस्तेमाल करके कोई हुनर सिखवाने का काम भी ज़रूरत पड़ने पर करती है। घरेलू हिंसा के मामले लेकर आने वाली महिलाओं में निम्न वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग की महिलाएं भी होती हैं। उच्च मध्यम वर्ग की महिलाओं की संख्या तुलनात्मक रूप से कम है। निम्न वर्ग की महिलाएं कोर्ट-कचहरी जाने जैसे कदम उठाने में ज़्यादा हिम्मत दिखाती हैं।

'उनके पास खुद को खड़ा होने का न तो कोई विकल्प होता है न कोई आर्थिक संबल। आर्थिक रूप से खड़ा होने के लिए उन्हें कोई रास्ता दिखाओ तो वे उस विकल्प पर विचार करती हैं और उसे अपनाने के लिए तैयार हो जाती हैं। जबकि उच्च मध्यमवर्ग की महिलाएं कोई भी फैसला लेने में हिचकिचाती है। वे एक स्थान पर स्थिर हो जाती हैं न आगे जाने को तैयार होती है न पीछे हटने को। वो कुछ सीखने को तैयार नहीं होती, उन्हें लगता है कि उन्हें सब पता है। उन्हें ज़्यादा डर लगता है कि अलग होंगे तो सभी चीज़ें जिनका वे उपभोग कर रही हैं, छूट जाएंगी। उन्हें खोने का डर होता है।'

शिकायत आने पर जागोरी, पीड़ित महिला के पति, भाई, ससुर जिनके खिलाफ़ शिकायत होती है, बातचीत के लिए पत्र भेजकर बुलाती है। मध्यम वर्ग की महिलाएं इस तरह की किसी प्रक्रिया से बचती हैं। कई बार पत्र भेज कर बुलाने के लिए खुद ही मना कर देती हैं। कई बार बुलाने पर परिवार के लोग आते भी नहीं, न ही पत्र का जवाब देते। ज़्यादातर मामलों में इस वर्ग की महिलाएं पहले से ही निर्णय लेकर आती हैं कि उन्हें मामले को कहां तक ले कर जाना है। कई बार ऐसा भी होता है कि पति-पत्नी दोनों आकर अपना पक्ष रखते हैं, उन्हें किसी तीसरे व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो उनके पक्ष को सुन कर सही फैसला करे कि कौन, कहां गलत है।

महिला हिंसा के प्रति सरकारी एजेंसियों का रवैया भी चैताली को परेशान करता है। पुलिस, कानून होने के बाद भी घरेलू हिंसा को बहुत हल्के से लेती है। पीड़ित महिलाओं को ज़्यादातर मामले में यह कह कर बहला-फुसला कर भेज दिया जाता कि मारना-पीटना घरेलू मामला है, इतनी बड़ी बात नहीं है जिसके लिए पुलिस कचहरी की ज़रूरत हो। मारता है तो प्यार भी तो करता है, या घर का बोझ भी तो उठा रहा है जैसे जुमले कह कर महिला को हतोत्साहित किया जाता है। कोर्ट में भी मामले यूं ही लंबे चलते रहते, फैसले में इतना वक्त लगता है कि महिला हिम्मत हार जाती है।

'जिसके पास खाने के लाले पड़ रहे हों उसे चार महीनें छह महीने बाद की तारीख़ दोगे तो वो कैसे संघर्ष कर पाएगी। इतनी संवेदनशीलता तो होनी ही चाहिए ना!'

इन्हीं मुश्किलों को देखते हुए जागोरी ने लॉयर पूल (वकीलों का समूह) बनाने की पहल भी की थी। कई लॉयर इस पूल से जुड़ीं भी, लेकिन यह प्रयास ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। वकीलों को लगने लगा कि इसमें उन्हें क्या फायदा है, एक-एक करके वे इस पूल से निकलने लगे।

जागोरी के प्रोटोकॉल के सभी बिन्दुओं को चैताली उचित मानती है, चाहे वह पंद्रह दिन में फ़ॉलोअप भेजने की बात हो, बच्चों के मामलों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप न करने की बात हो या जागोरी कार्यकर्ता पर रात के वक्त मामलों में हस्तक्षेप न करने की बंदिश। चैताली का मानना है यह ज़रूरी है। *'रात में भी काम करना कार्यकर्ता के अपने स्वास्थ्य व पारिवारिक जीवन के लिए नुकसानदेय है। कार्यकर्ता अगर अपनी निजी ज़िंदगी को पूरी तरह से इस काम में झोंक देगी तो जल्दी ही थक जाएगी। साथ ही पीड़िता को भी सिखाना होगा कि कार्यकर्ता की ज़िंदगी का भी एक दायरा*

होता है, उस दायरे में ही उसे काम करना है। कार्यकर्ता सब कुछ नहीं कर सकती। यह सही है कि पीड़िता को तत्काल सहायता या फ़र्स्ट-एड की ज़रूरत होती है, जिसकी उम्मीद उन्हें कार्यकर्ताओं से होती है। बवाना में काफ़ी मामले आते हैं। इसीलिए वहां स्वैच्छिक समूह बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि पीड़िता को समय पर मदद मिल सके। समूह बनाने का कार्य जनवरी से शुरू हो गया है, संभवतः एक साल में पूरा हो जाएगा।'

चैताली को यह भी लगता है कि नए प्रोटोकॉल में बच्चों के मामलों को हाथ में नहीं लेने का जागोरी का फैसला सही है। बच्चों के साथ बहुत धैर्य से काम करना पड़ता है। उनकी काउंसलिंग के लिए अलग तरह की विशेषज्ञता की ज़रूरत होती है। जागोरी बच्चों से संबधित मामलों को सी.डबल्यू.सी. को रेफ़र कर देते हैं। पीड़ित बच्ची या बच्चे को जागोरी छोड़ नहीं देती, बल्कि सुरक्षित हाथों तक पहुंचा देती है। जो बच्चे के मामले को ज़्यादा बेहतर तरीके से देख सकता है। जागोरी इन मामलों में भी पूरा सहयोग देती है, पर प्रत्यक्ष तौर पर मामलों को नहीं देखती। इसी तरह केस फ़ॉलोअप रिपोर्ट एक महीने से पंद्रह दिन करने के जागोरी के फैसले से भी चैताली सहमत है।

'फ़ील्ड में तो रोज जाते ही हैं। पीड़ित महिला मिलती भी है। बस उस फॅालोअप को पंद्रह दिन में कलमबद्ध करने की बात है। जब महिला मामला लेकर आती है तो उसके साथ नियमित संपर्क बनाए रखना भी ज़रूरी होता है, ऐसा करने पर हमारा और पीड़ित महिला का संबंध प्रगाढ़ होता है। अगर महिला को हमारे ज़्यादा मिलने-जुलने से दिक़्क़त होती है तो वह कह देती है कि हम बुलाएंगे तब ही आना, तो फिर हम नहीं मिलते। अपनी फ़ॉलोअप रिपोर्ट में लिख देते हैं कि महिला ने अभी मिलने-जुलने से मना किया है।'

जागोरी में कामगार महिलाओं से संबंधित घरेलू हिंसा के कई मामले स्वयं नियोक्ता भी लेकर आते हैं। कामगार महिलाएं नियोक्ता द्वारा वेतन कई महीने तक नहीं देने, या अन्य कोई उनके असुविधाजनक व्यवहार के संबंध में शिकायतें भी लेकर आती हैं। कई बार शिकायतें बातचीत से निपट जाती हैं, कई बार बातचीत का उल्टा असर भी होता है।

'हमने बातचीत करने की कोशिश की तो नियोक्ता ने बातचीत तो नहीं ही की; बल्कि उस महिला को धमकी दे दी कि कालोनी में काम के लिए घुसने भी नहीं देंगे। महिला ने फिर हमें कहा कि आप कुछ अपनी तरफ से न करें मैं मामले को खुद ठीक कर लूंगी। कामगार महिलाओं के लिए कोई निश्चित कानून नहीं होने की वजह से हम बहुत ज़्यादा कुछ सहयोग नहीं कर पाते। यूनियन जैसी कोई संस्था दिल्ली में इन महिलाओं के लिए है भी नहीं। कामगार महिलाओं के सर्वे में मैंने अध्ययन किया कि ये सांस्कृतिक तौर पर एक दूसरे से बहुत अलग हैं, अलग-अलग राज्यों की हैं। इनकी एकजुटता आसान नहीं हैं। फिर उन्हें बस नौकरी, घर-परिवार की ही चिंता है। इससे हटकर वे और कुछ नहीं करना चाहतीं। यूनियन बनना यहां बहुत मुश्किल दिखता है।'

जागोरी के लक्ष्य समूह में महिला है। महिला समाज, राज्य, परिवार व श्रमिक के तौर पर जो हिंसा झेलती हैं वह जागोरी के सरोकार का मुद्दा है। जागोरी ने कई बार कोशिश की कि महिला कामगारों का एक छोटा समूह बन जाए जो बड़े समूह के साथ जुड़ सके, पर किन्हीं वजहों से ऐसा समूह नहीं बन पाया। खादर में एक छोटा समूह बना परंतु वह बड़े समूह से जुड़ नहीं पाया।

'महिला कामगारों के लिए स्वास्थ्य बीमा की कोशिश की गई, फ़ार्म भी भरे गए। बहुत भागदौड़ हुई। आर.डबल्यू.ए. में मीटिंग बुलाई गई। नियोक्ताओं ने इन कामगारों को कहा कि कुछ नहीं होने वाला और अंत में सचमुच में कुछ भी नहीं हो पाया। आज भी कामगार महिलाएं हमसे पूछती हैं कि वो फार्म भरवाए गए थे उनका क्या हुआ।'

जागोरी एकल महिलाओं के लिए भी कार्य करती है। एक दशक पहले भी एकल महिलाओं पर उसका कार्य चला था जो बीच में बंद हो गया था। इंटरनेशनल सिंगल विमेन एसोसिएशन की मीटिंग के बाद जागोरी को फिर महसूस

हुआ कि एकल महिलाओं पर अपने काम को उसे जारी रखना चाहिए। एकल महिलाओं के समूह बनाए जा रहे हैं, जिन्हें नेशनल सिंगल विमेन एसोसिएशन के साथ जोड़े जाने की योजना है।

'सिंगल विमेन के पास उनकी अपनी एक पहचान होना कि वे किसी ऐसे एसोसिएशन का हिस्सा है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। महिलाओं के प्रति हिंसा की बात हो या एकल महिलाओं की समस्याओं की बात, जागोरी महिलाओं की ऐजेन्सी बनाने में विश्वास रखती हैं। जागोरी महिलाओं को अपनी समस्याओं से संघर्ष करने के लिए तैयार करती है। अकेले संघर्ष करना हो या समूह में, अपनी लड़ाई महिलाओं को खुद ही लड़नी पड़ेगी। जागोरी बस उन्हें हिम्मत, आत्मविश्वास, जानकारी जैसे हथियारों से लैस कर रही है।'

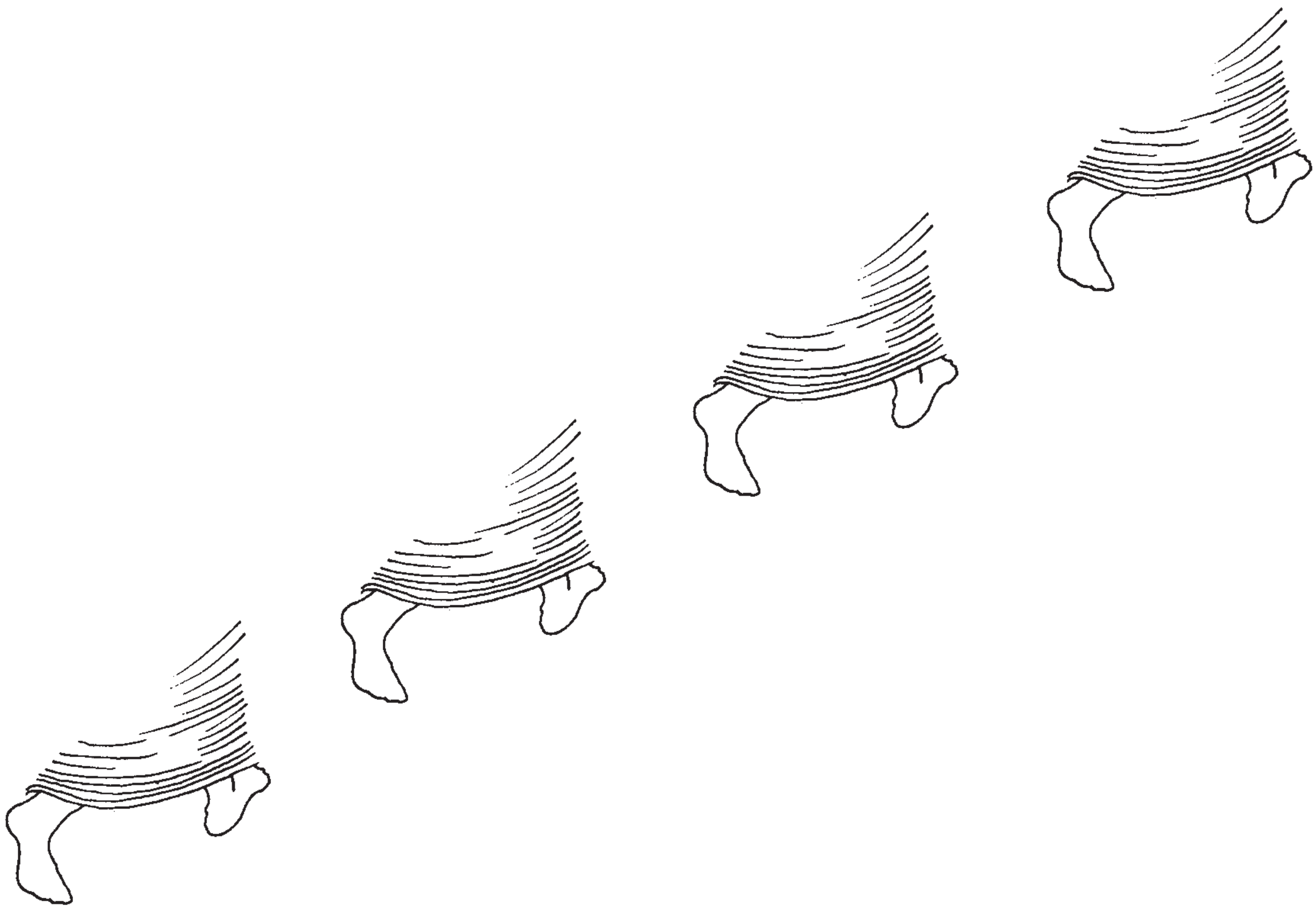

संक्षेप में:

'सफ़रनामा' इन छह महिलाओं के जीवन के ऐसे महत्वपूर्ण पड़ाव का दस्तावेज है जो उनके पूरे जीवन को परिभाषित कर रहा है। इन भोगी हुई कहानियों में पितृसत्तात्मक समाज का पूरा ताना-बाना अपनी विभिन्न परतों के साथ मौजूद है, जिसका हिस्सा ये महिलाएं भी हैं। अपनी सीमित दायरे में ये महिलाएं जहां एक तरफ़ इस सत्ता से पीड़ित भी हैं वहीं दूसरी तरफ़ वे अवचेतन रूप से इस सत्ता का एक मोहरा बन कर इस तंत्र को मजबूत करती ही नजर आती है। सफ़रनामा व केस कार्यकर्ताओं के जीवन की अपनी घटनाएं इस तथ्य को और पुख़्ता करती हैं कि पितृसत्ता एक मानसिकता है, और आवश्यक नहीं है कि उसको वहन करने वाला पुरुष ही होगा। पितृसत्ता सामाजिक ताने-बाने में इस तरह बुनी हुई है कि कई बार पुरुष की अपेक्षा स्त्री ज़्यादा मजबूती से उसकी डोर को थामे हुई नजर आती है। संगीता के सफ़रनामे में उसकी बहन के व्यवहार में, महिलाओं के अंदर पैठ बना पितृसत्ता की जड़ों को पहचाना जा सकता है। संगीता के प्रति उसका व्यवहार, संगीता को प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखना, यहां तक कि अपने पति की करतूतों पर पर्दा डालने के लिए संगीता को ही रास्ते से हटाने की कोशिश करना, इसी मानसिकता को इंगित करते हैं, इस तथ्य पर गंभीरता से विचार करने के लिए हाल-फिलहाल की कई घटनाओं को भी देखा जा सकता है कि किस प्रकार पितृसत्तात्मक समाज अपने खिलाफ़ उठी आवाज़ों से संघर्ष करने के लिए महिलाओं को ही ढ़ाल के रूप में आगे खड़ा कर देता है। लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई लड़की ने आवाज़ उठाई, कानूनी कारवाई की बात हुई तो इसके विरोध में लड़के की रक्षा में गांव की या परिवार की महिलाएं आगे आ गईं, और लड़की को ही गलत साबित कर दिया। पितृसत्ता अपने विभिन्न पैतरों से, अपनी रक्षा के लिए महिलाओं को मोहरे की तरह इस्तेमाल करती है। अच्छी बेटी, पत्नी, मां, बहन का तमगा दे कर उन्हें सम्मानित करती है, ताकि वे उनके चंगुल में फंसी रहें।

गीता के अनुभव को देखें तो महिला प्रधान का खाप जैसा रवैया उदाहरण है इस तथ्य का कि महिला के पास भी जब ताकत या सत्ता आती है तो वह भी पितृसत्ता की ही बोली बोलने लगती है। पितृसत्ता ने महिलाओं का दायरा बहुत छोटा कर दिया है, लेकिन अपने उस सीमित दायरे में भी वह अपने जीवन को बेहतर बनाने या अपने प्रतिद्वंद्वी को पछाड़ने के लिए रणनीति भी अपनाती है और छल प्रपंच भी करती है। वह जीवन को अपने तरीके से जीने के लिए ज़िद भी करती है और उस ज़िद पर मजबूती से खड़ी भी रहती है। हीरावती के मामले में देखें तो पता चलता है कि व्यवस्था किस तरह से सरकार पितृसत्ता की पक्षधर है, झुग्गी के एवज में जे.जे. कॉलोनी में जो घर देती है, उस पर मालिकाना हक़ पति यानि पुरुष को मिलता है। घर हीरावती को घर का मालिकाना हक़ नहीं मिला और पति घर बेचकर गांव जाना चाहता है। हीरावती का दायरा इसमें इतना ही है कि वह इस संपति में केवल नामित है। हीरावती गांव नहीं जाना चाहती है, और वह अपनी इस ज़िद पर अड़ी रहती है। तर्क के आधार पर देखा जाए तो जिसकी संपति है, यह उसका अधिकार है कि वह उस संपति का जो भी चाहे करे, लेकिन महिला का पति की संपत्ति पर अघोषित अधिकार होता है, क्योंकि उसके योगदान को पैसे के रूप में नहीं आंका जा सकता है, लेकिन योगदान बराबर का होता है; हीरावती यह जानती है। पितृसत्ता ने बेशक उसे पुरुष के बराबर का स्थान नहीं दिया, लेकिन अपने सिमित दायरे में वह अपने हित के लिए, अपनी स्थिति को बेहतर करने के लिए ज़िद पर अड़ी रहती है, और अपना अधिकार भी प्राप्त करती है।

हिंसा अपने अलग-अलग रूपों में महिलाओं के जीवन को प्रभावित करती है। हिंसा एक ऐसा हथियार है जिसे पितृसत्ता अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल

करती है। कई बार इसके रूप इतने सूक्ष्म और सामाजिक तंत्रों के बीच इस तरह से गुथे हुए होते हैं कि उनकी पहचान करना संभव नहीं हो पाता। हिंसा करने वाला और सहने वाला यानि पीड़क और पीड़ित दोनों ही इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि वे हिंसा कर रहे या सह रहे हैं। दोनों ही *'ऐसा ही होता है'* की अवधारणा में उलझ कर रह जाते हैं। महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा के स्थूल रूप तो सहज ही पहचान में आ जाते हैं और उसकी रोकथाम के लिए कानून भी बन जाता है लेकिन जहां तक उन कानूनों के क्रियान्वयन का सवाल है पितृसत्ता की यही अदृश्य रेखाएं उनके क्रियान्वयन के रास्ते में बाधाएं डालती हैं। महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा की रोकथाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है हिंसा के इन रूपों को पहचानना जब तक हिंसा के इन रूपों को पहचाना नहीं जाएगा उन्हें संबोधित कैसे किया जा सकता है? इसके लिए यह भी आवश्यक है कि इन रूपों को वह पहचाने जो स्वयं इसका शिकार है, क्योंकि पीड़िता जब तक स्वयं इसे नहीं पहचानेगी तब तक वह इसका विरोध भी नहीं करेगी।

इस दस्तावेज में शामिल केस स्टडीज़ अनभिज्ञता और पहचान के बीच के अंतर को रेखांकित करती हैं। जहां ये महिलाएं अपने अधिकारों से अनजान हैं, अपने शोषण को अपनी नियति, स्त्री होने का अभिशाप या 'ऐसा ही होता है' मान रही हैं। अनभिज्ञता के इस स्तर पर उनकी मानसिकता समझौतावादी हो जाती है, हर विपरीत स्थिति से समझौता और उसमें से कोई आसान रास्ता खोजना जिससे ज़िंदगी कम से कम जीने लायक हो जाए। इसी स्तर पर वे अपनी ज़िंदगी का एक लंबा सफर तय कर लेती हैं। दूसरा स्तर, जब उन्हें किसी माध्यम से उनके अधिकारों की जानकारी पहुंचती है और ये जानकारी उन मान्यताओं को चुनौती देते हुए दिखती हैं जिन्हें उन्होंनं अभी तक अपनी नियति समझ आत्मसात कर रखा था। यह स्थिति अनभिज्ञता व पहचान के बीच की स्थिति होती है। यह द्वंद्व की स्थिति है। पीड़िता महिला के मन में कहीं गहराई से पैठी पितृसत्तात्मक सोच और महिला अधिकार, बराबरी, मुक्ति जैसे तार्किक विचारों के बीच संघर्ष होता है।

केस कार्यकर्ताओं के सफ़रनामों में यह संघर्ष ज़्यादा स्पष्ट रूप में दिखाई देता है। जब यह द्वंद्व की स्थिति समाप्त होती है तो इन महिलाओं का व्यक्तित्व सशक्त रूप में सामने आता है। उनके संघर्ष का दायरा भी बढ़ता है। अब इस दायरे में अन्य महिलाएं भी शामिल हो जाती हैं जिनके अधिकारों का हनन हो रहा है, जो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं। यह चक्र सतत् जारी रहता है। इस चक्र के माध्यम से महिला हिंसा के खिलाफ़ हस्तक्षेप की शक्ति बढ़ती जाती है।

इस दस्तावेज में समय के साथ हिंसा के रूपों में आए बदलाव को भी चिन्हित किया गया है। समाज में महिला हिंसा के कई रूप पहले से मौजूद रहे हैं, परन्तु उनकी पहचान नहीं थी। मसलन 'लिव इन रिलेशन' या 'राइट टु च्वाइस' जैसे मामले। ये मामले समाज में पहले भी मौजूद थे। महिला या लड़की के लिए 'राइट टु च्वाइस' जैसी अवधारणा का पहले कोई वजूद ही नहीं था। यह मान कर चला जा रहा था कि लड़की के जीवन से संबंधित सभी फैसलों को लेने का अधिकार उसे नहीं उसके परिवार को है, इस सोच में कहीं कोई विरोध का स्वर नहीं उठा था, महिलाओं ने खुद इस थोपे हुए सत्य को खुद ही स्वीकार कर लिया था, लेकिन समय के साथ यह जागरुकता आई कि पुरुषों की तरह महिलाओं को भी अपने जीवन से संबधित फैसले लेने का पूरा अधिकार है, क्योंकि यह जीवन उसका अपना है, और उससे संबंधित फेसले भी उसके अपने होने चाहिए। इसी तरह सहजीवन जैसे संबंध समाज में पहले भी मौजूद थे लेकिन समाज और कानून दोनों ने इस तरह के संबंध को अब पहचान दी है और उससे जुड़े हिंसा के मामलों को भी संबोधित करने का प्रयत्न किया गया है।

नारीवादी काउंसलिंग के दौरान पीड़ित महिलाओं की प्रतिक्रिया, काउंसलिंग द्वारा उन पर पड़ने वाले प्रभावों के निर्धारित कारकों पर भी विचार करने का प्रयास किया गया है। मध्यम वर्गीय महिला व निम्नवर्गीय महिला दोनों पर नारीवादी काउंसलिंग के पड़ने वाले प्रभावों में भी

अंतर देखा गया है। निम्न वर्ग की महिला जहां थोड़ी मदद व काउंसलिंग से विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करने को तैयार हो जाती हैं; वहीं मध्यम वर्ग की महिलाएं अंतिम सीमा तक, लोक समाज और अकेले रहने के भय से परिस्थितियों से समझौता करती जाती हैं। यह अंतर पीड़िता के परिवार वालों विशेष तौर पर पुरुष सदस्यों की प्रतिक्रिया में भी देखने को मिलता है उन पर भी काउंसलिंग के पड़ने वाला प्रभाव या प्रतिक्रिया आदि धर्म,जाति, वर्ग, स्थान से प्रभावित दिखाई देते हैं।

यह अपने आप में गहन अध्ययन का विषय है कि महिला हिंसा व महिला अधिकारों के प्रति संवदेनशीलता सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व राजनैतिक कारकों से किस हद तक प्रभावित होते है। नारी आंदोलन व महिला अधिकारों के संघर्ष में ये विचार सूत्र अहम् भूमिका निभा सकते हैं। पितृसत्तात्मक सामाजिक ढांचे की वजह से वायलेंस इंटरवेंशन टीम को महिला हिंसा के खिलाफ़ संघर्ष में किस तरह की व्यवहारिक दिक़्क़तों का सामना करना पड़ता है, उन पर भी इस दस्तावेज में रोशनी डालने का प्रयत्न किया गया है। जिसका उद्देश्य है कि भविष्य में महिला हिंसा के लिए बनाई जाने वाले योजनाओं के प्रारूप में इन दिक़्क़तों को भी ध्यान में रखा जा सके, ताकि वे योजना ज़्यादा ठोस व व्यवहारिक बन सके।

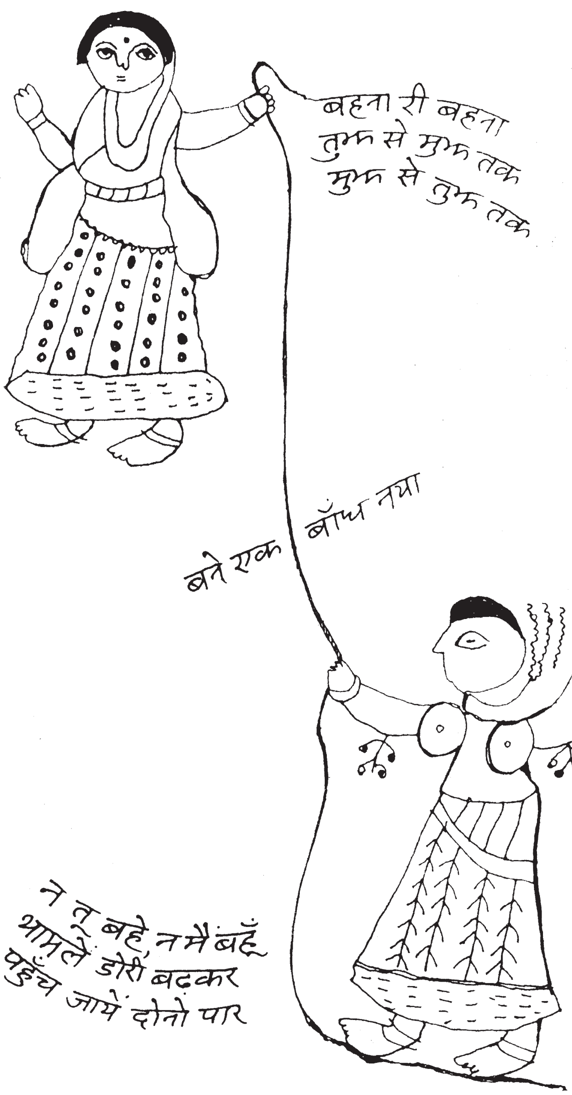

जागोरी नोटबुक 1989, (मुझ से तुझ तक) से लिया गया

लिविंग फेमिनिज़्म्स

लिविंग फेमिनिज़्म्स नई दिल्ली स्थित नारीवादी संगठन जागोरी के पास अस्सी के दशक से सुरक्षित दस्तावेजों को साझा करने का एक प्रयास है। इसमें हमारी क्यूरेटर्स के अनुभव, विभिन्न प्रकाशन, गीतों के संकलन, पर्चे, पोस्टर, फोटोग्राफ और कविताएं आदि विभिन्न प्रकार की सामग्री शामिल है। ये दस्तावेज और अनुभव स्वायत्त भारतीय महिला आंदोलन के अनेक संघर्षों और अभियानों की विविधतापूर्ण शृंखला है।

देखें : www.livingfeminisms.org

जागोरी
JAGORI
30 years
1984-2014